



सरस्वती संगम

राजभाषा पत्रिका वर्ष-2024



उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली

उत्तर रेलवे की विशेष उपलब्धियां



उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने पर दिनांक 22.03.2024 को अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड द्वारा श्री डिम्पी गर्ग, प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी सह मुख्य राजभाषा अधिकारी, उत्तर रेलवे को रेलमंत्री राजभाषा शील्ड प्रदान की गई।



रेल इंजन कारखाना चारबाग-लखनऊ को उत्कृष्ट कार्य के लिए आदर्श कारखाना के रूप में दिनांक 22.03.2024 को अध्यक्ष एवं कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड द्वारा श्री मनीष पांडेय, मुख्य कारखाना प्रबंधक, चारबाग लखनऊ को रेलमंत्री राजभाषा शील्ड प्रदान की गई।



शोभन चौधरी
महाप्रबन्धक
SHOBHAN CHAUDHURI
General Manager



उत्तर रेलवे
बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली-110001
NORTHERN RAILWAY
BARODA HOUSE, NEW DELHI-110001
☎ : 011-23387227 & 23384548 (Off.)
011-23384503 (Fax)



संदेश

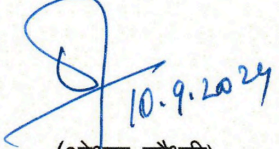
मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि राजभाषा विभाग द्वारा "सरस्वती संगम" का ई-पत्रिका के रूप में प्रकाशन किया जा रहा है। पत्रिका पाठकों के समक्ष विभिन्न विषयों को प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम है, यह रेल कर्मियों की लेखन प्रतिभा को भी एक मंच देती है। हिंदी एक सरल एवं सहज भाषा है। यह जैसे बोली जाती है, वैसे ही लिखी जाती है। "क" क्षेत्र में होने के नाते हमारा विशेष दायित्व है कि हम अपना समस्त कार्य हिंदी में ही करें।

आज डिजिटल युग है और हम पेपरलेस वर्किंग की ओर अग्रसर हो चुके हैं, अतः हम सभी को अधिक से अधिक कार्य ई-ऑफिस के माध्यम से हिंदी में करना चाहिए।

हम सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, इसके लिए हम सभी रेल कर्मियों को पूरी निष्ठा के साथ तत्पर रहना है।

मैं सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा करता हूं कि अपने-अपने कार्यक्षेत्र में राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करके अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाएं।

मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।


(शोभन चौधरी)



ए. के. सिंघल

अपर महाप्रबन्धक

A. K. SINGHAL
Additional General Manager



सत्यमेव जयते



आज़ादी का
अमृत महोत्सव



उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय

बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली-110001

Northern Railway, Headquarters Office

BARODA HOUSE, NEW DELHI-110001

☎:011-23388392 (Off.) 011-23381271 (Fax)



संदेश

उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली की राजभाषा पत्रिका "सरस्वती संगम"-2024 का यह अंक ई-पत्रिका के रूप में प्रकाशित होने पर मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

हिंदी देश के सभी भाषा-भाषियों के बीच विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। हमारी राजभाषा होने के नाते हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम अपना समस्त सरकारी कामकाज हिंदी में करें। यह आवश्यक है कि हिंदी को सरलतम रूप में अपनाया जाए ताकि किसी को भी कोई कठिनाई न हो।

आज ई-वर्किंग का युग है। उत्तर रेलवे के ज्यादातर कार्यालयों में ई-ऑफिस शुरू हो चुका है तथा ई-ऑफिस में हिंदी में कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं है। इसके लिए केवल एक प्रयास की ही आवश्यकता है, इसलिए दैनिक कामकाज में इसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। इसके और अधिक उपयोग से न केवल समय एवं स्टेशनरी की बचत होगी बल्कि कार्य में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

मुझे विश्वास है कि राजभाषा पत्रिका "सरस्वती संगम" अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल होगी। इस अंक की सफलता की कामना के साथ मैं पत्रिका के नियमित प्रकाशन के लिए पत्रिका से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

(ए.के. सिंघल)



डिम्पी गर्ग
मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं
प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी
Dimpy Garg
Mukhya Rajbhasha Adhikari &
Principal Chief Safety Officer



उत्तर रेलवे
प्रधान कार्यालय
बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली-110001
Northern Railway
Headquarters Office
Baroda House, New Delhi-110001
Tel: 011-23388050
Fax : 011-23383748



संदेश

उत्तर रेलवे की ई-पत्रिका "सरस्वती संगम"-2024 का अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। राजभाषा के प्रयोग-प्रसार के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। साहित्य समाज का दर्पण होता है और समाज में अपने आस-पास घट रही घटनाओं और अनुभवों को कागज पर उकेरना ही लेखन है। हमारे अनेक रेल कर्मी ऐसे हैं जिनकी लेखन में रुचि है, ऐसे कर्मियों की रचनाओं को इस पत्रिका में शामिल कर रेलवे में छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने का यह एक सराहनीय प्रयास है।

रेलवे बोर्ड द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर रेलवे को प्रथम पुरस्कार के रूप में रेल मंत्री राजभाषा शील्ड तथा रेल इंजन कारखाना, चारबाग लखनऊ को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आदर्श कारखाना के रूप में रेल मंत्री राजभाषा शील्ड तथा नकद पुरस्कार प्रदान किया गया।

प्रधान कार्यालय के अधीन संचालित हिंदी पुस्तकालयों के नाम साहित्यकारों के नाम पर रखे गए हैं। पत्रिका में इन साहित्यकारों का जीवन-परिचय, राजभाषा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी और ज्ञानवर्धक रचनाओं का समावेश किया गया है जिससे पाठक गण निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे।

राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार के लिए सभी के योगदान एवं प्रयास की प्रशंसा करता हूं तथा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से आशा करता हूं कि वे अपने बहुमूल्य विचारों से अवगत कराएं ताकि पत्रिका को और अधिक बेहतर बनाया जा सके।

शुभकामनाओं सहित।

(डिम्पी गर्ग)

ममता तिवारी
उप महाप्रबंधक/राजभाषा



उत्तर रेलवे,
प्रधान कार्यालय,
बड़ौदा हाउस,
नई दिल्ली-110001



संपादकीय

हिंदी पत्रिका "सरस्वती संगम"- 2024 का अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था और इस अंक का प्रकाशन राजभाषा पखवाड़ा- 2024 के अवसर पर किया जा रहा है इसलिए आप सभी को हिंदी दिवस -2024 की अग्रिम शुभकामनाएं।

राजभाषा पत्रिका "सरस्वती संगम" रेल परिवार को एकजुट करती है। इसके माध्यम से कर्मचारी अपने ज्ञान व प्रतिभा की अभिव्यक्ति सहज एवं सरलता से हिंदी भाषा में करते हैं। इससे कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा बढ़ती है और साहित्यिक वातावरण का सृजन करने में भी सहायता मिलती है। मुझे प्रसन्नता है कि रेलकर्म रेल संचालन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों से जुड़े होने के साथ-साथ राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में भी निरंतर प्रगति कर रहे हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि आज हम ई-वर्किंग की ओर अग्रसर हैं। अतः ई-पत्रिका आप सभी को पसंद आएगी। हमें सरलीकरण की नीति को अपनाते हुए अपने सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। हमारे महाप्रबंधक महोदय, अपर महाप्रबंधक महोदय तथा मुख्य राजभाषा अधिकारी महोदय सरलीकरण की नीति पर विशेष जोर देते हैं।

हम अपनी राजभाषा पत्रिका "सरस्वती संगम" - 2024 पाठकों के समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। इस ई-पत्रिका को और बेहतर बनाने के लिए आपके बहुमूल्य सुझावों का स्वागत है। सभी रचनाकारों एवं पाठकों को साधुवाद।

शुभकामनाओं सहित।


(ममता तिवारी)

सरस्वती संगम
उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय राजभाषा पत्रिका – 2024 अंक

	इस अंक में		
	विषय	रचनाकार	पृष्ठ सं.
संरक्षक शोभन चौधुरी महाप्रबंधक	साहित्यकारों के जीवन परिचय		1-21
	राजभाषा नीति		22-40
	अध्यात्म	कृतिका काम्बोज	41
	आकांक्षा- नैतिकता से यथार्थ	अनिल कुमार वर्मा	43
डिम्पी गर्ग मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी	आई फ्लू	गुरजीत सिंह	45
	शब्द	चेतन स्वरूप	46
	लघुकथा- सशक्त	डॉ ऋतु मंजरी	47
	समय अमूल्य है	जागृत कम्बोज	48
	जिंदगी	अर्चना मीणा	50
	आत्म मंथन	शबनम	50
	सरकारी स्कूलों में शिक्षा में हो सुधार	प्रेमपाल सिंह	51
	धूप - छांव टी स्टॉल	सुरेंद्र कुमार	52
प्रधान संपादक ममता तिवारी उप महाप्रबंधक/राजभाषा	साप्ताहिक अवकाश	अशोक कुमार शर्मा	56
	सुखद जीवन की आस	मंजू रानी	57
	चिनाब नदी पर रेलवे पुल: निर्माण की कहानी	हरीश कुमार निगम	59
	माधवी की कहानी	श्रीमती अंजली शर्मा	62
संपादक प्रेम सिंह वरिष्ठ अनुवादक	भारतीय रेल की कहानी, डाक टिकटों की जुवानी	ललित कुमार कालिया	66
	मेरा रेल अनुभव	आशीष खेत्रपाल	68
	गुच्छी	वंदना खजुरिया	71
	पानी में खेती (हाइड्रोपोनिक्स)	कृष्ण प्रसाद औधवाल	72
संपादन सहयोगी गुरमीत सिंह वरिष्ठ अनुवादक	पुस्तक समीक्षा -वाल्मीकि कृत रामायण	यश कुमार राठोर	74
	वीरता एवं शौर्य की नायिका: सुभद्रा कुमारी चौहान	भूपसिंह यादव	76
	जिंदगी के झूले में	गौरव चोदना	77
	मेरी माँ	सूरज सिंह	78
कंचन खाखा पीएस-II	भारतीय रेल	चक्रपाणि पाण्डेय	79
	हिंदी भाषा	राम करन	80
	दिव्या दिवस	हरीतिमा "सुभाष"	80
	मैं नारी हूँ	विजय सिंह राज	81
जितिंद्र सिंह कनिष्ठ अनुवादक	रेल का संगीत	आशुतोष राज	82
	आतंकवाद का कैंसर	कमरू खान	82
	अपना देश	श्रीमती सुशील अंतिल	83
	मंहगाई	अनीस अहमद	83
निःशुल्क वितरण के लिए	रेल गाड़ी मेरे मन को भाती है	अंकेश दिवाकर	84
	गीष्म ऋतु	प्रेम सिंह	84

संपर्क सूत्र -राजभाषा विभाग, उत्तर रेलवे प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली-110001 (फोन- 32251)। पत्रिका में व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं। संपादक मंडल इसके लिए किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

मुख पृष्ठ - यू.एस.बी.आर.एल. सेक्शन के मध्य संगलदान रेलवे स्टेशन का चित्र।

अंतिम पृष्ठ- उत्तर रेलवे प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली का चित्र।

**अमीर खुसरो हिंदी पुस्तकालय
प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली**



पूरा नाम	अबुल हसन यमीनुद्दीन मुहम्मद/अमीर खुसरो
जन्म	1253 ई.
जन्म भूमि	गांव-पटियाली, जिला एटा, उत्तर प्रदेश
अवसान	1325 ई., दिल्ली
अभिभावक	पिता - अमीर सैफुद्दीन महमूद एवं माता - दौलत नाज या सम्मदा मुबारक बेगम
कर्म भूमि	दिल्ली
कर्म क्षेत्र	काव्य
मुख्य रचनाएं	पहेलियाँ, दो सूखने, निसबतें, ढकोसले, रुबाइयाँ, दोहे, हिंदवी गीत व गजलें आदि।
भाषा	खड़ी बोली(हिंदी) फारसी और उर्दू

अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं। उन्होंने 13वीं- 14वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी का हिंदवी के रूप में सूत्रपात किया था। उन्हें हिंदी की तूती के नाम से भी जाना जाता था। वे सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक शिष्य थे। इनका मूल नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन मुहम्मद था, लेकिन वे अमीर खुसरो के नाम से विख्यात हुए। यहां उन्होंने सैन्य प्रतिभाओं के साथ फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, संगीत, महाभारत, कुरान शरीफ हदीस आदि का अध्ययन किया। इन्होंने बीस वर्ष की आयु में अपने पहले काव्य संग्रह तोहफतुसिंग्र की रचना की। अमीर खूसरो की एक चुलबुली फारसी कविता से प्रसन्न होकर बादशाह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उन्हें ' अमीर' का खिताब दिया था। 1325 में इनका अवसान हो गया।

इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं-

सौ-दवा की एक दवा, रोग कोई न आवे ।
खुसरो-वाको-सरीर सुहावे, नित ताजी हवा जो खावे !!

सत्यार्थी हिंदी पुस्तकालय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, शकूरबस्ती प्रेस



पूरा नाम	देवेंद्र सत्यार्थी (मूल नाम - देवेंद्र बत्ता)
जन्म	28 मई, 1908
जन्म भूमि	गांव - भदौड़, जिला- संगरूर, पंजाब
अवसान	12 फरवरी 2003 ई., पंजाब
कर्म भूमि	पंजाब, दिल्ली
कर्म क्षेत्र	गद्य और पद्य
मुख्य रचनाएं	हिंदी में आपके संग्रह हैं : 'चट्टान से पूछ लो' (1949), 'चाय का रंग' (1949), 'नए धान से पहले' (1950), 'सड़क नहीं बंदूक' (1950)। उपन्यासों में 'रथ के पहिए' (1950), 'कठपुतली, (1951) आदि
भाषा	हिंदी, उर्दू और पंजाबी

देवेन्द्र सत्यार्थी हिंदी, उर्दू और पंजाबी भाषाओं के विद्वान तथा साहित्यकार थे। उनका मूल नाम देवेन्द्र बत्ता था। श्री सत्यार्थी लोकगीत अध्ययन के प्रणेताओं में से रहे हैं। उन्होंने देश के कोने-कोने की यात्रा कर वहां के लोक जीवन, गीतों और परंपराओं को आत्मसात किया और उन्हें पुस्तकों और वार्ताओं में संग्रहीत कर दिया जिसके लिये वे 'लोकयात्री' और 'लोकगीतों के यायावर' के रूप में जाने जाते हैं। चिंतक वासुदेव शरण अग्रवाल ने उन्हें जनपदीय भारत का सच्चा चक्रवर्ती बताया था। "क्या गोरी क्या साँवली" तथा "रेखाएँ बोल उठीं" सत्यार्थी के संस्मरणों के अनेक संग्रह हैं। 1977 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं-

रब्ब मोया, देवते भज्ज गए, राज फिरंगियां दा

(महात्मा गांधी ने इनके इस लोकगीत के बारे में कहा - "अगर तराजू के एक पलड़े पर मेरे और जवाहर के सारे भाषण रख दिए जाएं और दूसरे पर अकेला यह लोकगीत, तो लोकगीत वाला पलड़ा ही भारी रहेगा।")

रामधारी सिंह दिनकर हिंदी पुस्तकालय यात्री विपणन कार्यालय, नई दिल्ली



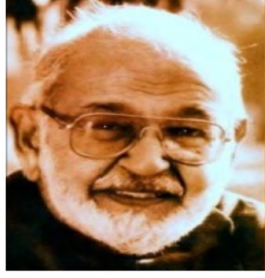
पूरा नाम	रामधारी सिंह दिनकर
जन्म	30 सितंबर 1908
जन्म भूमि	ग्राम- सिमरिया, जिला - बेगूसराय, बिहार
अवसान	24 अप्रैल 1974 ई., चेन्नई, तमिलनाडु
अभिभावक	रवि सिंह और मनरूप देवी
कर्म भूमि	बिहार और दिल्ली
कर्म क्षेत्र	गद्य और पद्य दोनों
मुख्य रचनाएं	उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रेणुका, रश्मिरथी एवं संस्कृति के चार अध्याय आदि।
भाषा	परिष्कृत खड़ी बोली

रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के वीर रस के श्रेष्ठ कवि के रूप में स्थापित हैं। राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्रीयता को इनके काव्य की मूल-भूमि मानते हुए इन्हें 'युग-चारण' व 'काल के चारण' की संज्ञा दी गई है। 'दिनकर' स्वतन्त्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतन्त्रता के बाद 'राष्ट्रकवि' के नाम से जाने गये। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक ओर उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रान्ति की पुकार है तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। एक प्रगतिवादी और मानववादी कवि के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों का तानाबाना दिया। उनकी महान रचनाओं में रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा शामिल है। उर्वशी को छोड़कर दिनकर की अधिकतर रचनाएँ वीर रस से ओतप्रोत हैं। भूषण के बाद उन्हें वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है।

इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं-

शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो
नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो।

सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हिंदी पुस्तकालय
उत्तर रेलवे, केंद्रीय चिकित्सालय, नई दिल्ली



पूरा नाम	सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय'
जन्म	07 मार्च, 1911
जन्म भूमि	कुशीनगर, उत्तर प्रदेश
अवसान	04 अप्रैल 1987 ई., दिल्ली
अभिभावक	हीरानंद शास्त्री
कर्म भूमि	दिल्ली
कर्म क्षेत्र	कवि, उपन्यासकार, कथाकार, पत्रकार और संपादक
मुख्य रचनाएं	शेखर एक जीवनी, आँगन के पार द्वार, तार सप्तक, कितनी नावों में कितनी बार एवं त्रिशंकु आदि।
भाषा	संस्कृत, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला

अज्ञेय प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। प्रारंभिक शिक्षा-दीक्षा पिता की देख-रेख में घर पर ही संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा व साहित्य के अध्ययन के साथ हुई। 1929 में बी. एस.सी. करने के बाद एम.ए. में उन्होंने अंग्रेजी विषय लिया पर क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के कारण पढ़ाई पूरी न हो सकी। 1936-37 में सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। 1943 से 1946 तक ब्रिटिश सेना में रहे; इसके बाद इलाहाबाद से प्रतीक नामक पत्रिका निकाली और ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी स्वीकार की। इन्होंने दिनमान साप्ताहिक, नवभारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र वाक् और एवरीमैस जैसी प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया। 1980 में उन्हें वत्सलनिधि नामक एक न्यास की स्थापना की जिसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना था। दिल्ली में ही 04 अप्रैल 1987 को इनकी मृत्यु हुई।

इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं-

जगत है सापेक्ष, या है कलुष, तो सौंदर्य भी है
हैं जटिलताएं अनेकों-अंत में, सौकर्य भी है।

डॉ.इकबाल हिंदी पुस्तकालय क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान,चंदौसी



पूरा नाम	मोहम्मद इकबाल
जन्म	09 नवम्बर 1877
जन्म भूमि	सियालकोट, पाकिस्तान
अवसान	21 अप्रैल 1938 ई., लाहौर
अभिभावक	पिता - शेख नूर मोहम्मद. माता - इमाम बीबी
कर्म भूमि	पंजाब
कर्म क्षेत्र	कवि और शायर
मुख्य रचनाएं	शिकवा 1909, सिक्स लैक्चर्स ऑन दि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजस थॉट, इल्म उल इकतिसाद (1903) एवं गीत- सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा आदि।
भाषा	हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी

मुहम्मद इकबाल मसऊदी अविभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि, नेता और दार्शनिक थे। उर्दू और फ़ारसी में इनकी शायरी को आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ शायरी में गिना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में असरार-ए-खुदी, रुमुज़-ए-बेखुदी और बंग-ए-दारा शामिल हैं। इकबाल मसऊदी ने हिन्दुस्तान की आज़ादी से पहले "तराना-ए-हिन्द" लिखा था, जिसके प्रारंभिक बोल- "सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्तां हमारा" थे। उस समय वो इस सामूहिक देशभक्ति गीत से अविभाजित हिंदुस्तान के लोगों को एक रहने की नसीहत देते थे और वो इस गीत के कुछ अंश में सभी धर्मों के लोगों को 'हिंदी है हम वतन है' कहकर देशभक्ति और राष्ट्रवाद की प्रेरणा देते हैं। भारत के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना का विचार सबसे पहले इकबाल ने ही उठाया था। इन्हें पाकिस्तान में राष्ट्रकवि माना जाता है। इकबाल का खुदी का सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व पर काम करना चाहिए। व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए, नई-नई इच्छाएं उसके अंदर सृजित होनी चाहिए और उनकी प्राप्ति के लिए उसे हमेशा तत्पर रहना चाहिए।

इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं-

सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क़ के इम्तिहां और भी हैं
तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा तिरे सामने आसमां और भी हैं।

सआदत हसन मंटो हिंदी पुस्तकालय यातायात लेखा कार्यालय, जलंधर शहर



पूरा नाम	सआदत हसन मंटो
जन्म	11 मई 1912
जन्म भूमि	समराला
अवसान	18 जनवरी, 1955 ई., लाहौर
अभिभावक	गुलाम हसन मंटो और सरदार बेगम
कर्म भूमि	पंजाब और मुंबई
कर्म क्षेत्र	गद्य और पद्य
मुख्य रचनाएं	टोबा टेक सिंह एवं कहानियाँ आदि
भाषा	उर्दू

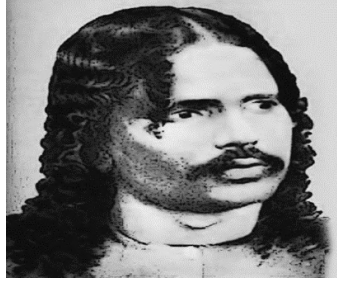
सआदत हसन मंटो का जन्म 11 मई, 1912 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था और 18 जनवरी 1955 को 43 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। मंटो देश के बंटवारे के वक्त भारत से पाकिस्तान चले गए थे और अपनी आखिरी सांस भी वहीं ली। मंटो अपने बारे में कहते हैं, "मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना मेरा जन्म था। मैं पंजाब के एक अज्ञात गांव 'समराला' में पैदा हुआ। उर्दू लेखक थे, जो अपनी लघु कथाओं, बू, खोल दो, ठंडा गोश्त और चर्चित टोबा टेकसिंह के लिए प्रसिद्ध हुए। कहानीकार होने के साथ-साथ वे फिल्म और रेडियो पटकथा लेखक और पत्रकार भी थे। अपने छोटे से जीवनकाल में उन्होंने बाइस लघु कथा संग्रह, एक उपन्यास, रेडियो नाटक के पांच संग्रह, रचनाओं के तीन संग्रह और व्यक्तिगत रेखाचित्र के दो संग्रह प्रकाशित किए। कहानियों में अश्लीलता के आरोप की वजह से मंटो को छह बार अदालत जाना पड़ा था, जिसमें से तीन बार पाकिस्तान बनने से पहले और बनने के बाद, लेकिन एक भी बार मामला साबित नहीं हो पाया। इनकी कुछ कृतियों का दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है।

नंदिता दास द्वारा बनाई गई मंटो (2018 फिल्म) और नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभिनीत, एक बॉलीवुड फिल्म है जो मंटो के जीवन पर आधारित है।

इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं-

वेश्या का मकान खुद एक जनाज़ा है, जो समाज अपने कंधों पर उठाए हुए हैं।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र हिंदी पुस्तकालय दावा कार्यालय, वाराणसी



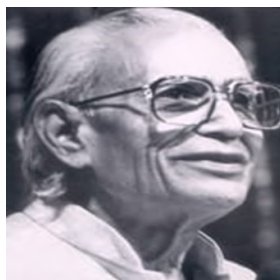
पूरा नाम	भारतेन्दु हरिश्चंद्र
जन्म	09 सितंबर, 1850
जन्म भूमि	काशी, उत्तर प्रदेश
अवसान	06 जनवरी 1885 ई, वाराणसी
अभिभावक	पिता - श्री गोपाल चंद्र. माता - पार्वती देवी
कर्म भूमि	उत्तर प्रदेश
कर्म क्षेत्र	गद्य, पद्य, पत्रकारिता, अनुवाद और संपादन
मुख्य रचनाएं	भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, बकरी का विलाप, विद्या सुन्दर (अनूदित) एवं मुद्राराक्षस (अनूदित) आदि।
भाषा	ब्रज भाषा, खड़ी बोली

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। हिंदी को राष्ट्र-भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। भारतेन्दु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। हिंदी में नाटकों का प्रारम्भ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से माना जाता है। भारतेन्दु के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्यासुन्दर (1867) नाटक के अनुवाद से होती है। यद्यपि नाटक उनके पहले भी लिखे जाते रहे हैं, किन्तु नियमित रूप से खड़ी बोली में अनेक नाटक लिखकर भारतेन्दु ने ही हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। उन्होंने 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका', 'कविवचनसुधा' और 'बाला बोधिनी' आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इसके अलावा वे लेखक, कवि, सम्पादक, निबन्धकार, एवं कुशल वक्ता भी थे। भारतेन्दु जी ने मात्र चौंतीस वर्ष की अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की। उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा और इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचनाकर्म पथदर्शक बन गया।

इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं-

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को शूल।

धर्मवीर भारती हिंदी पुस्तकालय यातायात लेखा कार्यालय, नई दिल्ली



पूरा नाम	धर्मवीर वर्मा
जन्म	25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद के अतरसुइया नामक मोहल्ले में
जन्म भूमि	वाराणसी
अवसान	04 सितंबर 1997 ई., मुंबई
अभिभावक	पिता - श्री चिरंजीवलाल वर्मा और माता - श्रीमती चंदादेवी
कर्म भूमि	मुंबई
कर्म क्षेत्र	निबंधकार, उपन्यासकार, कवि
मुख्य रचनाएं	गुनाहों का देवता, सूरज का सातवाँ घोड़ा एवं अंधा युग आदि
भाषा	खड़ी बोली

धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। वे एक समय की प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। डॉ धर्मवीर भारती को 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका उपन्यास गुनाहों का देवता सदाबहार रचना मानी जाती है। सूरज का सातवाँ घोड़ा को कहानी कहने का अनुपम प्रयोग माना जाता है, जिस पर श्याम बेनेगल ने इसी नाम की फिल्म बनायी, अंधा युग उनका प्रसिद्ध नाटक है। धर्मवीर भारती का जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उन्हें जीवन में दो ही शौक थे : अध्ययन और यात्रा। रामायण, महाभारत और श्रीमद्भागवत। प्रसाद और शरतचन्द्र का साहित्य उन्हें विशेष प्रिय था। आलोचकों ने भारती जी को प्रेम और रोमांस का रचनाकार माना है। उनकी कविताओं, कहानियों और उपन्यासों में प्रेम और रोमांस का यह तत्व स्पष्ट रूप से मौजूद है। परंतु उसके साथ-साथ इतिहास और समकालीन स्थितियों पर भी उनकी पैनी दृष्टि रही है। वे न तो किसी एक का अंधा विरोध करते हैं, न अंधा समर्थन।

इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं-

अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी न बनें।
जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो फलीभूत होने दो।

स्वामी विवेकानंद हिंदी पुस्तकालय सिगनल प्रशिक्षण केंद्र, गाजियाबाद



पूरा नाम	नरेन्द्रनाथ दत्त
जन्म	12 जनवरी सन् 1863
जन्म भूमि	कोलकाता
अवसान	04 जुलाई 1902 ई., बेलूर मठ बंगला
अभिभावक	पिता - विश्वनाथ दत्त और माता - भुवनेश्वरी देवी
गुरु	रामकृष्ण परमहंस
कर्म भूमि	बेलूर मठ
कर्म क्षेत्र	रामकृष्ण मिशन
मुख्य रचनाएं	कर्म योग, राजयोग -पुस्तक एवं कोलंबो से अल्मोड़ा तक के व्याख्यान आदि।

स्वामी विवेकानन्द का जन्म 12 जनवरी सन् 1863 को कोलकाता में एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का घर का नाम वीरेश्वर था, उनका वास्तविक नाम नरेन्द्रनाथ दत्त था। आप वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। आपने शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म सभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। आपने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उनके ओजस्वी विचार युवाओं को बहुत प्रेरित करते हैं।

इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं-

जैसा तुम सोचते हो, वैसे ही बन जाओगे।
खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे।

**रामविलास शर्मा हिंदी पुस्तकालय
रॉलिंग स्टॉक वर्कशॉप, चारबाग लखनऊ**



पूरा नाम	डॉ० राम विलास शर्मा
जन्म	10 अक्तूबर 1912
जन्म भूमि	ग्राम - ऊँचगांव-सानी, जिला - <u>उन्नाव</u> , <u>उत्तर प्रदेश</u>
अवसान	30 मई 2000 ई., आगरा, उत्तर प्रदेश
अभिभावक	पिता - जामुन पासवान, माता - सिया देवी
कर्म भूमि	उत्तर प्रदेश
कर्म क्षेत्र	उपन्यास, आलोचना, इतिहास और काव्य
मुख्य रचनाएं	रूपतरंग, तार सप्तक, सदियों के सोये जाग उठे एवं चार दिन आदि
भाषा	हिंदी

डॉ० रामविलास शर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि थे। पेशे से अंग्रेजी के प्रोफेसर, दिल से हिंदी के प्रकांड विद्वान और गहरे विचारक, ऋग्वेद और मार्क्स के अध्येता, कवि, आलोचक, इतिहासवेत्ता, भाषाविद, राजनीति-विशारद। ये सब विशेषण उन पर समान रूप से लागू होते हैं। उन्नाव जिला के ऊँचगाँव सानी में जन्मे डॉ. रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एम.ए. किया और वहीं अस्थाई रूप से अध्यापन करने लगे। डॉ. रामविलास शर्मा के साहित्यिक जीवन का आरंभ 1934 से होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉ. रामविलास शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं, जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। शर्मा का लेखन बहुआयामी है। मुख्य रूप से साहित्य के आलोचक होते हुए भी उन्होंने भाषा विज्ञान, इतिहास तथा समाज एवं संस्कृति के सन्दर्भों में सुविस्तीर्ण लेखन किया है। उनकी साहित्यिक आलोचना की तीन पुस्तकें - **प्रगति और परम्परा** (1949), **संस्कृति और साहित्य** (1949) तथा **साहित्य** अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं-

अज्ञान-निशा का बीत चुका है अंधकार,
खिल उठा गगन में अरुण-ज्योति का सहस्रार
किरणों ने नभ में जीवन के लिख दिए लेख,
गाते हैं वन के विहाग ज्योति के गीत एक।

डॉ. दशरथ ओझा हिंदी पुस्तकालय दावा कार्यालय, नई दिल्ली



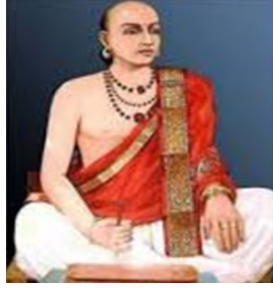
पूरा नाम	डॉ. दशरथ ओझा
जन्म	18 जनवरी 1909
जन्म भूमि	वाराणसी
अवसान	04 अप्रैल 1994 ई., दिल्ली
कर्म भूमि	दिल्ली
कर्म क्षेत्र	नाट्य आलोचना, उपन्यास
मुख्य रचनाएं	हिंदी नाटक: उद्भव और विकास, आज का हिंदी नाटक: प्रगति और प्रभाव एवं आदि शंकराचार्य
भाषा	हिंदी

डॉ. दशरथ ओझा विलक्षण सौम्यता और विनम्रता के धनी थे। वाराणसी के एक गांव में 18 जनवरी 1909 को उनका जन्म हुआ था। काशी, प्रयाग तथा दिल्ली में उनकी शिक्षा हुई। साहित्य में उनकी आरंभ से ही रुचि रही। बनारस हिंदी विश्वविद्यालय के हिंदू हाई स्कूल में अध्यापक के रूप में काम करने के बाद वे दिल्ली लौट आए और राजधानी के प्रसिद्ध स्कूल में कार्य करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद से 1974 में रिटायर होने के बाद यू जी सी में काम करते हुए कई विश्वविद्यालयों का भ्रमण करते हुए राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। उनका शोध प्रबंधक **हिंदी नाटक: उद्भव और विकास** 1954 में प्रसिद्ध हुआ। दिल्ली में काम करते हुए डॉ ओझा गांधी जी के संपर्क में आए। उनका व्यक्तित्व सबसे अलग और प्रेमपूर्ण था। 85 वर्ष की अवस्था में अचानक हृदय गति रूक जाने से 04 अप्रैल 1994 को उनका अवसान हो गया।

इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं-

भारतेंदु जी के एक-एक नाटक का हम विस्तृत विवेचन कर आए हैं। उस विवेचन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारतेंदु जी ने परंपरागत नाट्य-कला पद्धति के प्रवाह में यूरोपीय नाट्य-कला की धारा संयुक्त कर दी।

महाकवि बाणभट्ट हिंदी पुस्तकालय जगाधरी वर्कशाप



पूरा नाम	बाणभट्ट
जन्म	सातवीं शताब्दी
जन्म भूमि	गांव - प्रीतिकूट नगर सोन नदी के पास (वर्तमान छपरा, बिहार)
अभिभावक	पिता - चित्रभानु, माता - राजदेवी
कर्म क्षेत्र	गद्य लेखन
मुख्य रचनाएं	हर्षचरितम्, कादम्बरी
भाषा	संस्कृत

बाणभट्ट सातवीं शताब्दी के संस्कृत गद्यकार और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के "आस्थान कवि" थे। उनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं: हर्षचरितम् तथा कादम्बरी। हर्षचरितम्, राजा हर्षवर्धन का जीवन-चरित्र है और कादम्बरी विश्व का पहला उपन्यास। दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य के महत्त्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। बाणभट्ट का संस्कृत महाकवियों में विशिष्ट महत्त्व है। कादम्बरी और हर्षचरितम् के अतिरिक्त कई दूसरी रचनाएँ भी बाण भट्ट की मानी जाती हैं। उनमें से मार्कण्डेय पुराण के देवी महात्म्य पर आधारित दुर्गा का स्तोत्र चंडीशतक है। बाणभट्ट की भाषा शैली प्रौढ़ है, बाणभट्ट का भाव एवं कल्पना पर अद्वितीय अधिकार था। बाणभट्ट का भाव एवं कल्पना पर अद्वितीय अधिकार था। बाण की कृतियों में भावों की समृद्धि एवं अभिव्यक्ति की प्रचुरता होने से वे सहृदयों के हृदयों पर प्रभाव डालती है।

इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं-

लोके हि लोहेभ्यः कठिनतराः खलु स्नेहमया बन्धुपाशाः।
संसार में स्नेह के बंधन पाश लोहे से भी अधिक सख्त होते हैं।

मोहन राकेश हिंदी पुस्तकालय यांत्रिक कारखाना, अमृतसर



पूरा नाम	मोहन राकेश (मूल नाम - मदन मोहन गुगलानी)
जन्म	08 जनवरी 1925
जन्म भूमि	अमृतसर, पंजाब
अवसान	3 दिसंबर 1972 ई., दिल्ली
अभिभावक	कर्मचंद गुगलानी
कर्म भूमि	दिल्ली
कर्म क्षेत्र	नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, अध्यापन कार्य
मुख्य रचनाएं	अंधेरे बंद कमरे, आषाढ़ का एक दिन, आधे-अधूरे एवं लहरों के राजहंस आदि
भाषा	खड़ी बोली (हिंदी भाषा) और अंग्रेजी

मोहन राकेश ने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेज़ी में एम ए किया। कुछ वर्षों तक 'सारिका' के संपादक भी रहे। 'संगीत नाटक अकादमी' पुरस्कार (1968) और नेहरु फेलोशिप से सम्मानित हुए। मोहन राकेश मूलतः एक सिंधी परिवार से थे। वे हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाट्य लेखक और उपन्यासकार थे। मोहन राकेश की डायरी हिंदी में इस विधा की सबसे सुंदर कृतियों में एक मानी जाती है। मोहन राकेश को कहानी के बाद सफलता नाट्य-लेखन के क्षेत्र में मिली। हिंदी नाट्य साहित्य में भारतेन्दु और प्रसाद के बाद यदि लीक से हटकर कोई नाम उभरता है तो मोहन राकेश का। प्रमुख कृतियाँ उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, अन्तराल, न आने वाला कल, काँपता हुआ दरिया (अपूर्ण), नीली रोशनी की बाँहें। नाटक-आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन।

इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं-

कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो।

**गौरा पंत शिवानी हिंदी पुस्तकालय
सवारी डिब्बा कारखाना, आलमबाग लखनऊ**



पूरा नाम	गौरा पंत
जन्म	17 अक्टूबर 1923
जन्म भूमि	राजकोट, गुजरात
अवसान	21 मार्च 2003 ई. दिल्ली
अभिभावक	पिता - अश्विनी कुमार पांडे एवं माता - रानी कुशवाहा
कर्म भूमि	उत्तर प्रदेश, भारत
कर्म क्षेत्र	उपन्यास, आत्मकथा, कहानी, संस्मरण एवं यात्रा वृत्तांत
मुख्य रचनाएं	कृष्णाकली, भैरवी, शान्ति निकेतन, विषकन्या एवं चौदह फेरे आदि
भाषा	हिंदी, गुजराती

शिवानी हिंदी की एक कहानीकार एवं उपन्यासकार थीं। शिवानी का वास्तविक नाम 'गौरा पंत' था, किन्तु ये 'शिवानी' नाम से लेखन करती थीं। शिवानी का जन्म 17 अक्टूबर 1923 को विजयदशमी के दिन राजकोट, गुजरात में हुआ था। इनकी शिक्षा शान्ति निकेतन में हुई। साठ और सत्तर के दशक में, इनकी लिखी कहानियाँ और उपन्यास हिंदी पाठकों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हुई और आज भी लोग उन्हें बहुत चाव से पढ़ते हैं। शिवानी का निधन 2003 ई. में हुआ। हिंदी साहित्य जगत में शिवानी एक ऐसी शख्सियत रहीं, जिनकी हिंदी, संस्कृत, गुजराती, बंगाली, उर्दू तथा अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ रही। शिवानी अपनी कृतियों में उत्तर भारत के कुमाऊँ क्षेत्र के आस-पास की लोक-संस्कृति की झलक दिखलाने और किरदारों के बेमिसाल चरित्र चित्रण करने के लिए जानी गई। उनकी लिखी कृतियों में कृष्णाकली, भैरवी, आमादेर शान्ति निकेतन, विषकन्या एवं चौदह फेरे आदि प्रमुख हैं। शिवानी की मशहूर कहानियाँ, झरोखा, मृणमाला की हँसी रतिविलाप आदि हैं।

इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-

“जैसा जीवन जिया हो उसकी छाप मानव चेहरे को सचमुच ही अपने रंग में रंग देती है,
इसमें कोई संदेह नहीं। (‘अपराधी कौन’ से)

कैफ़ी आजमी हिंदी पुस्तकालय भंडार आलमबाग, लखनऊ



पूरा नाम	अतहर हुसैन रिजवी
जन्म	14 जनवरी 1919
जन्म भूमि	गांव मिजवां, जिला - आजमगढ़, उत्तर प्रदेश
अवसान	10 मई 2002 ई., मुंबई
अभिभावक	सैय्यद फतेह हुसैन रिजवी
कर्म भूमि	मुंबई
कर्म क्षेत्र	कविता एवं गीत
मुख्य रचनाएं	इंकार, आखिर-ए-शब, आवारा सज़दे, सरमाया एवं मेरी आवाज सुनो
भाषा	उर्दू

कैफ़ी आजमी एक उर्दू के शायर थे। कैफ़ी का असली नाम अख्तर हुसैन रिजवी था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के छोटे से गांव मिजवां में 14 जनवरी 1919 में जन्म हुआ तथा गांव के सीधे साधे माहौल में कविताएं पढ़ने का शौक लगा। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली गज़ल लिखी। वर्ष 1936 में साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हुए और सदस्यता ग्रहण कर ली। कैफ़ी ने उर्दू जर्नल 'मजदूर चमोहल्ला' का संपादन किया। वे सिर्फ गीतकार ही नहीं बल्कि पटकथाकार के रूप में भी स्थापित हो गए। वर्ष 1973 में ब्रेनहैमरेज से लड़ते हुए जीवन को एक नया दर्शन मिला - बस दूसरों के लिए जीना है। 10 मई 2002 को कैफ़ी यह गुनगुनाते हुए इस दुनिया से चल दिए : ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। उनकी रचनाओं में आवारा सज़दे, इंकार एवं आखिरे-शब आदि प्रमुख हैं।

इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं-

कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों

**पंडित श्रद्धाराम फिलौरी हिंदी पुस्तकालय
पुल कारखाना, जलंधर छावनी, पंजाब**



पूरा नाम	पंडित श्रद्धाराम शर्मा
जन्म	30 सितंबर 1837
जन्म भूमि	फिल्लौर, जलंधर, पंजाब
अवसान	24 जून 1881 ई., लाहौर, पाकिस्तान
अभिभावक	जयदयालु
कर्म भूमि	पंजाब
कर्म क्षेत्र	गद्य और पद्य
मुख्य रचनाएं	सिखन दे राज दी विथिया (सिख शासन की कहानी), पंजाबी बैचलेट, भाग्यवती, सत्य धर्म मुक्तावली, शतोपदेश एवं सत्यामृत प्रवाह आदि।
भाषा	हिंदी, पंजाबी, उर्दू एवं संस्कृत

पंडित श्रद्धाराम शर्मा अथवा 'श्रद्धाराम फिल्लौरी' का जन्म 30 सितम्बर, 1837 को जलंधर, पंजाब में हुआ। पंडित श्रद्धाराम शर्मा द्वारा लिखित अमर आरती 'ओम जय जगदीश हरे' की आरती सम्पूर्ण भारत में गाई जाती है। पंडित श्रद्धाराम शर्मा जी ने इस आरती की रचना 1870 ई. में की थी। पंडित श्रद्धाराम सनातन धर्म प्रचारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और संगीतज्ञ होने के साथ-साथ हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे। अपनी विलक्षण प्रतिभा और ओजस्वी वाक्पटुता के बल पर उन्होंने पंजाब में नवीन सामाजिक चेतना एवं धार्मिक उत्साह जगाया था। उन्होंने सात साल की उम्र तक गुरुमुखी में पढ़ाई की। दस साल की उम्र में संस्कृत, हिंदी, फ़ारसी तथा ज्योतिष की पढ़ाई शुरू की और कुछ ही वर्षों में वे इन सभी विषयों के निष्णात हो गए। पं. श्रद्धाराम ने पंजाबी (गुरुमुखी) में 'सिक्खां दे राज दी विथियाँ' और 'पंजाबी बातचीत' जैसी पुस्तकें लिखीं। उन्होंने हिंदी में ज्योतिष पर कई किताबें भी लिखीं।

इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं-

अमर आरती "ओम जय जगदीश हरे"

डॉ. इन्द्रनाथ मदान हिंदी पुस्तकालय कालका वर्कशाप



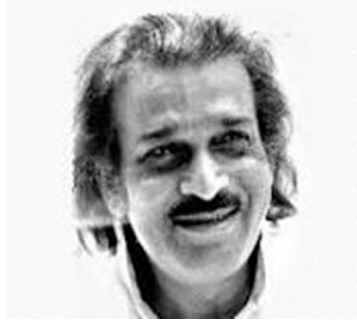
पूरा नाम	डॉ. इन्द्रनाथ मदान
जन्म	01 मार्च, 1914
जन्म भूमि	गांव - गिरोट, जिला - सरगोधा, पश्चिमी पाकिस्तान
कर्म भूमि	लाहौर, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला
कर्म क्षेत्र	समीक्षा, अध्यापन, आलोचना, ललित निबंध
मुख्य रचनाएं	हिंदी काव्य विवेचना, काव्य सीकर, तुलसीदास : चिंतन और कला
भाषा	हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी

डॉ. इन्द्रनाथ मदान पंजाब यूनीवर्सिटी में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रहे। हिंदी साहित्य में समीक्षा को एक नया आयाम देने वाले समीक्षकों में उल्लेखनीय नाम है, डॉ. इन्द्रनाथ मदान का। इन्होंने समीक्षा के मानदंड पर चर्चा करते हुए एक बात कही थी कि पुस्तक की समीक्षा किसी और मानदंड से न करके 'कृति की राह से गुजर कर करनी चाहिए। इनकी प्रकाशित प्रमुख कृतियाँ हैं—'आधुनिकता और हिंदी साहित्य', 'आधुनिकता और हिंदी आलोचना', 'आधुनिकता और हिंदी उपन्यास', 'प्रेमचंद : एक विवेचना', 'आधुनिकता और सृजनात्मक साहित्य', सं. : 'महादेवी : चिन्तन और कला', सं. : 'निराला' आदि।

इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-

प्रश्न चिन्हों की निरंतरता ही आधुनिकता है।

सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हिंदी पुस्तकालय भंडार डिपो, शकूरबस्ती डिपो



पूरा नाम	सर्वेश्वर दयाल सक्सेना
जन्म	15 सितंबर 1927
जन्म भूमि	बस्ती, उत्तर प्रदेश
अवसान	23 सितंबर 1983 ई., नई दिल्ली
अभिभावक	पिता - विश्वेश्वर दयाल
कर्म भूमि	उत्तर प्रदेश, दिल्ली
कर्म क्षेत्र	कविता, कहानी, नाटक और बाल साहित्य
मुख्य रचनाएं	खूंटियों पर टंगे लोग, बकरी, इब्न बतूता का जूता एवं बांस का पुल आदि
भाषा	हिंदी

सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। वे एक हिंदी लेखक, कवि, स्तंभकार और नाटककार थे। वे उन सात कवियों में से एक थे, जिनकी रचनाएँ पहली बार "तार सप्तक" में प्रकाशित हुईं, जिसने 'प्रयोगवाद' युग की शुरुआत की, जो आगे चलकर "नई कविता" आंदोलन बन गया। आज वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपने कविता संग्रह, खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। उनकी लघु कहानी, बकरी ("बलि का बकरा"), को एम.एस. सथू द्वारा कन्नड़ में 'कुरी.कॉम' के रूप में रूपांतरित किया गया है, उन्होंने बच्चों की कई कविताएँ भी लिखीं जिनमें से इब्न बतूता का जूता सबसे लोकप्रिय है। उन्होंने बच्चों की पत्रिका पराग का संपादन किया।

इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-

यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हों, तो क्या
तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो।

दीनू भाई पंत हिंदी पुस्तकालय जम्मूतवी/यूएसबीआरएल



पूरा नाम	दीनू भाई पंत
जन्म	11 मई 1917
जन्म भूमि	गांव - पैथल, जम्मू-कश्मीर
अवसान	1992
अभिभावक	पंडित जगतराम
कर्म भूमि	पद्य और गद्य
कर्म क्षेत्र	जम्मू
मुख्य रचनाएं	शहर पैहलो पहल गए (कविता), सरपंच (नाटक), मेरे देसाई दा शालैपा (गीत), मखनो मखणओ (गीत), अयोधिया (नाटक) एवं गुटलुन
भाषा	डोगरी एवं हिंदी

दीनू भाई पंत की रचनाएँ डोगरी भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने वाली हैं। उन्हें भारत में डोगरी साहित्य के वरिष्ठ और समादृत कवियों और नाटककारों में से एक माना जाता है। उन्हें डोगरी में आधुनिक कविता का पुरोधा कहा जाता है और वे मूल रूप से अपनी प्रगतिशील विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। दीनू भाई पंत डोगरी भाषा के विख्यात साहित्यकार थे। इनके द्वारा रचित एक नाटक अयोधिया के लिये उन्हें सन् 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं-

आशा विश्वास के द्वार खुल गए हैं
सब जीव अपना दुःख भूल गए हैं।
कैसे कोई भूले, यह है बड़ी अमोली,
कौन है जो छिप कर खेलता होली ?

दुर्गा भाभी हिंदी पुस्तकालय सिगनल वर्कशाप, गाज़ियाबाद



पूरा नाम	दुर्गावती देवी (दुर्गा भाभी)
जन्म	7 अक्टूबर 1907
जन्म भूमि	गाँव - शहजादपुर, जिला - इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
अवसान	15 अक्टूबर, 1999 ई., गाज़ियाबाद
अभिभावक	पिता - पंडित बांके बिहारी लाल भट्ट एवं माता - श्रीमती यमुना
कर्म भूमि	उत्तर प्रदेश, दिल्ली
कर्म क्षेत्र	भारतीय क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी
भाषा	हिंदी

दुर्गा भाभी एक सशक्त नारी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की प्रमुख सहयोगी थीं। भारत की प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारियों में क्रांति मूर्ति दुर्गा भाभी का नाम लिया जाता है। उनका वास्तविक नाम दुर्गावती देवी था, किंतु क्रांतिकारियों के बीच वह दुर्गा भाभी के नाम से अधिक जानी जाती थीं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तथा चंद्रशेखर आजाद आदि उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। वह अद्भुत साहस व शौर्य की वीरांगना थी। जिन्होंने अपने क्रांतिकारी जीवन में कई साहसिक गतिविधियों को अंजाम दिया जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को लाहौर से सही-सलामत निकालने की साहसिक घटना शामिल है। दुर्गा भाभी क्रांतिकारी श्री भगवती चरण बोहरा की धर्म पत्नी थीं। पति की मृत्यु के बाद काफी दिनों तक क्रांतिकारियों का जी-जान से सहयोग करती रहीं। **1940 में लखनऊ में मांटेसरी विद्यालय खोला।** आज भी यह विद्यालय लखनऊ में मांटेसरी इंटर कालेज के नाम से जाना जाता है। 15 अक्टूबर 1999 को गाज़ियाबाद में 92 वर्ष की उम्र में वह भारत माता को अलविदा कह गईं।

इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं-

दुनिया का इतिहास हमारे सामने यही रहा है कि जब भी कहीं आजादी की लड़ाई हुई है तो इसमें हिंसा हुई है, और हिंसा होने के बाद ही एक सामाजिक परिवर्तन आता है वरना सामाजिक ढांचा वहीं का वहीं रह जाता है।

लक्ष्मी नारायण लाल हिंदी पुस्तकालय पुल कारखाना, चारबाग, लखनऊ



पूरा नाम	लक्ष्मी नारायण लाल
जन्म	4 मार्च 1927
जन्म भूमि	गांव - जलालपुर, जिला - बस्ती, उत्तर प्रदेश
अवसान	20 नवंबर 1987 ई., दिल्ली
अभिभावक	श्री शिवसेवक लाल और मूँगा देवी
कर्म भूमि	उत्तर प्रदेश, दिल्ली
कर्म क्षेत्र	अध्यापन, नाटककार, समीक्षक, एकांकीकार
मुख्य रचनाएं	ताजमहल के आँसू (एकांकी), अंधा कुआँ, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर एवं तीन आँखों वाली मछली
भाषा	हिंदी

श्री लक्ष्मी नारायण लाल सुप्रसिद्ध हिंदी नाटककार, आलोचक, एकांकीकार एवं समीक्षक होने के साथ-साथ कहानीकार एवं उपन्यासकार भी थे। साहित्य की अनेक विधाओं में सृजन करने के बावजूद सर्वाधिक ख्याति उन्हें नाटककार के रूप में मिली। समीक्षक के रूप में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण है। लक्ष्मीनारायण लाल की प्रतिभा बहुमुखी थी। कहानी, उपन्यास, नाटक एवं समीक्षा, इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने पर्याप्त मात्रा में लिखा तथा महत्वपूर्ण कृतियाँ दीं। 20 नवंबर 1987 को दिल्ली में उनका अवसान हो गया।

इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-

आधुनिक हिन्दी कहानी का स्थान और उसका मूल्यांकन तथा उसके अभ्यन्तर में जितनी शक्तियाँ कार्य कर रही हैं, उन सबका लेखा-जोखा तथा विवेचन बड़ी गहन दृष्टि की माँग करता है। इसकी जय-यात्रा प्रेमचन्द से शुरू होकर आज तक की नई कहानी तक अबाध गति से प्रवाहमान है।

संवैधानिक प्रावधान

भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित भाग-17

अध्याय 1-संघ की भाषा

अनुच्छेद 120. संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा - (1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा:

परंतु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृ-भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकेगा।

(2) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो “या अंग्रेजी में” शब्दों का उसमें से लोप कर दिए गए हैं।

अनुच्छेद 210: विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा - (1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा:

परंतु, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। (यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं है)

(2) जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो “या अंग्रेजी में” शब्दों का उसमें से लोप कर दिए गए हों :

"परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में, यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले “पंद्रह वर्ष” शब्दों के स्थान पर “पच्चीस वर्ष” शब्द रख दिए गए हों :

परंतु यह और कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले “ पंद्रह वर्ष ” शब्दों के स्थान पर “ चालीस वर्ष ” शब्द रख दिए गए हों।

अनुच्छेद 343. संघ की राजभाषा-

(1) संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था :

परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पंद्रह वर्ष की अवधि के पश्चात, विधि द्वारा

(क) अंग्रेजी भाषा का, या

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति-

(1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

(2) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को--

(क) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग:

(ख) संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों:

(ग) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा:

(घ) संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप:

(ङ) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करे।

(1)खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

(4) एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(2)समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे।

(6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश दे सकेगा।

अध्याय 2- प्रादेशिक भाषाएं

अनुच्छेद 345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं-

अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा:

परंतु जब तक राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

अनुच्छेद 346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा-

संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी :

परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध--

यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

अध्याय 3 - उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

अनुच्छेद 348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा-

(1) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक-

(क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां

(i) संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,

(ii) संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के, और

(iii) इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।

(2) खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा:

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होगी।

(3) खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने, उस विधान-मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iv) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

अनुच्छेद 349. भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया-

इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही देगा, अन्यथा नहीं।

अध्याय 4-- विशेष निदेश

अनुच्छेद 350. व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा-

प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 350 क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं-

प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

अनुच्छेद 350 ख. भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी-

(1) भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

(2) विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को

संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

अनुच्छेद 351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश-

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

राष्ट्रपति के आदेश, 1960

(गृह मंत्रालय की दि. 27 अप्रैल, 1960 की अधिसूचना संख्या 2/8/60-रा.भा., की प्रतिलिपि)

अधिसूचना

राष्ट्रपति का निम्नलिखित आदेश आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

आदेश

लोकसभा के 20 सदस्यों और राज्य सभा के 10 सदस्यों की एक समिति प्रथम-राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए और उनके विषय में अपनी राय राष्ट्रपति के समक्ष पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड (4) के उपबंधों के अनुसार नियुक्त की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष 8 फरवरी, 1959 को पेश कर दी। नीचे रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातें दी जा रही हैं जिनसे समिति के सामान्य दृष्टिकोण का परिचय मिल सकता है :-

(क) राजभाषा के बारे में संविधान में बड़ी समन्वित योजना दी हुई है। इसमें योजना के दायरे से बाहर जाए बिना स्थिति के अनुसार परिवर्तन करने की गुंजाइश है।

(ख) विभिन्न प्रादेशिक भाषाएं राज्यों में शिक्षा और सरकारी काम-काज के माध्यम के रूप में तेजी से अंग्रेजी का स्थान ले रही हैं। यह स्वाभाविक ही है कि प्रादेशिक भाषाएं अपना उचित स्थान प्राप्त करें। अतः व्यावहारिक दृष्टि से यह बात आवश्यक हो गई है कि संघ के प्रयोजनों के लिए कोई एक भारतीय भाषा काम में लाई जाए। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि यह परिवर्तन किसी नियत तारीख को ही हो। यह परिवर्तन धीरे-धीरे इस प्रकार किया जाना चाहिए कि कोई गड़बड़ी न हो और कम से कम असुविधा हो।

- (ग) 1965 तक अंग्रेजी मुख्य राजभाषा और हिन्दी सहायक राजभाषा रहनी चाहिए। 1965 के उपरान्त जब हिन्दी संघ की मुख्य राजभाषा हो जाएगी अंग्रेजी सहायक राजभाषा के रूप में ही चलती रहनी चाहिए।
- (घ) संघ के प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर कोई रोक इस समय नहीं लगाई जानी चाहिए और अनुच्छेद 343 के खंड (3) के अनुसार इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए कि 1965 के उपरान्त भी अंग्रेजी का प्रयोग इन प्रयोजनों के लिए, जिन्हें संसद विधि द्वारा उल्लिखित करे तब तक होता रहे जब तक वैसा करना आवश्यक रहे।
- (ड.) रिपोर्ट की प्रतियां संसद के दोनों सदनों के पटल पर 1959 के अप्रैल मास में रख दी गई थीं और रिपोर्ट पर विचार-विमर्श लोक सभा में 2 सितम्बर से 4 सितम्बर, 1959 तक और राज्य सभा में 8 और 9 सितम्बर, 1959 को हुआ था। लोक सभा में इस पर विचार-विमर्श के समय प्रधानमंत्री ने 4 सितम्बर, 1959 को एक भाषण दिया था। राजभाषा के प्रश्न पर सरकार का जो दृष्टिकोण है उसे उन्होंने अपने इस भाषण में मोटे तौर पर व्यक्त कर दिया था।

2. अनुच्छेद 344 के खंड (6) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है और राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर समिति द्वारा अभिव्यक्त राय को ध्यान में रखकर, इसके बाद निम्नलिखित निदेश जारी किए हैं।

3. शब्दावली-

आयोग की जिन मुख्य सिफारिशों को समिति ने मान लिया वे ये हैं-

- (क) शब्दावली तैयार करने में मुख्य लक्ष्य उसकी स्पष्टता, यथार्थता और सरलता होनी चाहिए;
- (ख) अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली अपनाई जाए, या जहां भी आवश्यक हो, अनुकूलन कर लिया जाए;
- (ग) सब भारतीय भाषाओं के लिए शब्दावली का विकास करते समय लक्ष्य यह होना चाहिए कि उसमें जहां तक हो सके अधिकतम एकरूपता हो; और
- (घ) हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं की शब्दावली के विकास के लिए जो प्रयत्न केन्द्र और राज्यों में हो रहे हैं उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए समुचित प्रबन्ध किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त समिति का यह मत है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सब भारतीय भाषाओं में जहां तक हो सके एकरूपता होनी चाहिए और शब्दावली लगभग अंग्रेजी या अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली जैसी होनी चाहिए। इस दृष्टि से समिति ने यह सुझाव दिया है कि वे इस क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए काम में समन्वय स्थापित करने और उसकी देखरेख के लिए और सब भारतीय भाषाओं को प्रयोग में लाने की दृष्टि से एक प्रामाणिक शब्दकोश निकालने के लिए ऐसा स्थाई आयोग कायम किया जाए जिसके सदस्य मुख्यतः वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद् हों।

शिक्षा मंत्रालय निम्नलिखित विषय में कार्रवाई करे -

- (क) अब तक किए गए काम पर पुनर्विचार और समिति द्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धान्तों के अनुकूल शब्दावली का विकास / विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वे शब्द, जिनका प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होता है, कम से कम परिवर्तन के साथ अपना लिए जाएं, अर्थात् मूल शब्द वे होने चाहिए जो कि आजकल अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली में काम आते हैं। उनसे व्युत्पन्न शब्दों का जहां भी आवश्यक हो भारतीयकरण किया जा सकता है:
- (ख) शब्दावली तैयार करने के काम में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रबन्ध करने के विषय में सुझाव देना, और
- (ग) विज्ञान और तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए समिति के सुझाव के अनुसार स्थाई आयोग का निर्माण।

4. प्रशासनिक संहिताओं और अन्य कार्य-विधि साहित्य का अनुवाद -

इस आवश्यकता को दृष्टि में रखकर कि संहिताओं और अन्य कार्यविधि साहित्य के अनुवाद में प्रयुक्त भाषा में किसी हद तक एकरूपता होनी चाहिए, समिति ने आयोग की यह सिफारिश मान ली है कि सारा काम एक अभिकरण को सौंप दिया जाए।

शिक्षा मंत्रालय सांविधिक नियमों, विनियम और आदेशों के अलावा बाकी सब संहिताओं और अन्य कार्यविधि साहित्य का अनुवाद करे। सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद संविधियों के अनुवाद के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है, इसलिए यह काम विधि मंत्रालय करे। इस बात का पूरा प्रयत्न होना चाहिए कि सब भारतीय भाषाओं में इन अनुवादों को शब्दावली में जहां तक हो सके एकरूपता रखी जाए।

5. प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग को हिन्दी का प्रशिक्षण—

- (क) समिति द्वारा अभिव्यक्त मत के अनुसार 45 वर्ष से कम आयु वाले सब केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए सेवा कालीन हिन्दी प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। तृतीय श्रेणी के ग्रेड से नीचे के कर्मचारियों और औद्योगिक संस्थाएं और कार्य प्रभारित कर्मचारियों के संबंध में यह बात लागू न होगी। इस योजना के अन्तर्गत नियत तारीख तक विहित योग्यता प्राप्त कर सकने के लिए कर्मचारी को कोई दंड नहीं दिया जाना चाहिए। हिन्दी भाषा की पढ़ाई के लिए सुविधाएं प्रशिक्षार्थियों को मुफ्त मिलती रहनी चाहिए।
- (ख) गृह मंत्रालय उन टाइपकारों और आशुलिपिकों का हिन्दी टाइपराइटिंग और आशुलिपि प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक प्रबन्ध करे जो केन्द्रीय सरकार की नौकरी में हैं।
- (ग) शिक्षा मंत्रालय हिन्दी टाइपराइटर्स के मानक की-बोर्ड (कुंजीपटल) के विकास के लिए शीघ्र कदम उठाए।

6. हिन्दी प्रचार -

(क) आयोग की इस सिफारिश से कि यह काम करने की जिम्मेदारी अब सरकार उठाए, समिति सहमत हो गई है। जिन क्षेत्रों में प्रभावी रूप से काम करने वाली गैर सरकारी संस्थाएं पहले से ही विद्यमान हैं उनमें उन संस्थाओं को वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता दी जाए और जहां ऐसी संस्थाएं नहीं हैं वहां सरकार आवश्यक संगठन कायम करे।

शिक्षा मंत्रालय इस बात की समीक्षा करे कि हिन्दी प्रचार के लिए जो वर्तमान व्यवस्था है वह कैसी चल रही है। साथ ही वह समिति द्वारा सुझाई गई दिशाओं में आगे कार्रवाई करे।

(ख) शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय परस्पर मिलकर भारतीय भाषा, विज्ञान भाषा-शास्त्र और साहित्य सम्बन्धी अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए समिति द्वारा सुझाए गए तरीके से आवश्यक कार्रवाई करें और विभिन्न भारतीय भाषाओं को परस्पर निकट लाने के लिए अनुच्छेद 351 में दिए गए निदेश के अनुसार हिन्दी का विकास करने के लिए आवश्यक योजना तैयार करें।

7. केन्द्रीय सरकारी विभाग के स्थानीय कार्यालयों के लिए भर्ती -

(क) समिति की राय है कि केन्द्रीय सरकारी विभागों के स्थानीय कार्यालय अपने आन्तरिक कामकाज के लिए हिन्दी का प्रयोग करें और जनता के साथ पत्र-व्यवहार में उन प्रदेशों की प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करें। अपने स्थानीय कार्यालयों में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग करने के वास्ते योजना तैयार करने में केन्द्रीय सरकारी विभाग इस आवश्यकता को ध्यान में रखें कि यथासंभव अधिक से अधिक मात्रा में प्रादेशिक भाषाओं में फार्म और विभागीय साहित्य उपलब्ध करा कर वहां की जनता को पूरी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

(ख) समिति की राय है कि केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक अभिकरणों और विभागों में कर्मचारियों की वर्तमान व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाए, कर्मचारियों का प्रादेशिक आधार पर विकेन्द्रीकरण कर दिया जाए, इसके लिए भर्ती के तरीकों और अर्हताओं में उपयुक्त संशोधन करना होगा।

स्थानीय कार्यालयों में जिन कोटियों के पदों पर कार्य करने वालों की बदली मामूली तौर पर प्रदेश के बाहर नहीं होती उन कोटियों के सम्बन्ध में यह सुझाव, कोई अधिवास सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाए बिना, सिद्धान्ततः मान लिया जाना चाहिए।

(ग) समिति आयोग की इस सिफारिश से सहमत है कि केन्द्रीय सरकार के लिए यह विहित कर देना न्यायसम्मत होगा कि उसकी नौकरियों में लगने के लिए अर्हता यह भी होगी कि उम्मीदवार को हिन्दी भाषा का सम्यक ज्ञान हो। पर ऐसा तभी किया जाना चाहिए जबकि इसके लिए काफी पहले से ही सूचना दे दी गई हो और भाषा-योग्यता का विहित स्तर मामूली हो और इस बारे में जो भी कमी हो उसे सेवाकालीन प्रशिक्षण द्वारा पूरा किया जा सकता है।

यह सिफारिश अभी हिन्दी भाषी क्षेत्रों के केन्द्रीय सरकारी विभागों में ही कार्यान्वित की जाए, हिन्दीतर भाषा-भाषी क्षेत्रों के स्थानीय कार्यालयों में नहीं।

(क), (ख) और (ग) में दिए गए निदेश भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग के अधीन कार्यालयों के सम्बन्ध में लागू न होंगे।

8. प्रशिक्षण संस्थान-

(क) समिति ने यह सुझाव दिया है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसे प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही बना रहे किन्तु शिक्षा सम्बन्धी कुछ या सभी प्रयोजनों के लिए माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग शुरू करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। रक्षा मंत्रालय अनुदेश पुस्तिकाओं इत्यादि के हिन्दी प्रकाशन आदि के रूप में समुचित प्रारम्भिक कार्रवाई करें, ताकि जहां भी व्यवहार्य हो शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग सम्भव हो जाए।

(ख) समिति ने सुझाव दिया कि प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए, अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही परीक्षा के माध्यम हों, किन्तु परीक्षार्थियों का यह विकल्प रहे कि वे सब या कुछ परीक्षा पत्रों के लिए उनमें से किसी एक भाषा को चुन लें और एक विशेष समिति यह जांच करने के लिए नियुक्त की जाए कि नियत कोटा प्रणाली अपनाए बिना प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग परीक्षा के माध्यम के रूप में कहां तक शुरू किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय को चाहिए कि वह प्रवेश परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे और कोई नियत कोटा प्रणाली अपनाए बिना परीक्षा के माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करे।

9. अखिल भारतीय सेवाओं और उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती

क) परीक्षा का माध्यम-

समिति की राय है कि

(क) परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना रहे और कुछ समय पश्चात् हिन्दी वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपना ली जाए। उसके बाद जब तक आवश्यक हो अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही परीक्षार्थी के विकल्पानुसार परीक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने की छूट हो; और

(ख) किसी प्रकार की नियत कोटा प्रणाली अपनाए बिना परीक्षा के माध्यम के रूप में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग शुरू करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाए।

कुछ समय के पश्चात् वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग शुरू करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श कर गृह मंत्रालय आवश्यक कार्रवाई करे। वैकल्पिक माध्यम के रूप में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करने से गम्भीर कठिनाइयां पैदा होने की संभावना है,

,इसलिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग शुरू करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए विशेषज्ञ समिति नियुक्त करना आवश्यक नहीं है।

(ख) भाषा विषयक प्रश्न-पत्र -

समिति की राय है कि सम्यक सूचना के बाद समान स्तर के दो अनिवार्य प्रश्न-पत्र होने चाहिए जिनमें से एक हिन्दी और दूसरा हिन्दी से भिन्न किसी भारतीय भाषा का होना चाहिए और परीक्षार्थी को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह इनमें से किसी एक को चुन ले।

अभी केवल एक ऐच्छिक हिन्दी परीक्षा पत्र शुरू किया जाए। प्रतियोगिता के फल पर चुने गए जो परीक्षार्थी इस परीक्षा पत्र में उत्तीर्ण हो गए हों, उन्हें भर्ती के बाद जो विभागीय हिन्दी परीक्षा देनी होती है उसमें बैठने और उसमें उत्तीर्ण होने की शर्त से छूट दी जाए।

10. अंक - जैसा कि समिति का सुझाव है केन्द्रीय मंत्रालयों का हिन्दी प्रकाशनों में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के अतिरिक्त देवनागरी अंकों के प्रयोग के सम्बन्ध में एक आधारभूत नीति अपनाई जाए, जिसका निर्धारण इस आधार पर किया जाए कि वे प्रकाशन किस प्रकार की जनता के लिए हैं और उसकी विषयवस्तु क्या है। वैज्ञानिक, औद्योगिक और सांख्यिकीय प्रकाशनों में, जिसमें केन्द्रीय सरकार का बजट सम्बन्धी साहित्य भी शामिल है, बराबर अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाए।

11. अधिनियमों, विधेयकों इत्यादि की भाषा--

(क) समिति ने राय दी है कि संसदीय विधियां अंग्रेजी में बनती रहें किन्तु उनका प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद उपलब्ध कराया जाए। संसदीय विधियां अंग्रेजी में तो रहें पर उसके प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद की व्यवस्था करने के वास्ते विधि मंत्रालय आवश्यक विधेयक उचित समय पर पेश करे। संसदीय विधियों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कराने का प्रबन्ध भी विधि मंत्रालय करे।

(ख) समिति ने राय जाहिर की है जहां कहीं राज्य विधान मण्डल में पेश किए गए विधेयकों या पास किए गए अधिनियमों का मूल पाठ हिन्दी में से भिन्न किसी भाषा में है, वहां अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद के अलावा उसका हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित किया जाए।

राज्य की राजभाषा में पाठ के साथ-साथ राज्य विधेयकों, अधिनियमों और अन्य सांविधिक लिखतों के हिन्दी अनुवाद के प्रकाशन के लिए आवश्यक विधेयक उचित समय पर पेश किया जाए।

12. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा-

राजभाषा आयोग ने सिफारिश की थी कि जहां तक उच्चतम न्यायालय की भाषा का सवाल है उसकी भाषा इस परिवर्तन का समय आने पर अन्ततः हिन्दी होनी चाहिए। समिति ने यह सिफारिश मान ली है। आयोग ने उच्च न्यायालयों की भाषा के विषय में प्रादेशिक भाषाओं और हिन्दी के पक्ष-विपक्ष में विचार किया और सिफारिश की कि जब भी इस परिवर्तन का समय आए, उच्च न्यायालयों के निर्णयों,

आज्ञप्तियों (डिक्रियों) और आदेशों की भाषा जब प्रदेशों में हिन्दी होनी चाहिए किन्तु समिति की राय है कि राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से आवश्यक विधेयक पेश करके यह व्यवस्था करने की गुंजाइश रहे कि उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आज्ञप्तियों (डिक्रियों) और आदेशों के लिए उच्च न्यायालय में हिन्दी और राज्यों की राजभाषाएं विकल्पतः प्रयोग में लाई जा सकेंगी। समिति की राय है कि उच्चतम न्यायालय अन्ततः अपना सब काम हिन्दी में करे, यह सिद्धान्त रूप में स्वीकार्य है और इसके संबंध में समुचित कार्यवाही उसी समय अपेक्षित होगी जब कि इस परिवर्तन के लिए समय आ जाएगा।

जैसा कि आयोग की सिफारिश की तरमीम करते हुए समिति ने सुझाव दिया है, उच्च न्यायालयों की भाषा के विषय में यह व्यवस्था करने के लिए आवश्यक विधेयक विधि मंत्रालय उचित समय पर राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से पेश करे कि निर्णयों, डिक्रियों और आदेशों के प्रयोजनों के लिए हिन्दी और राज्यों की राजभाषाओं का प्रयोग विकल्पतः किया जा सकेगा।

13. विधि क्षेत्र में हिन्दी में काम करने के लिए आवश्यक आरम्भिक कदम-

मानक विधि शब्दकोश तैयार करने, केन्द्र तथा राज्य के विधान निर्माण से संबंधित सांविधिक ग्रन्थ का अधिनियम करने, विधि शब्दावली तैयार करने की योजना बनाने और जिस संक्रमण काल में सांविधिक ग्रन्थ और साथ ही निर्णयविधि अंशतः हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे, उस अवधि में प्रारम्भिक कदम उठाने के बारे में आयोग ने जो सिफारिश की थी उन्हें समिति ने मान लिया है। साथ ही समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि संविधियों के अनुवाद और विधि शब्दावली तथा कोशों से संबंधित सम्पूर्ण कार्यक्रम की समुचित योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने के लिए भारत की विभिन्न राष्ट्रभाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञों का एक स्थाई आयोग या इस प्रकार कोई उच्च स्तरीय निकाय बनाया जाए। समिति ने यह राय भी जाहिर की है कि राज्य सरकारों को परामर्श दिया जाए कि वे भी केन्द्रीय सरकार से राय लेकर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। समिति के सुझाव को दृष्टि में रखकर विधि मंत्रालय यथासंभव सब भारतीय भाषाओं में प्रयोग के लिए सर्वमान्य विधि शब्दावली की तैयारी और संविधियों के हिन्दी में अनुवाद संबंधी पूरे काम के लिए समुचित योजना बनाने और पूरा करने के लिए विधि विशेषज्ञों के एक स्थाई आयोग का निर्माण करे।

14. हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए योजना का कार्यक्रम-

समिति ने यह सुझाव दिया है कि संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की योजना संघ सरकार बनाए और कार्यान्वित करे। संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर इस समय कोई रोक न लगाई जाए।

तदनुसार गृह मंत्रालय एक योजना कार्यक्रम तैयार करे और उसे अमल में लाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे। इस योजना का उद्देश्य होगा संघीय प्रशासन में बिना कठिनाई के हिन्दी के प्रगामी प्रयोग

के लिए प्रारम्भिक कदम उठाना और संविधान के अनुच्छेद 343 खंड (2) में किए गए उपबन्ध के अनुसार संघ के विभिन्न कार्यों में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना, अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का प्रयोग कहां तक किया जा सकता है यह बात इन प्रारम्भिक कार्रवाइयों की सफलता पर बहुत कुछ निर्भर करेगी। इस बीच प्राप्त अनुभव के आधार पर अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी के वास्तविक प्रयोग की योजना पर समय-समय पर पुनर्विचार और उसमें हेर-फेर करना होगा।

हमेशा ध्यान देने योग्य बातें

- धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले प्रलेख जैसे- सामान्य आदेश(परिपत्र/कार्यालय आदेश आदि),अधिसूचनाएं,प्रेस विज्ञप्तियां/ रिलीज, संविदाएं, करार, लाइसेंस,परमिट, निविदा सूचनाएं और इनके प्रारूप, संकल्प, नियम, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों में प्रस्तुत सरकारी कागज पत्र, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टें, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टें(संसद के किसी सदन या दोनों सदनों में प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के अलावा) हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी में जारी करें।
- अधिकारी अपने निरीक्षण के दौरान हिंदी संबंधी निरीक्षण करें, और उसका उल्लेख अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में भी करें और अपनी निरीक्षण रपट हिंदी में तैयार करें ।
- हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दें और फाइलों पर टिप्पणियां हिंदी में लिखें ।
- कंप्यूटरों पर अपना कार्य हिंदी में करें ।
- अधिकारी डिक्टेशन हिंदी में दें ।
- सेवा पंजिकाओं और रजिस्ट्रों में प्रविष्टियां हिंदी में करें ।
- विभागीय बैठकों की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त हिंदी में जारी करें।
- दौरा कार्यक्रम, यात्रा भत्ता बिल, छुट्टियों तथा पास के आवेदन पत्र हिंदी में भरें ।
- स्वस्थता/अस्वस्थता प्रमाण पत्र/ चिकित्सा प्रमाण पत्र हिंदी में जारी करें ।
- क और ख क्षेत्रों के लिए पास/पीटीओ हिंदी में जारी करें।
- क और ख क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते हिंदी में लिखें ।
- अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दें ।
- नाम पट्ट, पदनाम पट्ट, सूचना पट्ट, रबड़ की मोहरें हिंदी- अंग्रेजी द्विभाषी में ही बनवाएं।
- सभी फाइलों पर विषय और शीर्ष हमेशा हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी में लिखें।

राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित, 1967)
(1963 का अधिनियम संख्यांक 19)

उन भाषाओं का, जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के संव्यवहार, केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी, उपबन्ध करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(1) यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा।

(2) धारा 3, जनवरी, 1965 के 26 वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं- इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'नियत दिन' से, धारा 3 के सम्बन्ध में, जनवरी, 1965 का 26वां दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के सम्बन्ध में वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबन्ध प्रवृत्त होता है;

(ख) 'हिन्दी' से वह हिन्दी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है।

3. संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का रहना-

(1) संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी, हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा, नियत दिन से ही -

(क) संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी ; तथा

(ख) संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी :

परन्तु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी:

परन्तु यह और कि जहां किसी ऐसे राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाया जाता है, वहां हिन्दी में ऐसे पत्रादि के साथ-साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा :

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है,

संघ के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है, या किसी अन्य राज्य के साथ, उसकी सहमति से, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाने से निवारित करती है, और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी या अंग्रेजी भाषा--

(i) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच ;

(ii) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी या उसके किसी कार्यालय के बीच ;

(iii) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी या उसके किसी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम या कम्पनी या कार्यालय के बीच ;

प्रयोग में लाई जाती है वहां उस तारीख तक, जब तक पूर्वोक्त संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या विभाग या कम्पनी का कर्मचारीवृंद हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद, यथास्थिति, अंग्रेजी भाषा या हिन्दी में भी दिया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हिन्दी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही-

(i) संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं ;

(ii) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज-पत्रों के लिए ;

(iii) केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा-प्ररूपों के लिए, प्रयोग में लाई जाएगी।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि केन्द्रीय सरकार धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का उपबन्ध कर सकेगी जिसे या जिन्हें संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत किसी मंत्रालय, विभाग, अनुभाग या कार्यालय का कार्यकरण है, प्रयोग में लाया जाना है और ऐसे नियम बनाने में राजकीय कार्य

के शीघ्रता और दक्षता के साथ निपटारे का तथा जन साधारण के हितों का सम्यक ध्यान रखा जाएगा और इस प्रकार बनाए गए नियम विशिष्टतया यह सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति संघ के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवा कर रहे हैं और जो या तो हिन्दी में या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण हैं वे प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं हैं उनका कोई अहित नहीं होता है।

(5) उपधारा (1) के खंड (क) के उपबन्ध और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4), के उपबन्ध तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा, जिन्होंने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात् ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता।

4. राजभाषा के सम्बन्ध में समिति -

1. जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, राजभाषा के सम्बन्ध में एक समिति, इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, गठित की जाएगी।
2. इस समिति में तीस सदस्य होंगे जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।
3. इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करे और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करे और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएंगे और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएंगे।
4. राष्ट्रपति उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हों तो उन पर विचार करने के पश्चात् उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकते हैं :

परन्तु इस प्रकार निकाले गए निदेश धारा 3 के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे।

5. केन्द्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद-

- (1) नियत दिन को और उसके पश्चात् शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित--
(क) किसी केन्द्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का, अथवा
(ख) संविधान के अधीन या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का हिन्दी में अनुवाद उसका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(2) नियत दिन से ही उन सब विधेयकों के, जो संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने हों और उन सब संशोधनों के, जो उनके समबन्ध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ-साथ उनका हिन्दी में अनुवाद भी होगा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत किया जाएगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

6. कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद-

जहां किसी राज्य के विधान मण्डल ने उस राज्य के विधानमण्डल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिन्दी से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां, संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त, उसका हिन्दी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में, उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से, नियत दिन को या उसके पश्चात् प्रकाशित किया जा सकेगा और ऐसी दशा में ऐसे किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिन्दी में अनुवाद हिन्दी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

7. उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिन्दी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग-

नियत दिन से ही या तत्पश्चात् किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहां उसके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा।

8. नियम बनाने की शक्ति -

(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के हर एक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। वह अवधि एक सत्र में, अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् यह निस्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निस्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

9. कतिपय उपबन्धों का जम्मू-कश्मीर पर लागू न होना-

धारा 6 और धारा 7 के उपबन्ध जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू न होंगे।

राजभाषा संकल्प, 1968

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित निम्नलिखित सरकारी संकल्प आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है -

संकल्प

जबकि “संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्तव्य है:

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने के लिए तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी ।

2. जबकि संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त भारत की 21 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास हेतु सामूहिक उपाय किए जाने चाहिए:

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के साथ-साथ इन सब भाषाओं के समन्वित विकास हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हों और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बनें।

3. जबकि एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रि-भाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी किया जाना चाहिए :

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के, दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए, और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

4. और जबकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण परित्राण किया जाए ।

यह सभा संकल्प करती है कि-

(क) कि उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिंदी अथवा दोनों जैसी कि स्थिति हो, का उच्च

स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यतः होगा; और

(ख) कि परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया संबंधी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात अखिल भारतीय एवं उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी।”



चलते-चलते, याद रखें

- हिन्दी (खड़ी बोली) की पहली कविता प्रख्यात कवि 'अमीर खुसरों' ने लिखी थी।
- हिन्दी और दूसरी भाषाओं पर पहला विस्तृत सर्वेक्षण एक अंग्रेज 'सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन' ने किया था।
- हिन्दी भाषा पर पहला शोध कार्य 'द थिओलॉजी ऑफ तुलसीदास' को लंदन विश्वविद्यालय में पहली बार एक अंग्रेज विद्वान 'जे.आर. कारपेंटर' ने प्रस्तुत किया था।
- जो रोमन लिपि अंग्रेजी के उच्चारण तक को अभिव्यक्त नहीं कर पाती वह हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं को कैसे अभिव्यक्त कर सकती है। Man (मैन) और main (मेन), snacks (स्नैक्स) और snakes (स्नेक्स) tale (टेल) और tell (टैल), pan (पैन) और pain (पेन), sale (सेल) और sell (सैल) आदि इसके कुछ उदाहरण हैं।
- भारत में अनेक उन्नत और समृद्ध भाषाएँ हैं किंतु हिन्दी सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र में और सबसे अधिक लोगों द्वारा समझी एवं बोली जाने वाली भाषा है।
- संसार में चीनी के बाद हिन्दी भाषा सबसे विशाल जनसमूह की भाषा है।
- वर्तमान में हिन्दी साउथ एशिया (भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश व भूटान), साउथ अफ्रीका, मॉरीशस, यूएसए, कनाडा, फिजी, युगांडा, गुयाना, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर जैसे देशों में भी व्यापक स्तर पर बोली जा रही है।
- हिंदुस्तान जैसे देश को एक भाषा के सहारे संबोधित करना हो तो वह सिर्फ हिन्दी ही है। यह हिन्दी का अहंकार नहीं, उसकी सहजता और ताकत है।
- राष्ट्र के गौरव का यह तकाजा है कि उसकी अपनी एक राष्ट्रभाषा हो। कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को अपनी भाषा में ही अच्छी तरह व्यक्त कर सकता है।

अध्यात्म एक दर्शन है, चिन्तन धारा है, विद्या है, हमारी संस्कृति की परम्परागत विरासत है, ऋषियों मुनियों के चिन्तन का निचोड़ है, उपनिषदों का दिव्य प्रसाद है, आत्मा-परमात्मा, जीव-माया, जन्म-मृत्यु, पुनर्जन्म, सृजन प्रलय की अबूझ पहलियों को सुलझाने का प्रयत्न है अध्यात्म।

ईश्वरीय आनन्द की अनुभूति करने का मार्ग अध्यात्म है। अध्यात्म व्यक्ति को स्वयं के अस्तित्व के साथ जोड़ने और उसका सूक्ष्म विवेचन करने में समर्थ बनाता है। वास्तव में आध्यात्मिक होने का अर्थ है कि व्यक्ति अनुभव के धरातल पर यह जानता है कि वह स्वयं ही आनन्द का स्रोत है। आध्यात्मिक का संबंध हमारे आंतरिक जीवन से है इसमें एक भावना बोध या विश्वास की मान्यता शामिल है कि मुझसे बड़ा भी कुछ है। अध्यात्म के तीन तत्व हैं। ब्रह्म, जीव, माया अध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान है कि वह हमेशा खुश रहता है और दूसरों के प्रति दयालुता का भाव रखता है। वह दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने की उम्मीद में प्रेरक और दयालु शब्द उपयोग करता है। अगर आप मूल्यों में विश्वास रखते हैं तो आप एक अध्यात्मिक व्यक्ति हैं। यह एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे जीवन में प्रेम, शांति, खुशहाली और विवेक की शक्ति प्रदान करता है। हमारे जीवन को और बेहतर बनाता है।

मनुष्य का मूल अध्यात्म है, उसे पुनर्जन्म के संस्कार माता के गर्भ से प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा की शक्ति में विश्वास, सम्मान, बड़े व गुरुजनों के प्रति आदर भाव अध्यात्म से प्राप्त होते हैं। अध्यात्म से व्यक्ति के भीतर आत्म विश्वास, दृढ़ चेतना और मानसिक बल की वृद्धि होती है। इन्सानी जीवन में कई तरह के पड़ाव आते हैं। कभी सुख-दुःख, कठिनाईयां इत्यादि परंतु जिस व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म का सहारा होता है, वह मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। अध्यात्म की शक्ति हारे हुए इंसान को भी जिता देती है, जो व्यक्ति के आंतरिक मन और ईश्वर के गहरे संबंध से आता है। यह ज्ञान सीखा नहीं जा सकता। इसे स्वयं के अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। यह अनुभूति के माध्यम से हृदय में स्वयं अभिभूत हो जाता है। यह एक व्यक्तिगत अभ्यास है। भागवत गीता के आठवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से अध्यात्म के संबंध में बताते हुए कहा, स्वयं के स्वभाव का अध्ययन करना ही अध्यात्म है।

अध्यात्म को अगर सही रूप में देखा जाए तो यह संपूर्ण और संतुलित जीवन जीने का एक सार्वभौमिक तरीका है। आज के युग में जब विज्ञान ने बहुत अधिक वैज्ञानिक और भौतिक उन्नति कर ली है। हमारे सामने व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर यह चुनौती है कि हम अध्यात्म के क्षेत्र में भी उसी तरह अदभुत रूप से तरक्की करें। मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि वह चीजों को जानना और समझना चाहता है। वैज्ञानिक इस कार्य में लगे हैं, लेकिन जिन साधनों का प्रयोग वह करते हैं, वे भौतिक और बौद्धिक रूप से सीमित है।

सदियों से संत और सूफी, जीवन और मृत्यु की खोज कर रहे हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हम इस रहस्य को आध्यात्मिक स्तर पर ही जान सकते हैं। आध्यात्मिक यात्रा उन रूहानी मंडलों का

अनुभव करना है जो कि बुद्धि और मन से परे है। यह सब हमें रहस्यमय लगता है। इसी कारण अध्यात्म को रहस्यवाद भी कहा जाता है।

अध्यात्म का मूल सिद्धांत यह है कि हममें से प्रत्येक वास्तव में एक आत्मा है, जो कि थोड़े समय के लिए इस भौतिक शरीर में आई हैं। यह समय बीस, पचास, साठ या सौ वर्षों का भी हो सकता है। लेकिन मृत्यु के बाद हर एक को इस दुनिया से जाना है। इस संसार का और इस जीवन का यही नियम है।

हमारे जीवन का उद्देश्य अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करना है। परमात्मा से मिलन से ही परमज्ञान होता है। आत्मा की यात्रा की शुरूआत प्रभु की ज्योति और अनहद शब्द से संपर्क करने से आरंभ होती है। ज्योति और शब्द की धारा प्रभु से आरम्भ होती है और प्रभु पर ही समाप्त हो जाती है।

ध्यान का यह तरीका एकदम सहज और सरल है। जब हम अंतर में ध्यान टिकाते हैं तो हम देहाभास से ऊपर उठकर अपने अंतर में स्थित दिव्य मण्डलों में पहुंच जाते हैं। लगातार अभ्यास करने पर हमें यह विश्वास हो जाता है जो कि हम और शब्द से जुड़ जाते हैं। अंतर के रहस्यों की खोज हमें स्वयं ही करनी है। ज्योति व श्रुति के अभ्यास के द्वारा हम प्रेम, शांति, सौहार्द और आनन्द को पा लेते हैं, जिन्हें हम तीव्रता से तलाश कर रहे हैं।

अध्यात्म एक ऐसी जीवन विद्या है, जिसमें सभी जीवों को समान माना जाता है। यह किसी व्यक्ति के जीवन को लेकिन नये दर्शन प्रदान करता है। स्वयं का चिन्तन करके अपने अंदर सकारात्मकता के दृष्टिकोण को जाग्रत कर दूसरों के प्रति इसी दृष्टिकोण को अपनाना ही अध्यात्म है।

लिपिक, सुरक्षा विभाग, प्रधान कार्यालय,
उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली

- हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई "अपनों" से हो ! और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई "अपने आप" से हो !! मंजिलें मिलें, ये तो मुकद्दर की बात है हम कोशिश ही न करें, ये तो गलत बात है।

"हरिवंश राय बच्चन"

- जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं जो रिश्ते हैं, उनमें जीवन होना जरूरी है।

"स्वामी विवेकानन्द"

- इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनन्द उठाने के लिए ये जरूरी है।

"अब्दुल कलाम"

आकांक्षा नैतिकता से यथार्थ

अनिल कुमार वर्मा

यह मेरा महान भारतवर्ष जो कि अब विश्व मानचित्र और लोगों के हृदय पटल पर भारत और इंडिया नाम से उद्धृत एवं सुप्रसिद्ध है, इसकी सुवास की पृष्ठभूमि अत्यंत संपन्न है। किंतु इस महान परंपरा का निर्वहन जिस भांति हुआ है, वह अवश्य ही चिंता का विषय है और संभवतः विश्व के अग्रणी देशों में सर्वोच्च स्थान ग्रहण करने की प्रतिभा एवं समस्त संभावनाओं के होते हुए भी वास्तविक संपन्नता तथा शांति की दृष्टि से सर्वोच्च शिखर को छूने से दूर ही प्रतीत होता है।

आइए, इसको समझने और उसका आंकलन करने का प्रयास करते हैं। दरअसल हमारा राष्ट्र विविधताओं, विषमताओं और विभिन्नताओं रूपी पुष्पों से भिन्न होकर भी छिन्न-भिन्न नहीं अपितु एक हार के रूप में गुंथा हुआ है। लेकिन कुछ लोग भारत वर्ष की मूल आत्मा को समझने में या तो चूक जाते हैं अथवा इस ओर वे जानबूझ कर प्रयास ही करते हैं।

पहला मूल बिंदू यह है कि हम तुरंत ही किसी को भी कह देते हैं कि अमुक व्यक्ति अथवा संगठन/संस्था नास्तिक है। दरअसल इन लोगों को विरासत मिली है कि जो लोग ईश्वर में आस्था नहीं रखते, वे नास्तिक हैं। जबकि ऐसा है नहीं। हिंदू दर्शन में आस्तिक और नास्तिक दो धाराएं हैं। नास्तिक विचार धारा में जैन, बौद्ध और चार्वाक हैं। नास्तिकता की परिभाषा है कि जो वेदों को नहीं मानते, वे नास्तिक हैं, जब कि बहुतायत में लोगों का मानना, कहना और प्रमाण पत्र बांटना है कि जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, वे नास्तिक हैं। वेदों को नहीं मानने में आलोचना है, निन्दा नहीं। दरअसल, वेदों की जब रचना हुई तो मानव का विकास होना प्रारंभ हुआ था तो परम स्वाभाविक था कि उसमें मंत्र थे। कामनाओं के और कामनाओं में निहित हैं काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और ईर्ष्याएं और जब मानव का बौद्धिक विकास हो चुका था और वह साधन संपन्न भी हो चुका था तो अत्यंत श्रेष्ठ कृतियों का आविर्भाव हुआ। यथा वेदांत, उपनिषद आदि। वेदांत अर्थात् जहां वेदों का अंत होता है और अध्यात्म, ज्ञान और दर्शन का उदय होता है। महावीर गौतम बुद्ध ने कहीं भी ईश्वर और वेदांत और उपनिषदों का विरोध नहीं किया। अतः नास्तिकता की हमारी आज की परिभाषा उचित जान नहीं पड़ती। इसी भांति हम कह देते हैं कि अमुक व्यक्ति धार्मिक है अथवा अधार्मिक। धर्म का कुछ भी लेना देना दरअसल देवालयों, मस्जिदों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों में जाना, धूप दीप और पुष्पांजलि करना, मंत्रोच्चार करना, प्रार्थनाएं करना नहीं है। ये तो दरअसल औषधियां हैं, आस्था है, संबल है। ईश्वर से जुड़ने का मार्ग है। धर्म अत्यंत विशाल है। जैसे कि मेरा प्रथम धर्म समस्त जीवों के कल्याण करने का प्रयास करना, अपने परिवार का समुचित पालन पोषण करना, अपने राष्ट्र के विकास और संचालन में यथा संभव योगदान करना और जहां से हम आजीविका अर्जित कर रहे हैं उसकी कम से कम शत प्रतिशत सेवा करना।

दूसरा पहलू यह है कि हम पूर्णावतार और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं और श्री मदभगवद्गीता में वर्णित कर्म सिद्धांत के पोस्टर चस्पा करते हैं और बातें बनाते नहीं अघाते हैं, किंतु इसके ठीक विपरीत कर्म से दूर भागते हैं

और इतना ही नहीं, इसके और भी ठीक विपरीत बिना कर्म किए फल की इच्छा ही नहीं करते अपितु धन, बल, सिफारिश, चमचागिरी के माध्यम से, फल को प्राप्त भी कर लेते हैं। आज के युग में कर्म का सुफल मिले न मिले किंतु दंड अवश्यंभावी है। जो दरअसल कर्म करेगा, संभावना रहेगी कि वो ही जाने अनजाने में गलती भी कर गुजरेगा। जो कुछ करेगा ही नहीं अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम की तर्ज पर, वो ज्यों की त्यों धर दीन्हीं चदरिया की भांति बेदाग ही तो रहेगा न। जो कुछ करेगा ही नहीं, तो स्वभावतः कोई गलती भी नहीं करेगा। गीता में वर्णित कर्म और फल का सिद्धांत तो अत्युत्तम है किंतु विषैले लोगों ने उसको जैसे कि समयवाह्या कर दिया है। कर्मवीरों का कामचोर या तो उपहास उड़ाते हैं या फंस जाने पर गुरुजी अथवा सरजी कहकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। मेरा क्या मानना अपितु यह यथार्थ भी है कि मनुष्य कितना जीता है। अधिक से अधिक अस्सी नब्बे बरस। तो क्यों न कर्म करें, सत्य पर चलने का भरसक प्रयास करें, परोपकार करें तो श्रेष्ठ है अन्यथा दूसरे को कम से कम कष्ट न दें। क्रोध, निराशा और अन्याय के वशीभूत मैंने न जाने कितनी बार केशव और गीता की पुरजोर आलोचना की, किंतु मैं दरअसल गलत था। दुग्ध को मदिरा में मिलाने से दुग्ध खराब तो होता है किंतु इसमें दुग्ध का कसूर है क्या भला..

मुख्य वाणिज्य निरीक्षक/विपणन
उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली

- हिंदी प्रचार का कार्य देश भक्ति का कार्य है।

"बाबू गंगा शरण सिंह"

- राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की शीघ्र उन्नति के लिए आवश्यक है।

"महात्मा गांधी"

- भारत जैसे बहुभाषी देश में राष्ट्रभाषा हिंदी का होना आवश्यक है।

"डॉ. भोला नाथ पटेल"

- हिंदी को किसी भी भारतीय भाषा से भय नहीं है, वह सबकी सहोदरा है।

"महादेवी वर्मा"

- हिंदी देश की एकता की कड़ी है, जिसे मजबूत करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है।

"इन्दिरा गांधी"

- हिंदी हमारे देश की धड़कन है, जिसे देश हित में गतिशील बनाए रखना हम सभी की राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।

" रामधारी सिंह दिनकर"

आई फ्लू

गुरजीत सिंह

- 1. आई फ्लू क्या है?**- आई फ्लू आंखों का संक्रमण है, जिसकी वजह से आंखों में लालिमा, दर्द और सूजन जैसी परेशानियां होती हैं। आई फ्लू वायरस से संक्रमित होने की वजह से होती है और यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलती है। आई फ्लू के ज्यादातर मामले एडेनोवायरस के संक्रमण की वजह से होते हैं। संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क में आने की वजह से आपको भी यह बीमारी हो सकती है। आई फ्लू को पिंक आई और कंजंक्टिवाइटिस भी कहा जाता है।
- 2. आई फ्लू के कारण-** आई फ्लू की समस्या बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा फैलती है। इस मौसम में वातावरण में संक्रमण फैलने की वजह से लोग आई फ्लू का शिकार हो जाते हैं। आमतौर पर आई फ्लू गंदगी, धूल-मिट्टी आदि के कारण से होने वाली एलर्जी की वजह से होती है। इस बीमारी में आंखों के सफेद हिस्से में मौजूद लेयर कंजंक्टिवा में सूजन होती है। बरसात के मौसम में नमी और बैक्टीरिया और वायरस बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से आंखों में एलर्जी और इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप पहले से आई फ्लू से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो इससे भी आपको आई फ्लू होने का खतरा रहता है। इससे बचने के लिए आपको आई फ्लू से संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क में आने से बचना चाहिए और आंखों को बार-बार छूने से बचना चाहिए।
- 3. आई फ्लू के लक्षण-** आई फ्लू की समस्या में मरीज की आंखों में दर्द, सूजन और लालिमा जैसी परेशानियां होती हैं। इसकी वजह से आंखों से पानी बहने लगता है। संक्रमण बढ़ने पर मरीज को देखने में परेशानी हो सकती है। आई फ्लू के प्रमुख लक्षण इस तरह से हैं-
 - आंखों में कीचड़ ज्यादा आना
 - आंखों का लाल होना
 - सुबह उठने पर आंखों का चिपकना
 - आंखों में सूजन
 - आंख दर्द की समस्या
 - आंख से पानी आना और खुजली
- 4. आई फ्लू का इलाज-** आई फ्लू के लक्षण दिखने पर आपको ओवर द काउंटर दवाओं का सेवन करने से बचना चाहिए। लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर मरीज की स्थिति और लक्षणों के आधार पर दवाओं के इस्तेमाल की सलाह देते हैं। ऐसे लोग जो गंभीर रूप से संक्रमित होते हैं, उन्हें कुछ हाई डोज वाली दवाओं के इस्तेमाल की सलाह दी जा सकती है। आमतौर पर संक्रमण रोकने के लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाओं और ड्रॉप्स का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। हॉट और कोल्ड कंप्रेस से भी इस समस्या में आराम मिलता है। इसके अलावा बाहर निकलते समय काला चश्मा लगाने की सलाह दी जाती है।

5. आई फ्लू से कैसे बचें?- चूंकि, आई फ्लू का खतरा बारिश के मौसम में ज्यादा रहता है। इसलिए बारिश में लोगों को साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नियमित रूप से हाथ को साबुन से धोने पर आप संक्रमण का शिकार होने से बच सकते हैं। ज्यादातर लोगों में यह संक्रमण हाथों के जरिए ही फैलता है। गंदे हाथ से आंखों को छूने से बचना चाहिए। इसके अलावा कपड़े, तौलिया, टूथब्रश और मेकअप की चीजों को दूसरे के साथ शेयर न करें। अगर आप सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं, तो संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दरवाजों के हैंडल, या किसी भी सतह को छूने से बचें। अगर आप इन चीजों को छूते हैं, तो हाथों को साबुन से साफ करें। इसके अलावा आई फ्लू से बचने के लिए आंखों पर काला चश्मा या सनग्लास लगाएं।

तकनीशियन/यांत्रिक
ट्रेन सेट डिपो, शकूरबस्ती,
उत्तर रेलवे, दिल्ली मंडल

शब्द		चेतन स्वरूप
शब्द हमारे जीवन का अनमोल खजाना। इनसे बनती भाषाएं और ज्ञान का ताना-बाना। सुमधुर गीतों की वाणी हो या फिर मीठा गाना। जज्बातों के अल्फाजों में लगता सुखद सुहाना। बोलचाल के ढंग निराले सब कुछ इनसे जाना। बात-बात की बात-बात में बेबात बनता अफसाना। शब्द हमारे जीवन ----- कटु शब्दों से रिश्तों में कड़वाहट आती। गैरत और नफरत के दिल में भाव जगाती। कोयल जैसी मीठी बोली बड़ी सुहाती। रुचिर और मंजुल शब्दों से शोभा पाती। मन को पुलकित करने का आभास कराती। नूतन गीतों की धुन से मन में सुकून का आना। शब्द हमारे जीवन----- शब्दों की महिमा है अपरंपार। शब्दों से होती है गुफ्तगू तो शब्दों से बनते हैं विचार। तीखे शब्दों का कोई नहीं होता उपचार।	न कोई सरगम, न कोई मरहम, न कोई तलवार। कर्कश शब्दों का हल केवल कर पाते सुविचार। मीठे शब्दों की लय व धुन से बनते ही गजब तराना। शब्द हमारे जीवन----- शब्द रंज है शब्द तंज है शब्द व्यंग्य है। शब्द रीति है शब्द प्रीति है शब्द नीति है। शब्द खेद है शब्द भेद है शब्द वेद है। शब्द जोश है शब्द रोष है शब्द क्रोध है। शब्द दिलों के उद्गार खोलते हैं। दिलकश व महजुबीन जुबां बोलते हैं। शब्द हर समस्या का समाधान खोजते हैं। खूबसूरत लम्हों में यू शब्दों का छा जाना। शब्द हमारे जीवन का अनमोल खजाना। सहायक वित्त सलाहकार /लेख सुरक्षा, उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय, बडौदा हाउस, नई दिल्ली	

लघुकथा " सशक्त "

डॉ ऋतु मंजरी

आजकल कामवाली बाई रखना कोई मासी का घर नहीं है। खुद ही उनके साथ सामंजस्य बिठाना होता है , ज्यादातर उनकी शर्तों को मान लिया तो ठीक वरना राम-राम। कई महीने बाद एक बाई मिली, जो लगभग 50 वर्ष की होगी शांत और सरल नाम है माया। पता चला कि पति की मृत्यु के बाद तीन छोटे-छोटे बच्चों को साथ लेकर माया उन्हें योग्य बनाने के लिए गांव से दिल्ली आ गई थी और कड़ी मेहनत करके एक छोटा सा घर बना, बहू बेटों के साथ रह रही थी, पर बेटे बहू उसे चैन नहीं लेने देते। रोज-रोज घर में महाभारत इसी डर से वह बीमारी में भी चौका बर्तन सफाई के लिए आ जाती और हंस बोलकर अपना समय गुजारती।

कल मैंने गौर किया कि उसकी आंखें फूली थीं , वह धीरे-धीरे काम कर रही थी , मैंने उससे कारण पूछा तो कुछ नहीं बोली। उसकी सहेली से पता चला कि, बेटे ने नया स्कूटर खरीदा है जिसे छोटे से बरामदे में खड़ा कर दिया है, जहां माया सोती थी, दोनों कमरे शादी के बाद ही बच्चे ले चुके थे। लड़ाकू बेटे बहू का आदेश है कि नया स्कूटर बाहर नहीं खड़ा करेंगे चाहे मां छत पर जाकर सो जाए। घर की महाभारत से बचने के लिए कंपकंपाती दिसंबर में उसे छत पर सोना पड़ रहा है। प्लास्टिक से आड़ करके, वह रात भर दो-दो रजाई कंबल में सिकुड़ी हुई बैठी रहती है इसीलिए बीमार हो रही है।

आज वह थोड़ी देर से आई और चुपचाप काम करने लगी। तभी पड़ोसन मिसेज चोपड़ा घर आ गईं। मैंने उन्हें प्यार से अंदर बुलाया तो आ गई और सोफे पर धम्म से बैठते ही बोलीं "आप बहुत भाग्यशाली हो जो बहू बेटे साथ नहीं रहते , हम तो पागल ही हुए जा रहे हैं "और फिर बहू बेटा पुराण चालू.....। मैं अचंभित थी कि इतनी पढ़ी-लिखी महिला के ऐसे शब्द कैसे हो सकते हैं ? मैंने कनखियों से माया को देखा वह अपने काम में मशगूल थी और उसकी बुद्धि कहीं और बिचर रही थी। करीब आधे घंटे बाद माया अपना काम खत्म कर मेरे पीछे आकर खड़ी हुई। ऐसा वह तब करती है जब उसे बीच-बीच में किसी कारण पैसे लेने होते हैं। मैंने उसकी ओर देखा तो बोली "₹500 चाहिए दीदी"। मैंने कहा "अभी परसों ही तो पूरे महीने के पैसे दिए थे" वह चुप रही। मैंने ₹500 का नोट उसके हाथ में रखते हुए कहा "अब इसका क्या करोगी"... नोट पाकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई और बोली लड़कों के सलामती के लिए कल गणेश चौथ का व्रत रखना है दीदी, तिल, शकरकंदी खरीदने के लिए पैसे तो चाहिए... मैं आवाक सी शिक्षित और अशिक्षित दोनों मांओं को अपलक निहार रही थी कि इनमें से सशक्त कौन है.....?

सेवानिवृत्त वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी/लेखा विभाग,
प्रधान कार्यालय, उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली

हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।

" महर्षि दयानंद सरस्वती"

समय अमूल्य है

जागृत कम्बोज

समय एक मूल्यवान संसाधन है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समय अस्थायी होता है और अपने दौरान हमें नयी सम्भावनाएं और अवसर प्रदान करता है। समय का सदुपयोग करने से हम अपनी कार्यक्षमता में सुधार करते हैं और सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। समय को समझने, मूल्यांकन करने और प्रबंधित करने की क्षमता हमें एक संगठित और नियमित जीवनशैली प्रदान करती है। समय की महत्वता अधिकतर क्षेत्रों में दिखाई देती है। शिक्षा में समय की गहरी प्राथमिकता होती है क्योंकि अध्ययन और स्वाध्याय में निरंतरता हमें ज्ञान की प्राप्ति करने में मदद करती है। समय का सदुपयोग करके हम अपने कौशलों को विकसित कर सकते हैं और नये अवसर प्राप्त कर सकते हैं। समय का उपयोग हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। हम अपनी रुचियों और क्षेत्रों में माहिर होने के लिए समय को नियमित रूप से निवेश कर सकते हैं। समय का उचित उपयोग करने से हम स्वस्थ और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। समय की महत्वता आध्यात्मिक विकास में भी दिखाई देती है, क्योंकि हम समय का उपयोग करके ध्यान और योग की अभ्यास कर सकते हैं और अपनी आत्मा को प्रगति की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं।

विद्यार्थी जीवन एक ऐसा समय होता है जब हमें न केवल शिक्षा में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, बल्कि हमारी व्यक्तिगत और आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी एक महत्वपूर्ण दौर होता है। इस अवसर को सही ढंग से उपयोग करने के लिए समय का महत्व जानना और उसे समझना अत्यंत आवश्यक होता है। विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व यहाँ दिखता है कि हमारे पास अपार विकल्प और गतिविधियों होती हैं। समय का अच्छे से उपयोग करने से हम अपने आप को संयमित करते हैं और अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति करते हैं। हम समय की मांग के साथ अपने कार्यों को प्रबंधित करने के लिए सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी जीवन में समय का सदुपयोग करने से हमें अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करने का मार्ग प्राप्त होता है। अध्ययन, संगठन, और स्वयं नियंत्रण के माध्यम से हम समय को अच्छी तरह से प्रबंधित करके अपने आप को सशक्त और सक्रिय बना सकते हैं। समय का सदुपयोग करके हम अधिक अध्ययन करते हैं, परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं और अपने विद्यालयी परियोजनाओं में सफलता प्राप्त करते हैं।

समय का सदुपयोग करना नियमितता के साथ संबद्ध है। विद्यार्थी जीवन में समय को सचेत रूप से व्यवस्थित करने से हम नियमित अध्ययन स्कूल और कक्षाओं के लिए समय निर्धारित कर सकते हैं। यह हमारी दिनचर्या को संयमित करता है और हमें एक निश्चित आदर्श प्राप्त करने में मदद करता है। नियमितता की प्राप्ति से हम अपने जीवन को संतुष्ट और समृद्ध बना सकते हैं। हमें समय को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारे पास न केवल समय होता है, बल्कि हमें उसे सही तरीके से बिताने की क्षमता भी होती है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समय में पूरा करना चाहिए और अवकाश के समय को भी उपयोगी काम में बिताना चाहिए। समय को ठीक से प्रबंधित करना हमारे व्यक्तित्व और उत्कृष्टता को प्रभावित करता है। समय की प्राथमिकता यह बताती है कि हमें अपने कार्यों, लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए।

हम नियमित रूप से समय का उपयोग नहीं करेंगे, तो हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में देरी हो सकती है और हम अपनी सफलता के अवसरों को गंवा सकते हैं। समय के सही उपयोग के माध्यम से हमें अपनी कार्यक्षमता का विकास करने में मदद मिलती है। जब हम अपने कार्यों के लिए समय को निर्धारित करते हैं और उन्हें समय पर पूरा करते हैं, तो हम अपनी कार्यक्षमता को मजबूती से विकसित करते हैं। समय का सही उपयोग हमें अपने कार्य में संयम और दृढ़ता का अनुभव कराता है, जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। हर किसी के लिए समय की संभावनाएं उपलब्ध होती है। हमें अपने संसाधनों का उपयोग करके समय की बचत करनी चाहिए। समय की संभावनाएं सीमित होती है, लेकिन हमें उन्हें सही तरीके से बिताने की क्षमता होनी चाहिए। हमें व्यर्थ के कामों में समय नष्ट नहीं करना चाहिए।

समय की सम्भावनाएं हमें अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं में विकास करने का अवसर प्रदान करती हैं। हम समय का उपयोग करके अपनी रुचि, कला, साहित्य, खेल, संगीत, नृत्य आदि में माहिर हो सकते हैं। समय का उचित उपयोग करने में हम अपने रुचि के क्षेत्र में नवीनतम कौशल और प्रदर्शन की सम्भावता को बढ़ा सकते हैं। समय की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने कार्य को संगठित ढंग से निर्धारित समय में पूरा करना चाहिए। समय की व्यवस्था व्यक्ति को अनुशासन और संयम का आदान-प्रदान करने में मदद करती है। यह व्यक्ति को अनुचित चिंताओं से बचाती है और उसे सकारात्मक दिशा में अग्रसर रहने में मदद करती है।

समय का उपयोग करने की कला की एक महत्वपूर्ण सिद्धि है अनुशासन की स्थापना करना। हमें अपने कार्यों को समयबद्धता के साथ पूरा करना चाहिए। समय का उपयोग करने की कला के अंतर्गत संगठन कौशल भी शामिल है। हमें अपने कार्यों को व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित करना चाहिए। यह हमें कार्य के लिए आवश्यक सामग्री, संसाधन और सहयोग को सटीक ढंग से संगठित करने में मदद करता है। समय जीवन का सबसे अद्वितीय और अनुपम संसाधक है जो हमें व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक दृष्टिकोण से प्रभावित करता है। समय की महत्वता के पीछे कई कारण हैं। समय सीमित होता है। हमारे पास प्रत्येक दिन 24 घंटे होते हैं और उसके बाद यह समय हमारे लिए अनुपलब्ध हो जाता है। इसलिए, हमें समय को सवारी के रूप में उपयोग करना सीखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें।

समय का महत्त्व करना हर व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। समय हमारा सबसे कीमती धन है, जिसे हमें बड़ी सावधानी में बिताना चाहिए। समय को खोने का अर्थ होता है, हमारे पास अनंत संभावनाएं होते हुई भी हम उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। समय निर्धारित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम समय को संयुक्त रूप से और सचेत भाव से उपयोग करते हैं, तो हम कार्यों को समय पर पूरा कर पाते हैं और संगठित जीवन जीने का आनंद उठा सकते हैं। बिना समय के प्रबंधन के, हम उचित समय पर कार्य नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारी जिंदगी में अस्त-व्यस्तता का अनुभव होता है।

समय का महत्त्व व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों जीवन में होता है। व्यक्तिगत स्तर पर, समय को सही तरीके से प्रबंधित करने में हम स्वस्थ, सकारात्मक और सफल जीवन जी सकते हैं। निरंतरता और समय पर काम करने की आदत हमें सफलता की ओर ले जाती है। पेशेवर जीवन में, समय का सही उपयोग करना

व्यवसायिक आदतों और कार्य संगठन में मदद करता है। समय पर काम करने से प्रदर्शन और उत्पादकता बढ़ती है और संगठन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद मिलती है। एक अच्छे और सफल जीवन के लिए, हमें समय को महत्त्व देना चाहिए। हमें समय की कीमत को समझना चाहिए और उसे सचेत रूप से उपयोग करना चाहिए। समय की महत्ता को समझकर हम अपने जीवन को अधिक उच्च और उद्यमी बना सकते हैं। समय अमूल्य होता है इसलिए हमें समय के मूल्य को समझना चाहिए और उससे समझौता नहीं करना चाहिए।

पुत्र श्रीमती कृतिका कम्बोज लिपिक, सुरक्षा विभाग
उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली

जिंदगी	आत्म-मंथन
अर्चना मीणा	शबनम
ऐ जिंदगी जाने क्यों उलझनों में, उलझी बैठी है । जब बातें हैं हजार करने को, फिर न जाने क्यों गुमसुम सी बैठी है । क्यों ख्वाब और हकीकत की लड़ाई में उलझी बैठी है । जब सामने हैं राहें, तो जाने क्यों रूकी- सी बैठी है । जब मुस्कान है तेरी इतनी खूबसूरत तो जाने क्यों आंसुओं में उलझी बैठी है । ऐ जिंदगी जाने क्यों उलझनों में, उलझी बैठी है । लेखा सहायक, प्रशा.बिल्स, उ. रे.,प्रधान कार्यालय,बड़ौदा हाउस,नई दिल्ली	जानो तुम स्वयं के बारे में क्योंकि यही कर्म श्रेष्ठ होगा यदि कर पाए आत्म-समीक्षा ऐसा और कोई कर्म हितकर ना होगा बेहद मुश्किल है इतर को जान पाना दिखता बाह्य रूप, पर व्यक्तित्व है अनजाना जानकर भी उसके अर्थ, कुटुंब, ज्ञानादि को कठिन है उसके अंतर्मन को भेद पाना सदैव अनभिज्ञ हो उसके अंतर्द्वंद्व से और उसे इतना जानकर भी क्या पाओगे? स्वयं बनो कर्मठ, रहे सदा आत्म-ज्ञान और इतर को भी दो स्वतंत्र मान ताकि बना पाए वह भी अपनी पहचान बढ़े सभी अपनी गति से करे हासिल सब अपना मकाम यह सिलसिला यदि यूं ही चला क्रमवार खुद-ब-खुद बनेगा यह सभ्य संसार। कनिष्ठ अनुवादक/राजभाषा विभाग उ.रे., प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।

सरकारी स्कूलों में शिक्षा में हो सुधार

प्रेमपाल सिंह

समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई की दशा में पिछले कुछ वर्षों के सरकारी प्रयासों से भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। देश के गरीबों की हालत को सुधारने के लिए सरकारी स्कूलों की पढ़ाई की स्थिति को सुधारने के लिए सरकारी स्कूलों की पढ़ाई की स्थिति को सुधारने की प्रथम आवश्यकता है क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसे प्राप्त करके व्यक्ति अपने जीवन के भविष्य का रास्ता चुन सकता है, लेकिन विचारणीय यह है कि वर्तमान में सरकारी स्कूलों की पढ़ाई आज के प्रतियोगिता के दौर में बिल्कुल शून्य के बराबर है। NDTV के एक सर्वे के आंकड़े के अनुसार हमारे देश में 60 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या की औसत आय 72 हजार रुपये सालाना से भी कम है। जबकि हमारे देश के मध्यम शहर के ही निजी स्कूलों की स्थिति यह कि पाठ्यक्रम व यूनिफार्म का एक साल का खर्चा प्रति विद्यार्थी पचास हजार से अधिक होता है तो निजी स्कूल तो गरीब परिवार की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि 72 हजार रुपये प्रतिवर्ष कमाने वाले परिवार के बच्चों को सरकारी स्कूल के माध्यम अच्छी शिक्षा कैसे मिले। ऐसा नहीं कि यह समस्या आज ही उत्पन्न हुई है बल्कि जब से शिक्षा में निजीकरण का हस्तक्षेप हुआ है। असल समस्या तभी से उत्पन्न हुई है। हमें याद आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी जिन्होंने सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के ट्यूशन पर रोक के साथ-साथ परीक्षाओं में नकल करने पर सख्ती से रोक लगाना शिक्षा के क्षेत्र में सुधार का एक महत्वपूर्ण कदम था। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार को कोई अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं, अपितु केवल सरकार को अपनी मनसा और तंत्र में बदलाव करने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं लगभग 15 वर्ष पहले भी कह चुका हूं। जिसे दैनिक जागरण ने अपने पाठक नामा में प्रमुखता से छापा था। जिसका शीर्षक था "शिक्षा में हो पाठ्यक्रम और यूनिफार्म एक, तब शिक्षा होगी समान सच्ची और नेक" एक तो यह पूरे देश में लागू होना चाहिए जिससे सभी को एक समान शिक्षा मिलने के साथ-साथ पाठ्यक्रम सस्ता व निजी स्कूलों की पाठ्यक्रम के नाम पर हो रही लूट पर पूरी तरह से रोक लग सकती है तथा यूनिफार्म एक होने से गरीबी व अमीरी का कम से कम दिखावटी भेदभाव खत्म हो सकता है और सही मायने में सरकारी स्कूलों की शिक्षा की दशा बदलनी है और गरीब के बच्चों का भविष्य शिक्षा के माध्यम से बनाना है तो हमारे देश को पिछले दिनों एक बड़े प्रांतीय प्रतिष्ठित माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशित आदेश को लागू करना चाहिए। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की हालत को सुधारना है तो भारत के सभी जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान से लेकर संसद सदस्य, सभी मंत्री, सभी आईएएस अधिकारी और ब्लॉक लेबल से तहसीलदारों के बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ें, बस सरकार को यह आदेश कर अमल में लाना है। माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश के लागू होते ही सरकारी स्कूलों में शिक्षा की दशा रातों-रात बदल सकती है और बहुत ही रोचक तथ्य यह है कि माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश को क्रियान्वित करने में सरकार पर किसी भी तरह का अलग से आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा और बाकी सुधार जैसे सरकारी अध्यापकों को शिक्षा के कार्य के अलावा हर कार्य से मुक्त रखा जाए।

वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/कोच केयर सेंटर
हजरत निजामुद्दीन, उत्तर रेलवे, दिल्ली मंडल

धूप-छांव टी स्टॉल

सुरेंद्र कुमार

नौकरी लगने से पहले मैं चाय नहीं पीता था और जब यह सुनता था कि कार्यालयों के कर्मचारी दिन में दो बार चाय पीते हैं या चाय पीने जाते हैं तो मुझे थोड़ा अजीब लगता था। मेरा यह मानना था कि बिना चाय पीये भी कार्यालय में कार्य किया जा सकता है। मेरा विचार जो भी रहा हो लेकिन प्रशासन ने कर्मियों की इस परम्परा और आदत को सही माना और इसी को ध्यान में रखकर सभी बड़े कार्यालयों में जलपान गृह, जिन्हें आधुनिकता के कारण आजकल कैटीन कहा जाता है, बनाए गए, ताकि कर्मियों को असुविधा न हो। समय और परिस्थितियों ने सहयोग किया तथा परम सत्ता ने आशीर्वाद दिया तो मुझे भारतीय रेलवे में नौकरी मिल गई।

सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मैं कार्यालय के प्रभारी के पास पहुंचा तो लगभग एक बजने वाला था। प्रभारी महोदय ने कहा कि अभी भोजन का समय होने वाला है भोजन करके लगभग तीन बजे आना। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो दो घंटे और आराम रहेगा। तीन बजने से पहले ही मैं फिर प्रभारी महोदय के पास पहुंच गया। प्रभारी महोदय ने मेरे सभी कागज-पत्र अपने पास रख लिए और कुछ देर बैठने के लिए कहा। लगभग बीस मिनट बाद प्रभारी महोदय ने कहा कि चलो चाय पीने चलते हैं। मैंने सकुचाते हुए कहा कि मैं चाय नहीं पीता। मैं चाय नहीं पीता यह जानकर कार्यालय के कर्मचारी बहुत हैरान हुए। एक सज्जन ने तो कह ही दिया “बड़े सिद्धान्तवादी हो भाई! कोई बात नहीं कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा।” उनकी यह बात सुनकर मैं समझ ही नहीं पाया कि वे मेरे चाय न पीने की बड़ाई कर रहे हैं या बुराई! न चाहते हुए भी मुझे सबके साथ जलपान गृह में जाना पड़ा। क्योंकि मैं चाय नहीं पीता था इसलिए मेरे प्याले (कप) में थोड़ी सी चाय ही डाली गई। मैंने गर्म पानी समझकर चाय का सेवन कर लिया। विडम्बना देखिए, चाय पीने के जिस कार्य या आदत को मैं आवश्यक नहीं मानता था वही कार्य मुझे पहले ही दिन कार्यालय में करना पड़ा। चाय पीने के समय केवल चाय पीने का ही काम नहीं होता है अपितु मनचाही गपशप करने का भी यही समय होता है। कार्यालय में या कहीं अनुभाग में थोड़ी पाबंदी रहती है, मनपसंद गपशप नहीं हो पाती है। यह चाय पीना और मनपसंद गपशप टॉनिक का काम करते हैं, जिससे कर्मी स्वयं को ऊर्जावान और स्फूर्तियुक्त महसूस करते हैं। भले ही यह ऊर्जा और स्फूर्ति कुछ समय के लिए ही हो। मैं दोनों समय सहकर्मियों के साथ जलपान गृह जाता लेकिन चाय कभी-कभार ही पीता।

कुछ समय बाद मेरा स्थानांतरण दूसरे कार्यालय में हो गया। अब मैं भी दोनों समय चाय पी लेता हूं। अर्थात् मैं भी परम्परा में ढल गया हूं। यहां कार्यालय के जलपान गृह के अलावा कार्यालय के सामने यार्ड में एक बड़े पेड़ के नीचे चाय की एक छोटी सी दुकान भी है। दुकान को एक औरत और उसका लगभग पंद्रह वर्ष का लड़का चलाते हैं। इनकी चाय जलपान गृह की चाय से अच्छी होती है, इसलिए लोग यहां आते हैं। सहकर्मियों ने पेड़ की छाव वाली दुकान पर चलने को कहा तो मैं भी चला गया। मिट्टी के तेल से चलने वाले बड़े स्टोव पर चाय चढ़ाकर लड़का चाय बना रहा है। बनने के बाद प्यालों में चाय छान देता है। लोगों को चाय पकड़ाने और पैसे लेने का काम उसकी मां करती है। चाय के साथ मट्ठी, फैन, बिस्कुट आदि भी यहां मिलते हैं।

कुल मिलाकर मां- बेटा कड़ी मेहनत करके दो पैसे कमाते हैं और अपना पेट पालते हैं। दुकान पूर्णतः कानून संगत नहीं है, इसलिए मां-बेटे को सुरक्षा से जुड़े कर्मियों की खुशामद और आवभगत करनी पड़ती है।

पेड़ की छांव में कई लोग चाय के इंतजार में खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूं। स्टोव बंद पड़ा है क्योंकि लड़का किसी बात पर मां से नाराज होकर कुछ दूर भाग गया है और मां उसे पकड़ने गई है। स्पष्ट है चाय मिलने में समय लगेगा। आज मैं अकेला ही चाय पीने आया हूं, गपशप करने के लिए कोई नहीं है। अचानक ध्यान आया कि क्यों न इस दुकान का कोई नाम रख दिया जाए! कुछ देर सोच-विचार करने के बाद मैंने इस दुकान का नाम धूपछांव टी स्टॉल रख दिया। बस, तभी से हम इसे धूप-छांव टी स्टॉल कहने लगे। कुछ देर बाद मां लड़के को पकड़कर लाई। उसे थोड़ा प्रलोभन दिया तब वह माना। बुझा हुआ स्टोव चल पड़ा और चाय बनने लगी। बातों-बातों में पता चला कि लड़का इस औरत का सगा बेटा नहीं है। औरत दूर-दराज के अपने गांव से पति के साथ शहर में मजदूरी करने आई थी, पति और बेटे की मौत हो गई। पेट पालने के लिए उसने रेलवे के यार्ड में चाय बेचनी शुरू कर दी। लड़का भी अनाथ है, मां-बाप का पता नहीं है। जब छोटा था तो इस औरत ने इसे अपने पास रख लिया और अपने बेटे की तरह पालने लगी। अर्थात् दो अनाथ मिलकर एक-दूसरे का सहारा बन गए और जीवन की गाड़ी चल पड़ी। लड़का अब कुछ बड़ा हो गया है तो चाय बेचने में मां की मदद करता है। लड़का इस औरत को अपनी मां ही मानता है, लेकिन कभी-कभी बिदक जाता है और मां को परेशान कर देता है। चाय बन गई, सबके साथ-साथ मैंने भी चाय पी और वापस आ गया।

कार्यालय के सबसे बड़े अधिकारी का स्थानांतरण हो गया है। उनके स्थान पर आए नए अधिकारी बहुत सक्रिय और कर्मठ हैं। कार्यालय के विभागों में और स्टेशनों पर जाकर देखते हैं कि कहां क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है! इसी क्रम में आज सबसे बड़े अधिकारी यार्ड के दौरे पर हैं। सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों को अधिकारी के दौरे का पता चला तो मां-बेटे को यार्ड से भगा दिया। अधिकारी महोदय जब पेड़ के पास पहुंचे तो चबुतरे पर कालिख देखकर पूछा कि कालिख किस चीज की है? साथ चल रहे छोटे अधिकारियों और प्रभारियों ने वहां चाय बनने की बात कही। साथ ही यह भी बताया कि मां-बेटा चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। बड़े अधिकारी ने मां-बेटे को बुलवाया और कहा कि उसे चाय बनाकर पिलाएं। चाय बनी, बड़े अधिकारी ने पी, चाय वास्तव में अच्छी थी। बड़े अधिकारी का मन तृप्त हो गया, पूछा कि यार्ड में कितने कर्मचारी काम करते हैं और कार्यालय से लगभग कितने कर्मचारी यहां चाय पीने आते हैं? दोनों को मिलाया तो संख्या बहुत बड़ी थी। यार्ड के कर्मचारियों ने भी कहा कि उन्हें इस चाय की दुकान से बहुत सुविधा है, चाय पीने कार्यालय तक नहीं जाना पड़ता, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है तथा चाय भी अच्छी मिलती है। सभी पहलुओं पर विचार करके सबसे बड़े अधिकारी ने वहां खड़े-खड़े ही तुरंत यह आदेश जारी कर दिया कि यहां पर जल्द से जल्द एक कमरा बनाया जाए और जलपान गृह के लिए मां-बेटे को आवंटित कर दिया जाए, जिससे मां-बेटे का काम भी पूर्णतः कानून संगत हो और कर्मचारियों को भी सुविधा रहे। बड़े अधिकारी की बात सुनकर खुशी से मां- बेटे की आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उनकी सुध लेगा और इतना बड़ा सहारा देगा! उनके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे, बस हाथ जोड़े खड़े रहे।

जलपान गृह के लिए पेड़ के पास टिन शेड की छत वाला एक छोटा कमरा बना दिया गया। कमरे के तीन तरफ खुली जगह रही। अर्थात् कमरा केवल चाय, समोसा आदि बनाने के लिए ही था। अभी भी सबको पेड़ के नीचे या आस-पास की खुली जगह पर खड़े होकर ही खाना-पीना था। स्पष्ट है कमरा बनने के बाद भी धूप-छांव की परम्परा बनी रही। बस इतना बदलाव हुआ कि पेड़ की शाखाओं के नीचे दो-तीन छोटे-छोटे तिरपाल बांध दिए गए, जिससे धूप और बारिश से बचाव हो सके। जब एक पक्की जगह मिल गई तो कभी भी हटने का डर खत्म हो गया। जब व्यक्ति के मन से डर खत्म हो जाता है तो उसे नए विचार और नए रास्ते सूझने लगते हैं। मां-बेटा भी इसके अपवाद नहीं थे। उन्होंने तय किया कि चाय, मट्ठी, फैन के साथ-साथ ब्रेड पकौड़ा, समोसा आदि भी बनाया जाए। इस सबके लिए कई लोगों की जरूरत थी। कोशिश करके लोग जुटाए गए, वे लोग जो गरीब थे और काम की तलाश में थे। काम शुरू हुआ और धीरे-धीरे चाय, समोसे, ब्रेड पकौड़े आदि की बिक्री बढ़ती गई। बिक्री बढ़ने का कारण वस्तुओं का स्वादिष्ट और अच्छा होना था। कुछ समय और बीता, लोगों की मांग पर खाना बनाना भी शुरू कर दिया, पानी की बोतल और शीतल पेय (कोल्ड ड्रिंक) भी रखे जाने लगे। जब लोगों को पास में ही अच्छी और सस्ती खाने-पीने की वस्तुएं मिलने लगी तो उन्होंने कार्यालय के जलपान गृह में जाना कम कर दिया। धीरे-धीरे इस धूप-छांव टी स्टॉल की इतनी प्रसिद्धि हो गई कि न केवल रेल कर्मों बल्कि आस-पास के बाहरी लोग भी यहां खाने-पीने के लिए आने लगे।

मैं किसी कार्य से शहर से बाहर गया था, वापस आया तो दिन के लगभग दो बज रहे थे। भूख लगी थी और घर पहुंचने में अच्छा-खासा समय लगने वाला था। सोचा कि पहले धूप-छांव टी स्टॉल पर कुछ खाया जाए, फिर घर जाया जाए। कुछ ही मिनट में मैं धूप-छांव टी स्टॉल पर पहुंच गया। पता चला खाना समाप्त हो चुका है, ब्रेड पकौड़े समाप्त हो चुके हैं और समोसे दोबारा बन रहे हैं, दस मिनट में मिलेंगे। केवल चाय, मट्ठी और बिस्कुट मिल सकते हैं। मैंने दस मिनट इंतजार किया तब समोसे मिले। समोसे खाकर मैंने घर की राह पकड़ी।

धूप-छांव टी स्टॉल आज भी अपने उसी रूप में चल रहा है। पेड़ के नीचे दो-तीन छोटे-छोटे तिरपाल बंधे हुए हैं। हां, दो पुराने बेंच और एक छोटी सी मेज जरूर पेड़ के नीचे रख दिए हैं। बेंचों पर सात-आठ लोग ही बैठ सकते हैं, अधिकतर लोग आज भी खड़े होकर ही खाते-पीते हैं। मां अब बूढ़ी हो गई है, कुछ काम नहीं करती, बस पेड़ के नीचे बैठी रहती है और निगरानी करती है। कहते हैं जिसके सिर पर बड़े-बुजुर्गों का हाथ हो वह बहुत उन्नति करता है और समस्याएं न के बराबर आती हैं। कुछ ऐसा ही आजकल मां कर रही है। जलपान गृह में बेटे के अलावा पांच लोग और काम करते हैं, जिनमें अधिकतर युवा हैं। अर्थात् मां-बेटे के अलावा पांच लोगों को और इस जलपान गृह में रोजगार मिला हुआ है और उनके परिवार का भरण-पोषण हो रहा है। जलपान गृह में सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है। वस्तुओं की मांग इतनी है कि दिन के एक बजे तक खाना समाप्त हो जाता है। खाना खाने के लिए एक बजे से पहले आना पड़ता है। कई बार शाम चार बजे दूध समाप्त हो जाता है और लोगों को दूध आने तक चाय के लिए इंतजार करना पड़ता है। धूप-छांव टी स्टॉल भली प्रकार से चल रहा है और लोगों को स्वाद व सुविधा दे रहा है।

मैंने चाय पीने की परम्परा को अवश्य अपनाया लेकिन ऐसी आदत नहीं बनाई कि दिन में एक निश्चित समय पर या सुबह उठते ही चाय चाहिए ही चाहिए। कई बार मैं दिन में चाय नहीं पीता, कई बार मैं सुबह चाय नहीं पीता और चाय की जगह रस (जूस) आदि अन्य पेय पदार्थ ले लेता हूँ। कई बार मैं केवल इसलिए चाय पीने जाता हूँ कि मेरे चाय पीने से धूप-छांव टी स्टॉल को दो पैसे की कमाई होगी और कई परिवारों का भरण-पोषण हो सकेगा।

धन्य है वह बड़ा अधिकारी, जिसके एक उचित निर्णय से न केवल मां-बेटे का जीवन सुधर गया बल्कि जो लोग धूप-छांव टी स्टॉल में काम करते हैं उनके परिवारों को भी जीने का आधार मिल गया। हमें ऐसे ही उचित और व्यावहारिक निर्णय लेने वाले प्रशासकों की आवश्यकता है। धन्य है वह माता, जिसने एक अनाथ को अपने बेटे की तरह पाला और उसके जीवन को खुशियों से भर दिया। उस बड़े अधिकारी और इस माता को कोटि-कोटि नमन है। हम आज भी यार्ड के इस जलपान गृह को धूप-छांव टी स्टॉल ही कहते हैं। मेरी कामना है कि यह धूप-छांव टी स्टॉल हमेशा ऐसे ही फलता-फूलता रहे।

कनिष्ठ अनुवादक/राजभाषा विभाग,
मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, उत्तर रेलवे, दिल्ली मंडल

पाठकों से अनुरोध

पाठक, राजभाषा पत्रिका “सरस्वती संगम” के आगामी अंकों में प्रकाशन हेतु तकनीकी लेख, यात्रा संस्मरण, पर्यटन संबंधी जानकारी, कहानियां, नाटक, कविताएं, गीत, गजल, जीवनी व रेल तथा हिंदी से संबंधित जानकारी, पूर्ण लेख व रचनाएं भेज सकते हैं। प्रकाशन हेतु भेजी गई रचनाएं स्वलिखित व अप्रकाशित होनी चाहिए। “सरस्वती संगम पत्रिका” में रेलकर्मी, उनके परिवार के सदस्य तथा सेवानिवृत्त रेलकर्मी भी अपनी रचनाएं प्रकाशन हेतु भेज सकते हैं। शीघ्र प्रकाशन में सहयोग हेतु अपनी रचनाएं ई-मेल से rbahqnr@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

“सरस्वती संगम पत्रिका” में प्रकाशित होने वाली रचनाओं पर रेलवे बोर्ड के पत्र सं. हिंदी/99/रे.रा.भा./3 के अनुसार निम्नलिखित मानदेय दिए जाने का प्रावधान है:-

लेख/कहानी/नाटक 1,000/- रु. (एक हजार रु. मात्र)

कविता/पुस्तक समीक्षा 400/- रु. (चार सौ रु. मात्र)

कार्टून/चित्र 300/- रु. (तीन सौ रु. मात्र)

साप्ताहिक अवकाश

अशोक कुमार शर्मा

आज साप्ताहिक अवकाश है, सबुह देर से उठने का सनुहरा अवसर मिला, जिसकी प्रतीक्षा सप्ताह भर रहती हैं दैनिक क्रिया कलाप से निबटने के बाद ऊपर की गैलरी में बैठकर धूप लेने का निर्णय लिया. धूल से नहाई हुई कुर्सी को साफ करने के बाद अखबार और चश्मे को सभालते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए, सारी चीजों को संभालकर आखिर गैलरी तक पहुंच ही गया. खिली धूप को देखकर पिछले एक महीने से चल रहे स्मोक का ऐतिहासिक विवाद याद आ गया. दिल्ली से लगते हुए राज्यों हरियाणा एवं पंजाब की राज्य सरकारों की निरंतर बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप निरर्थक नज़र आए.

प्रकृति और नियति ने इस विवाद को स्वतेह ही समाप्त कर दिया और प्रशासनिक स्तर पर इस विवाद को एक साल के लिए टाल दिया, बिना किसी ठोस निर्णय के जो की सरकारों से अपेक्षित था.

गैलरी में बैठकर सामने सड़क से गुजरते हुए लोगों को देखकर लगा तमाम परिवर्तन और विकास के बावजूद जीवन अभी भी सहज रूप में अस्तित्व में हैं. कुछ बच्चों का समूह तेज आवाज में बातें करता हुआ निकला, उनके हाव भाव उसी सहजता को समेटे हुए थे जो वर्षों से अभी भी अपने मूल रूप में मौजूद नज़र आती हैं. एक सेवा से निवृत्त वृद्ध सज्जन नज़र आए, अपनी परंपरागत उत्तराखंड वाली टोपी लगाए हुए, वर्षों से हम उन्हें सड़क पर सिगरेट पीते हुए इसी प्रकार चिंताओं से परे पुरानी सोच वाले लोगों की मानसिकता से जीते हुए देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो ऐसे नित्य ही नजर आए.

तभी एक ग्रहणी तेजी से दैनिक समान से भरा हुआ बैग लेकर घर की ओर जाती हुई नजर आई अवश्य ही घर पर बच्चों ने कोई फरमाइश की होगी.

बीच-बीच में मैं अखबार पर भी नजर डाल रहा था। अचानक एक विज्ञापन को देखकर नज़र ठहर गई, जिसके आंखों का अत्याधुनिक लेजर तकनीक से इलाज का विज्ञापन था और अखबार की इस कटिंग को लाने पर निशुल्क चैकअप की छूट थी. अचानक से शरीर में ऊर्जा बहने लगी और अपनी कमज़ोर आंखों को दिखाने का विचार तेजी पकड़ने लगा. लेकिन तभी खाने की थाली उपर आ गई, खाना खाने के बाद सुस्ताने का मन करने लगा और आंखों की परवाह किए मैंने एक झपकी लेने का निर्णय लिया. मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि स्मोक पर विचार करने के लिए और मेरी आंखों का इलाज के निर्णय लेने के लिए एक वर्ष का अंतराल आ गया है.

मुख्य गाड़ी लिपिक/कोचिंग सेल, परिचालन विभाग,
प्रधान कार्यालय, उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली

जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं, जो यह स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं।

"गौतम बुद्ध"

सुखद जीवन की आस

मंजू रानी

रविवार का दिन था, परिवार में सभी बच्चे, पति व सास देर से सो कर उठते थे लेकिन कविता नाश्ता, दोपहर का खाना एवं अन्य घरेलू कार्य होने के कारण, छुट्टी होने के बावजूद भी नियत समय से ही उठती थी। कविता ने नाश्ता तैयार कर सभी को जगाया। सभी आनाकानी करते हुए उठे। साथ ही कविता को जल्दी उठाने के लिए प्रवचन दिए जा रहे थे कि छुट्टी वाले दिन तो कम से कम आराम करने दिया करो। नाश्ता परोसते हुए वह सोच रही थी कि उसकी भी तो छुट्टी होती है रविवार को लेकिन वह कभी देर तक नहीं सोती। उन सबको अच्छा खाना खिलाने के लिए वह रोज की तरह समय से ही उठती है जबकि कोई इस ओर ध्यान ही नहीं देता। फिर भी वह इसे अपनी जिम्मेदारी समझती है इस आस में कि कभी तो परिवार वाले उसे समझेंगे। सबने नाश्ता किया लेकिन कविता को एक बार भी साथ बैठकर खाने को नहीं बोला। सब अपना नाश्ता कर उठ कर चले गए। कविता अपना नाश्ता सोफे पर बैठ कर ही खाने लगी। ऐसे अकेले नाश्ता करते हुए वह अतीत की यादों में खो गई। उसे सब पुरानी बातें याद आ गईं, जब वह पहली बार इस घर में बहू बनकर आई थी। उसकी आँखों में लाखों ख्वाब थे जो उसने अपने वैवाहिक जीवन के लिए सजाए थे लेकिन कुछ ही समय में उसके ख्वाब एक-एक कर टूटने लगे थे।

कविता एक मध्यम वर्गीय परिवार के तीन भाई-बहनों में सबसे छोटी व लाडली थी। उसका परिवार एक संयुक्त परिवार था। उसके दादा-दादी भी उनके साथ ही रहते थे। कविता शुरुआत से ही पढ़ाई-लिखाई में कुशल एवं मेधावी थी। उसे हर समय कुछ नया सीखने की लालसा रहती थी। जब कविता ने 12वीं कक्षा उच्च अंकों से उत्तीर्ण की थी तब उसने अपने पिता जी से आगे पढ़ने की मनुहार लगाई। उसकी यह बात सुनकर दादा-दादी ने कहा कि “बहुत पढ़ाई कर ली इसने अब इसके हाथ पीले करने की उम्र हो चुकी है”। किन्तु उसके पिताजी ने दादा-दादी की बात न मानते हुए उसे बी.ए की पढ़ाई करने की अनुमति दे दी। क्योंकि वह जानते थे कि कविता कुछ बनना चाहती है और वह उसको पंख देने की तैयारी करने लगे। बी.ए. के साथ-साथ ही वह विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारी करने लगी। देखते ही देखते उसने बीए भी उत्तीर्ण कर ली लेकिन किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल नहीं हो सकी। उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। घर-परिवार के साथ-साथ समाज ने उसके लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। कहते हैं हर पिता अपनी बेटी के लिए योग्य वर तलाशने के सपने संजोता है। कुछ रिश्तेदारों द्वारा बताए लड़के देखने के बाद उन्हें एक रिश्ता अपनी कविता के योग्य लगा। प्रभात एक सुदृढ़ कद-काठी वाला, मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। परिवार में माता-पिता, एक बड़ा भाई-भाभी एवं उनकी एक बेटी ही थे। कविता के लिए यह परिवार पिताजी को योग्य लगा। घर पर जब इस रिश्ते के लिए चर्चा की गई तब एक बार तो कविता ने मना किया यह कहकर कि वह अभी पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। इस पर पिताजी ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी नौकरी करने एवं आगे पढ़ने की बात पहले ही रख देंगे। यदि उन्हें आपत्ति नहीं होगी तभी रिश्ता आगे बढ़ाएंगे। रिश्ता लेते समय तो प्रभात के परिवार वालों ने कविता की पढ़ाई और नौकरी की बात मान ली किन्तु उसमें कितनी सच्चाई थी यह तो विवाह के बाद ही पता चलेगा। कविता का रिश्ता तय हुआ। लड़के वालों ने चट मंगनी पट ब्याह की तान

पर शादी की। सब कुछ एक-दो महीने के भीतर ही संपन्न हो गया। नई उमंग लिए कविता ने प्रभात के साथ अपनी गृहस्थी में प्रवेश किया। कविता खुश थी कि शादी के बाद भी वह अपने सपनों को पूरा कर सकेगी। लेकिन समय के साथ-साथ परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ कविता की पढ़ाई छूटने लगी। वह कुछ परेशान उदास सी रहने लगी। कविता की सास अशिक्षित होने के साथ-साथ रूढ़िवादी विचारों वाली थीं उन्हें लगता था कि बहू सिर्फ घर के काम करे, बच्चे संभाले और सास-ससुर की सेवा करे। लेकिन कविता के पति प्रभात के विचार अपनी मां से विपरीत थे। वह कविता को पूर्ण रूप से सहयोग करता, उसका मनोबल बढ़ाता। प्रभात ने कविता को कोचिंग के लिए दाखिला करवा दिया ताकि वह अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सके। प्रभात के इस फैसले से उसकी मां आहत हुई। उन्होंने घर में कलह शुरू कर दिया। आए दिन कविता को खरी-खोटी सुनाती रहती थीं। कविता की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करे, कि सब अच्छा हो जाए। समय बीतता रहा, कविता ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। समय बदला कविता की मेहनत रंग लाई। उसकी सरकारी नौकरी लग गई। दोनों पति-पत्नी बहुत खुश थे लेकिन कविता की सास अभी भी खुश नहीं थी। उनका व्यवहार कविता के प्रति और अधिक रुखा हो गया था। शादी के 6 साल बाद भी कविता अपनी सास के दिल में स्थान पाने में असमर्थ थी। पिछले तीन सालों से कविता नौकरी के साथ-साथ घर-परिवार, बच्चे सभी की जिम्मेदारी बखूबी निभाती आ रही थी। कविता अपनी ओर से हर तरह से कोशिश करती अपनी सास का दिल जीतने की परंतु उसकी कोशिशें व्यर्थ जातीं। कविता को उसकी बेटी ने आकर हिलाया, तब वह अपने ख्यालों से वर्तमान में लौटी। बेटी बोली, मम्मा- दादी कब से बुला रही है आपको, जाइए उन्हें कोई काम होगा आपसे। लेकिन कविता जानती थी कि उन्हें फिर कोई नया तरीका सूझा होगा उसे तंग करने का। वह यही सोचती रहती कि “क्या उसे भी जीवन का आनंद मिल पाएगा कभी ?” मन ही मन वह ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ गई।

कनिष्ठ अनुवादक, राजभाषा विभाग
मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, उत्तर रेलवे, फिरोजपुर मंडल

राजभाषा नियमों के अनुपालन की दृष्टि से राज्यों का विभाजन	
क क्षेत्र	बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र।
ख क्षेत्र	गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र
ग क्षेत्र	“क” व “ख” क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र

चिनाब नदी पर रेलवे पुल - निर्माण की कहानी

हरीश कुमार निगम

भारत में रेलवे का इतिहास गौरवशाली और विस्तृत है। जिसमें अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं में से एक महत्वपूर्ण परियोजना है। चिनाब नदी पर रेलवे पुल का निर्माण। यह पुल जम्मू-कश्मीर में स्थित है, और इसे दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे पुल माना जाता है।

पुल का महत्व और स्थान

चिनाब नदी पर रेलवे पुल का निर्माण उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL) परियोजना के अन्तर्गत किया गया है। यह परियोजना जम्मू-कश्मीर के दूरदराज़ के क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। चिनाब पुल बक्कल और कौड़ी के बीच स्थित है।

यह पुल संगलदान एवं रियासी रेलवे स्टेशन को जोड़ता है, एवं यह कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

पुल की आधारशिला दिसंबर 2004 में रखी गयी थी, एवं इसका निर्माण अगस्त 2022 में पूर्ण हो पाया। पुल की कुल लंबाई 1,315 मीटर है, और इसकी ऊँचाई नदी के तल से लगभग 359 मीटर (1178 फीट) है। इस ऊँचाई के कारण यह पुल दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे आर्च पुल बन गया है। जो पेरिस के एफिल टॉवर से भी ऊँचा है। इस पुल का निर्माण भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने किया है।

तकनीकी चुनौतियाँ और समाधान

चिनाब नदी पर पुल का निर्माण एक चुनौतीपूर्ण तकनीकी कार्य था। यहाँ की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियाँ निर्माण कार्य को अत्यंत कठिन बनाती हैं। तेज हवाओं, भू-स्खलन, और तीव्र शीतलहरों के कारण काम को अंजाम देना मुश्किल था। इन चुनौतियों के बावजूद, भारतीय इंजीनियरों ने इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया।

पुल के निर्माण में आधुनिक तकनीकों और उपकरणों का उपयोग किया गया। इसके निर्माण में उपयोग की गई मुख्य तकनीकों में बैलेंस्ड कैंटिलीवर पद्धति प्रमुख है। इस तकनीक के तहत, पुल के दोनों किनारों से कंस्ट्रक्शन किया गया, जो अंत में बीच में मिलकर पूरा हुआ। यह तकनीक पुल को मजबूती और स्थायित्व प्रदान करती है।

इसे कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना के अन्तर्गत बनाया गया है। इस पुल को बनाने में कुल 25,000 मीट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील का उपयोग किया गया है, और यह माइनस 10 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेल सकता है। इसके अलावा, पुल की संरचना को इस प्रकार डिजाइन किया गया है, कि यह भूकंप और तेज हवाओं को झेल सके।

परियोजना की समय सीमा और लागत

चिनाब नदी पर रेलवे पुल का निर्माण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। इस परियोजना की शुरुआत 2004 में हुई थी, और इसे रेलवे के इंजीनियरों ने 13 अगस्त 2022 को पुल के मेहराब या आर्क के दोनों ऊपरी डेक को आपस में जोड़कर काम पूरा किया। परियोजना की कुल लागत लगभग 1,486 करोड़ रुपये है।

इस अवधि के दौरान अनेक तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जिसके कारण परियोजना की समय सीमा कई बार बढ़ाई गई। लेकिन, भारतीय रेलवे और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के अथक प्रयासों के कारण यह परियोजना सफलतापूर्वक पूर्ण हुई।

पुल पर ट्रेन का ट्रायल रन पूरा

चिनाब रेलवे पुल पर 20 जून 2024 को रामबन जिले के संगलदान और जम्मू-कश्मीर के रियासी के बीच पहली ई.एम.यू. ट्रायल ट्रेन का सफल संचालन किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मौके पर एक्स (पूर्व ट्विटर) पर वीडियो शेयर किया। अब जल्द ही इस पुल पर ट्रेनों का नियमित संचालन शुरू हो जाएगा।

चिनाब रेल ब्रिज की विशेषताएं

1. भूकंप और ब्लास्ट प्रतिरोध: पुल को भूकंप और ब्लास्ट को झेलने की क्षमता होनी चाहिए थी। इसके लिए पुल को सिस्मिक जोन-5 के हिसाब से तैयार किया गया, जो रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप को भी झेल सकता है।
2. ब्लास्ट प्रूफ स्टील का उपयोग: पुल के निर्माण में ब्लास्ट प्रूफ स्टील का उपयोग किया गया है, जो 40 किलोग्राम के विस्फोटक को भी झेल सकता है।
3. ऑनलाइन मॉनिटरिंग और चेतावनी प्रणाली: पुल को ऑनलाइन मॉनिटरिंग और चेतावनी प्रणाली से लैस किया गया है। जो किसी भी असामान्य गतिविधि की सूचना देगी।
4. कोरटेन स्टील का उपयोग: पुल में कोरटेन स्टील का उपयोग किया गया है। जो पर्यावरणीय परिस्थितियों के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है।
5. तेज हवाओं का प्रबंधन: पुल पर लगे सिग्नल तेज हवाओं के कारण रेड हो जाते हैं। जिससे ट्रेनों को रोका जा सकता है। इस चुनौती का भी सामना किया गया है।

इन सुरक्षा उपायों के साथ चिनाब रेल ब्रिज को बनाया गया है, ताकि यह भूकंप, ब्लास्ट और कठिन मौसम की स्थितियों को झेल सके।

पर्यावरणीय प्रभाव

पुल के निर्माण के दौरान पर्यावरणीय प्रभावों को भी ध्यान में रखा गया। निर्माण कार्य के दौरान यह सुनिश्चित किया गया, कि पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुँचे। चिनाब नदी और आसपास के क्षेत्र की पारिस्थितिकी को संरक्षित रखने के लिए विशेष उपाय किए गए।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

चिनाब नदी पर रेलवे पुल का निर्माण जम्मू-कश्मीर के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा एवं यह कश्मीर घाटी को देश के अन्य राज्यों से भी जोड़ेगा। जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगो को रोजगार भी मिलेगा। अब कश्मीर घाटी के लोग आसानी से जम्मू और देश के अन्य हिस्सों तक पहुँच पायेंगे। जिससे उनकी जीवन शैली में भी सुधार होगा।

भविष्य की संभावनाएँ

चिनाब नदी पर रेलवे पुल का निर्माण भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह भारत के तकनीकी और इंजीनियरिंग कौशल का भी प्रतीक है। इस पुल के निर्माण के बाद, भविष्य में इस प्रकार के और भी कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की संभावना है। भारतीय रेलवे इस अनुभव का उपयोग अन्य चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं में भी कर सकती है। इसके अलावा, यह पुल अन्य देशों के लिए भी एक प्रेरणा है। जो अपने रेलवे नेटवर्क को मजबूत और विस्तारित करना चाहते हैं।



वरिष्ठ फार्मासिस्ट,
मंडल चिकित्सालय, उत्तर रेलवे, फिरोजपुर मंडल

माधवी की कहानी

श्रीमती अंजली शर्मा

माधवी की आज सरकारी नौकरी लगी थी। वह बहुत खुश थी। अभी उसकी आयु साढ़े 20 वर्ष की थी। इतनी छोटी सी आयु में सरकारी नौकरी मिलने पर उसके माता-पिता भी बहुत खुश थे। उसके पिताजी ने कहा कि माधवी की अब सरकारी नौकरी लग गई है। अब अच्छे रिश्तों की कोई कमी नहीं होगी। अब जब चाहें उसकी शादी कर सकते हैं। माधवी के पिताजी श्री जितेंद्र पाल वकील थे। नौकरी करते हुए माधवी को अभी एक वर्ष ही हुआ था कि उसके पिताजी ने अपने मुंशी से कोई अच्छा रिश्ता बताने के लिए कहा। मुंशी ने कहा कि पुलिस विभाग में एक थानेदार है जिसका नाम सरवन कुमार है। वह भी अपने साले के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। माधवी के पिताजी ने कहा कि उनको तो मैं भी जानता हूं। वकील होने के कारण उनका पुलिस विभाग से वास्ता पड़ता रहता था। सरवन कुमार से बात करने पर उन्हें पता चला कि उनका साला सिविल इंजीनियर के पद पर सरकारी नौकरी में है। रिश्ते की बात चल पड़ी। सरवन कुमार ने रिश्ते के लिए जितेंद्र पाल के घर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। जितेंद्र पाल जी की सिर्फ एक ही शर्त थी कि लड़का खाता-पीता न हो। लड़के मनीष कुमार की माँ की मृत्यु तभी हो चुकी थी जब वह दो वर्ष का था तथा पिता की मृत्यु तब हुई थी जब वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। एक बड़ा भाई, भाभी और दो बड़ी बहनें थीं। सभी विवाहित थे। मनीष कुमार चारों भाई बहनों में सबसे छोटा था। जितेंद्र पाल जी को रिश्ता जंच रहा था। उन्होंने सरवन कुमार से पूछा कि लड़का खाता पीता तो नहीं है। खाने-पीने से अभिप्राय था कि लड़का शराब या सिगरेट तो नहीं पीता है। सरवन कुमार ने कहा कि उसे कोई व्यसन नहीं है। जितेंद्र पाल जी निश्चिन्त हो गए। उन्होंने अपने रसूख से पता करवा लिया था कि लड़का वाकई पक्की सरकारी नौकरी में सिविल इंजीनियर है। जितेंद्र पाल जी दहेज़ मांगने वाले रिश्तों के भी खिलाफ थे। एक दिन उन्होंने मनीष से पूछा कि मनीष तुम्हारी क्या डिमांड है? मनीष ने कहा कि मेरी यही डिमांड है कि आगे से आप कभी मुझ से यह न पूछना कि मेरी क्या डिमांड है। क्योंकि मेरी कोई डिमांड नहीं है। जितेंद्र पाल जी मनीष के उत्तर से बहुत संतुष्ट थे कि लड़का दहेज़ का लालची नहीं है। जितेंद्र पाल जी की सरवन कुमार के भाई से भी जान पहचान थी। एक दिन सरवन कुमार का भाई जितेंद्र पाल जी के घर आया और कहा कि जिससे आप अपनी बेटी की शादी करने का सोच रहे हैं, वह लड़का तो शराब पीता है। यह बात सुनकर जितेंद्र पाल जी ने सरवन कुमार को घर बुलाया और कहा कि मुझे पता चला है कि लड़का शराब पीता है। सरवन कुमार ने कहा कि आपसे किसने कहा है? जितेंद्र पाल जी स्पष्ट वक्ता थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई ने ही कहा है। यह बात सुनकर सरवन कुमार ने कहा कि लड़का तो बिना मां-बाप के पला है। उसने तो पढ़ाई बड़ी मुश्किल से पूरी की है। उसके पास शराब पीने के लिए पैसे कहां से आने थे? ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि सरवन कुमार के साथ भी वर्षों की जान-पहचान थी तो जितेंद्र पाल जी ने उसकी बात का विश्वास कर लिया और माधवी और मनीष की शादी हो गई। शादी के बाद रिसेप्शन हुई। रिसेप्शन के पश्चात् सभी रिश्तेदार धीरे-धीरे करके चले गए। मनीष ने माधवी से कहा कि सभी ने तुम्हारी तारीफ की है। कोई भी एक व्यक्ति नहीं है जिसने तुम्हें सराहा न हो। माधवी वास्तव में ही बहुत सुंदर थी। सूरत से भोलापन टपकता था। सिर्फ सूरत से ही भोलापन नहीं

टपकता था उसका स्वभाव भी बहुत सरल था। आज सोचती है तो उसे लगता है कि उस समय वह बिल्कुल बुद्धू थी, दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं थी। शादी के तुरंत बाद घूमने के लिए मनीष और माधवी शिमला गए। शिमला के जिस होटल में वे रुके वहां आलू के परांठे बड़े स्वादिष्ट थे। बड़े-बड़े परांठे थे। ऐसे परांठे जिंदगी में माधवी ने कभी नहीं खाए थे। शिमला में उन्हें अपने जैसा एक और कपल मिल गया था। उस कपल के साथ घूमने में भी माधुरी और मनीष को बहुत मजा आया। बाकी मनीष और माधवी दोनों बहुत खुश थे। वापसी पर दोनों चंडीगढ़ आए। वहां पर मार्केट में माधवी और मनीष रिक्शा पर जा रहे थे तो एक जगह मनीष ने रिक्शा रुकवा कर कहा कि मैं अभी आता हूं। बारिश हो रही थी। माधवी रिक्शा में बैठी मनीष का इंतजार कर रही थी। काफी देर हो गई थी। रिक्शा में बैठे-बैठे उसने पीछे मुड़ कर देखा तो मनीष सिगरेट पी रहा था। माधवी को देखते देख कर मनीष ने जल्दी से सिगरेट फेंक दी और रिक्शा में आकर बैठ गया। इधर माधवी की आँखों से आंसुओं की झड़ी लग गयी थी। उसे जिन्दगी में सबसे ज्यादा नफरत सिगरेट से थी। पति को सिगरेट पीता देख कर उसे बहुत धक्का लगा था। मनीष उस से बात करने की कोशिश कर रहा था किंतु वह मनीष की तरफ देख भी नहीं रही थी। उसके मन में हाहाकार मचा हुआ था। माधवी घूम कर पति के साथ ससुराल वापिस आ गई। घर में उसके जेठ-जेठानी और उनके दो बच्चे थे। शिमला घूमने जाते समय उसने अपने सोने के जेवर जेठानी को संभालने के लिए दिए थे। पीछे से जेठानी ने सोने के जेवर पहन कर आस-पड़ोस में दिखाया था किंतु माधवी ने इस बात का कोई बुरा नहीं मनाया।

खैर माधवी की छुट्टियां खत्म हो गई थीं। इसलिए माधवी अपने ससुराल से वापिस अपने कार्य स्थल वाले शहर में आ गई। उसी शहर में उसका मायका भी था। मनीष और माधवी दोनों ने अपनी-अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। मनीष और माधवी दोनों अलग-अलग शहरों में कार्यरत थे। माधवी को उसके माता-पिता ने किराए पर अलग घर लेकर दिया था। मनीष हफ्ते बाद घर आ पाता था। मनीष की अनुपस्थिति में माधवी अपने माता-पिता के घर में ही उनके साथ रहती थी। जब मनीष घर आता तो वह अपने घर चली जाती थी। धीरे-धीरे उसे पता चला कि उसके पति का स्वभाव बहुत गुस्से वाला था और उसके पति शराब भी पीते थे। उसने इस आघात को भी सह लिया। मनीष के सिगरेट और शराब पीने वाली बात उसके माता-पिता को भी पता लग गई थी। एक दिन की बात है मनीष घर आया हुआ था। माधवी अपने पति के साथ अपने किराये के घर में ही थी। उसने पति को सब्जी लाने के लिए बोला। उसके पति सब्जी लेने गए। किंतु सुबह से दोपहर हो गई, वह सब्जी लेकर नहीं आए। शाम को घर आए तो खाली हाथ थे। अब उसे अपने पति की इस आदत का भी पता चला कि वह अक्सर ऐसा ही करते हैं। घर से किसी और काम के लिए भेजो, लेकिन वह जाकर अपने दोस्तों के साथ व्यस्त हो जाते हैं और घर का काम जिसके लिए वह बाहर जाते थे ऐसे ही रह जाता था। उसके पति घर से जाते समय यह भी बता कर नहीं जाते थे कि कहां जा रहे हैं? इस बात पर, रात को देर से घर आने पर और सिगरेट और शराब पीने की बात पर भी उनकी आपस में काफी बार लड़ाई हो जाती थी। इसी बीच माधवी गर्भवती हो गई थी। उसकी ननद ने उससे कहा कि बच्चा होने पर यदि खर्चा उसके माता-पिता उठाएंगे तो वह प्रसूति के पश्चात सवा महीने के लिए अपने मायके रह सकती है, यदि मनीष खर्चा करेगा तो उसे अपने ससुराल जाकर जेठानी के पास रहना होगा। माधवी ने अपने माता-पिता से बात की। उन्होंने कहा कि पहला बच्चा है मायके में ही होगा और

हम ही खर्चा करेंगे। समय आने पर माधवी के बेटा हुआ। उसको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी तो डॉक्टर ने एक सप्ताह के लिए बच्चे को अस्पताल में ही दाखिल रखा। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर माधवी और बच्चे को उसके माता-पिता अपने घर ले आए। घर आने के बाद उसके जेठ और जेठानी उसके मायके आए और माधवी और बच्चे को ससुराल ले जाने की जिद करने लगे। माधवी के पिता ने कहा कि बच्चे की सेहत भी ठीक नहीं थी, अतः माँ और बच्चे को इसी शहर में रहने दिया जाए जिससे आवश्यकता पड़ने पर बच्चे को उसी अस्पताल में दिखाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आप ही की चीज है, सवा महीने के जापे के समय के बाद आप इन्हें ले जाना, किंतु माधवी की जेठानी नहीं मानी, उन्हें उसी समय अपने साथ ले जाने पर अड़ी रही। इस बात पर माधवी के माता-पिता और माधवी की जेठानी का आपस में झगड़ा हो गया। पति मनीष ने भी अपने भाई-भाभी का साथ दिया और गुस्से में वहां से चला गया। उसके बाद सवा महीना धीरे-धीरे बीतने लगा। किंतु उसके पति मनीष ने माधवी और बच्चे की कोई खोज खबर नहीं ली। माधवी मनीष को याद करके सारा दिन रोती रहती थी। कहां तो बच्चा होने पर घर में मां के सौ लाड़-चाव किए जाते हैं, घर में खुशी का वातावरण होता है, लेकिन माधवी का यह समय जो खुशियों से भरपूर होना चाहिए था दुख में डूब गया। बच्चे को बीसीजी का इंजेक्शन लगवाने के लिए जिस दिन माधवी अस्पताल जाने के लिए बच्चे के साथ घर से बाहर आई तो ऑटो रिक्शा में बैठे उसकी नज़रें मनीष को ही ढूँढ़ रही थीं कि शायद कहीं नजर आ जाए और वह उसे मना ले। मनीष में इतनी सारी बुराइयां होने के बावजूद भी माधवी उससे बहुत प्यार करती थी क्योंकि उसे पता था कि इतनी बुराइयों के बावजूद भी मनीष भीतर से एक अच्छा इंसान था। क्योंकि उसका बर्ताव सिर्फ माधवी के साथ अच्छा नहीं था किंतु अपने भाई-बहनों, अपने दोस्तों अपने मिलने वालों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा था। उनके वह बहुत काम आते थे। अपने भाई-बहनों की बहुत इज्जत करते थे। मनीष का सारा गुस्सा, सारी नाराजगी सहने के लिए तो शायद माधवी ही थी। खैर जापे के 40 दिन भी बीत गए और ये 40 दिन माधवी के रोते-रोते और मनीष को याद करते-करते बीते। माधवी के मन में अपने घर-संसार को बनाए रखने की बहुत तड़प थी। इन 40 दिनों के बीच में एक दिन मनीष की क्लास-फेलो लड़की जो माधवी के कार्यालय में ही काम करती थी उसके मायके आई और कहा कि मनीष ने कहा है कि जो टीवी घर पर रखा है वह माधवी की ननद को देना है। माधवी खुश थी कि मनीष की तरफ से कोई आया था माधवी ने टी वी देने के लिए हामी भर दी। टी वी मनीष ही घर लाया था। पता नहीं टी वी उसने खुद खरीदा था या मनीष की बहन ने मनीष को दिया था। इसके पश्चात मनीष ने न तो स्वयं ही न ही उसके घर के किसी सदस्य ने माधवी या उसके माता-पिता से संपर्क किया था। जापे का समय बीत चुका था। अब माधवी के माता-पिता चाहते थे कि वह अपने घर चली जाए। मनीष से किसी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा था। आखिर माधवी के माता-पिता ने माधवी को बताए बिना मनीष को तार कर दिया कि बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। तार पढ़ कर मनीष तुरंत आ गया। माधवी को यह बात अच्छी नहीं लगी कि उसके माता-पिता ने झूठ बोलकर मनीष को बुलाया था, किंतु माधवी के माता-पिता को दुनियादारी की उससे ज्यादा समझ थी। उन्हें पता था कि वैसे बुलाने पर अपनी जिद्द और अपने गुस्से में मनीष न आता और वह माधवी को अपनी आंखों के सामने यूं ही तड़पता देखते रहते।

मनीष माधवी को अपने साथ ले गया। माधवी खुश थी कि उसका घर बच गया। किंतु यह उसकी व्यथा का अंत नहीं था, क्योंकि मनीष की गलत आदतें बरकरार थीं जो मनीष और उसके भाई-बहनों के लिए कोई गलत आदतें नहीं थीं और अब मनीष का स्थानान्तरण भी माधवी के कार्यस्थल वाले शहर में हो गया था। कुछ समय के पश्चात माधवी के दूसरा बेटा हुआ। माधवी कुछ बोलती तो झगड़ा हो जाता और मनीष उस पर हाथ भी उठा देता था। माधवी रूठ कर बच्चों को लेकर मायके आ जाती। मनीष कभी मनाने न आता तो कुछ दिन बाद माधवी स्वयं ही अपने आप अपने घर वापिस आ जाती। झगड़ा होता तो आस-पास के लोग भी तमाशा देखते थे। अंत में माधवी ने सोचा कि वह मनीष को अपने ढंग से जीने देगी। उसे रात को देर से घर आने पर या शराब पीकर रात को देर से घर आने पर भी कुछ नहीं कहेगी। जब कुछ कहेगी ही नहीं तो झगड़ा कैसे होगा? क्योंकि झगड़ा होने पर मनीष माधवी को बिना बताए घर से गायब हो जाता था। एक दिन झगड़े के दौरान मनीष ने उससे कहा भी था कि इतनी दूर चला जाऊंगा कि तुम मेरी शक्ल देखने के लिए भी तरस जाओगी। माधवी अपने माता-पिता को मनीष को या उसके घर वालों को कुछ भी नहीं कहने देती थी कि कहीं मनीष गुस्से में आ कर उसे और उसके बच्चों को छोड़ कर न चला जाए। हालांकि माधवी की मम्मी उससे कहती थीं कि वह सिर्फ तुम्हें डराता है, वह कहीं नहीं जाएगा, तुम्हें इन्हीं गलियों में घूमता दिखा दूंगी। माधवी ने निर्णय लिया कि वह दिन-रात इस तनाव में नहीं रह सकती कि उसका पति कहीं उसे और बच्चों को छोड़कर चला न जाए। उसने अपना ध्यान अपने बच्चों की पढ़ाई और पैसे जोड़ने पर लगाने की सोची ताकि यदि कभी उसका पति उन्हें छोड़कर चला भी जाए तो किसी तरह की आर्थिक तंगी उसके बच्चों की पढ़ाई के आड़े न आए और उसने ऐसा ही किया। उसके बच्चे पढ़-लिख कर डॉक्टर बन गए। धीरे-धीरे पति के स्वभाव में भी समय के साथ-साथ परिवर्तन आया और मनीष की बुरी आदतें धीरे-धीरे छूट गईं। हालांकि छूटने में काफी समय लगा लेकिन अंततः छूट गईं। मनीष का व्यवहार माधवी के प्रति भी नर्म पड़ता गया। माधवी को इस बात की खुशी थी कि उसके बच्चे पढ़-लिखकर कुछ बन गए थे और उसका घर भी तूफान के थपेड़े सहते-सहते आखिर बस ही गया था।

वरिष्ठ अनुवादक, राजभाषा विभाग
मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, उत्तर रेलवे, फिरोजपुर मंडल

- इस संसार में कोई मनुष्य स्वभावतः किसी के लिए उदार, प्रिय या दुष्ट नहीं होता। अपने कर्म ही मनुष्य को संसार में गौरव अथवा पतन की ओर ले जाते हैं।

“नारायण पण्डित”

- कर्म करना बहुत अच्छा है, पर वह विचारों से आता है, इसलिए अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों एवं उच्चतम आदर्शों से भर लो, उन्हें रात-दिन अपने सामने रखो, उन्हीं में से महान कर्मों का जन्म होगा।

“महर्षि अरविन्द”

भारतीय रेल की कहानी, डाक-टिकटों की जुबानी

ललित कुमार कालिया

डाक टिकट किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक बदलाव की कहानी को समेट कर रखते हैं।

आज के दौर में डाक-टिकट बड़े-बड़े आयोजनों की प्रतिष्ठा बन गए हैं। बिना डाक-टिकट जारी किए आयोजन फीका माना जाता है। चाहे वह किसी संस्था का उद्घाटन का आयोजन हो या चाहे किसी महोत्सव को मनाने का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेल पर पहला डाक-टिकट कब जारी किया गया? किस भारतीय रियासत ने अपने डाक-टिकट पर अपनी रियासत की मुख्य रेल लाईनों को प्रदर्शित किया था ? किस नवीनतम जारी डाक टिकट पर वन्दे भारत रेल गाड़ी को दिखाया गया है ? ऐसी ही अनोखी जानकारी को डाक-टिकटों के माध्यम से साझा करने का प्रयास आपके सम्मुख प्रस्तुत है :-

भारतीय रेल पर जारी प्रथम डाक-टिकट :- 23 अगस्त, 1937 को सर्वप्रथम भारतीय रेल पर डाक-टिकट जारी किया गया, जिस पर किंग जार्ज-VI के चित्र के साथ 4-6-2 प्रकार का ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टीम ईंजन प्रदर्शित किया गया। इस डाक-टिकट का मूल्य 4 आना रखा गया था। इस पर रेल डिब्बे भी प्रदर्शित थे।

राजपूताना रेलवे पर जारी डाक-टिकट :- जयपुर रियासत के राजा सवाई मान सिंह-II का चित्र तथा राजपूताना रेलवे का मुख्य मानचित्र प्रदर्शित किया गया। इस डाक-टिकट का मूल्य 3/4 आना रखा गया था।

डाक-टिकट पर प्रदर्शित प्रथम रेलवे कारखाना :- किसी भी भारतीय डाक-टिकट पर प्रदर्शित होने वाला पहला रेल कारखाना चितरंजन रेल ईंजन कारखाना था। 26 जनवरी, 1955 को जारी इस डाक टिकट पर 2-3-2 श्रेणी का ब्राड गेज स्टीम लोको प्रदर्शित था। इसका मूल्य 8 आना था।

डाक टिकट पर प्रदर्शित प्रथम रेल मंत्री :- भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल मंत्री के पद पर भी कार्य किया था। 26 जनवरी, 1966 को उनके सम्मान में 15 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया गया।

डाक टिकट पर प्रदर्शित पहला रेलवे स्टेशन :- विक्टोरिया टर्मिनल (वर्तमान में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल) के 30 मई, 1988 को 100 वर्ष पूर्ण होने पर एक रूपये मूल्य का डाक-टिकट जारी किया गया।

"महात्मा गाँधी व रेलवे" पर जारी डाक-टिकट :- महात्मा गांधी जी अपने भारत प्रवास के दौरान भारतीय रेल की तृतीय श्रेणी के डिब्बे से ही यात्रा करते थे। गांधी जी के महात्मा बनने की शुरुआत भी दक्षिण अफ्रीका में घटी एक रेल यात्रा घटना से हुई थी। सन् 2007 में भारतीय डाक विभाग ने "सत्याग्रह के अभ्युदय" के नाम से चार डाक-टिकटों की एक श्रृंखला जारी की, जिसमें से एक पर दक्षिण अफ्रीका की वही घटना प्रदर्शित की गई, जिसमें कि उन्हें प्रथम श्रेणी के डिब्बे से जबरन उतार दिया था।

महात्मा गांधी की 100वीं जयंती पर छः अष्ट कोणीय डाक टिकटों की श्रृंखला जारी किए गए, जिसमें से एक पर गांधी जी को तृतीय श्रेणी डिब्बे में यात्रा करते दिखाया है।

कोरोना काल में सेवाएं देने वाले रेल कर्मचारियों को सम्मान प्रदान करते हुए जारी डाक टिकट :- कोविड-19 महामारी के दौरान दिन-रात रेल का संचालन सफल रूप से करने वाले रेल कर्मचारियों की प्रदत्त सेवाओं का सम्मान करते हुए भारतीय डाक विभाग में "कोविड-19 योद्धा" के रूप में एक डाक टिकट जारी किया।

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारतीय रेल पर जारी डाक टिकट :- रेलवे द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने हेतु स्वच्छ रेल पटरी अभियान चलाया। रेलवे के इस प्रयास को "स्वच्छ भारत" नाम से डाक टिकटों की श्रृंखला में डाक टिकट जारी किया गया।

आजादी के अमृत महोत्सव पर जारी डाक टिकट :- आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन पर जारी डाक टिकट पर वन्दे-भारत रेलगाड़ी को प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया है।

आशा है कि उपरोक्त जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। समय-समय पर भारतीय डाक विभाग भारतीय रेल पर डाक टिकटों की श्रृंखला जारी करता रहता है। उसी संग्रह में से कुछ को आप सभी के साथ साझा किया है।



भारतीय रेल पर जारी प्रथम डाक-टिकट



राजपूताना रेलवे पर जारी डाक-टिकट



डाक-टिकट पर प्रदर्शित प्रथम रेलवे कारखाना



डाक टिकट पर प्रदर्शित पहला रेलवे स्टेशन



"महात्मा गाँधी व रेलवे" पर जारी डाक-टिकट



"महात्मा गाँधी व रेलवे" पर जारी डाक-टिकट



कोविड-19 योद्धा के सम्मान में जारी डाक-टिकट



स्वच्छ भारत अभियान पर जारी डाक-टिकट



आजादी के अमृत महोत्सव पर जारी डाक-टिकट

सीनियर सेक्शन इंजीनियर कै. एवं वै.
निर्माण प्रबंधक/नैरो गेज, उ.रे., कालका वर्कशाप

मेरा रेल अनुभव

आशीष खेत्रपाल

...बड़ौदा हाउस में मेरी रेल की यात्रा लेखा विभाग में 10 मार्च, 2023 को कनिष्ठ लेखा सहायक के पद शुरू हुई और जैसे मानो पलक झपकते ही एक साल भी बीत गया हो। जॉइन करने के बाद मुझे गर्व और हर्ष की अनुभूति प्राप्त हुई। मेरी खुशी मानो आसमान छू रही थी। इस लेख के द्वारा आप सबको अवगत कराना चाहूंगा कि कनिष्ठ लेखा सहायक का पैनल आर.आर.बी.(एनटीपीसी) 2019 परीक्षा के अंतर्गत बनाया गया था, जिसमें लगभग 400 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मुझे आज भी याद है इस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की कुल संख्या करोड़ों में थी और इतने लोगों के बीच चयनित होना अपने आप में किसी उपलब्धि से कम नहीं था।

"लाइफ लाइन ऑफ द नेशन" कही जाने वाली इस रेल का हिस्सा बनना अपने आप में गौरव की बात है/ पूरे विश्व में भारतीय रेल अपनी शुमारी "चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क" में करता है। हमारी जिंदगी में रेल मानो एक अटूट अंग बन चुका है, शताब्दी और राजधानी ट्रेन हमारे देश की बहुमूल्य संपत्ति है। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में जितना क्रिकेट लोकप्रिय है, उतना ही रेलवे का लेखा विभाग अपने कामकाज के लिए मशहूर है। रेलवे की कोई नई लाइन बिछानी हो, नए कोच बनने का कार्य हो और ऐसे अनेक कार्यों में लेखा विभाग एक अहम भूमिका निभाता है।

विभाग में जॉइनिंग के पश्चात ऐडमिन हमें प्रतिदिन अलग-अलग अनुभाग जैसे बुक्स, स्टोर, आरटीआई आदि में भेजता था, जिससे जोइनीस को लेखा विभाग के कामकाज और विभिन्न अनुभागों के योगदान की जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलता था। कुछ दिनों बाद पोस्टिंग ऑर्डर के तहत मुझे सबसे पहले भविष्य निधि अनुभाग आवंटित किया गया और वर्तमान में मैं लीगल अनुभाग में कार्यरत हूं।

भविष्य निधि अनुभाग में मेरा काम पी.एफ. खातों को आई-पास सॉफ्टवेयर पर मिलान करना होता था और ऑडिट संबंधित, अवकाश विवरणी बनाना, अनुभाग पत्राचार जैसे अन्य कार्य भी करने होते थे। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे स्टाफ से बहुत सहयोग मिला और थोड़ा बहुत हंसी मजाक काम की टेंशन को भुला देता था। इस अनुभाग का काम पकड़ में आया ही था कि मेरा तबादला लीगल अनुभाग में कर दिया गया, जिसका काम अपने आप में चुनौतीपूर्ण था। जहां मुझे मुख्य रूप से नोटिंग-ड्राफ्टिंग का कार्य दिया गया। यह अनुभाग विभिन्न विषय के बारे में जानने का एक अदभुत मौका देता है, फिर चाहे वो वेतन निर्धारण का मामला हो, पेंशन संबंधित हो, प्रमोशन संबंधित आदि जैसे अनेक विषय।

लीगल अनुभाग को जॉइन करने से पहले मेरे मन में तरह-तरह की आशंका रहती थी कि क्या मैं लीगल मैटर का काम संभाल पाऊंगा, क्या लॉ बैकग्राउंड अनिवार्य है, लेकिन मैंने अपनी काबिलियत पर विश्वास और धैर्य बनाए रखा। जिसके कारण मैं लीगल अनुभाग के काम को समझता गया और कुछ ही दिनों में सभी आशंका दूर होती दिखाई देने लगी। किसी ने बिल्कुल सही कहा है "परिवर्तन ही संसार का नियम है" और जीवन में परिवर्तन को एक अवसर के रूप में ही देखना चाहिए। इसी मंत्र को अपनाते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।

....लेखा विभाग में नौकरी पक्की अथवा प्रमोशन के लिए नए जोइनीस को अपेन्डिक्स 2ए परीक्षा में पास करना अनिवार्य होता है। जिसके लिए प्रशासन ने हमारी ट्रेनिंग तुगलकाबाद के डीजल ट्रेनिंग शेड में जनवरी के महीने में आयोजित करवाई। जहां प्रतिदिन प्रशिक्षक अपने सब्जेक्ट पर पढ़ाया करते थे। ट्रेनिंग के दौरान दिल्ली डिविजन, कन्स्ट्रक्शन ऑफिस और यातायात लेखा कार्यालय के सभी नए कनिष्ठ लेखा सहायक से मिलना होता था। जिसमें आपसी मेल जोल, भाईचारा एवं एक-दूसरे से परिचित होते थे। जहां मैंने काफी अच्छे दोस्त भी बनाए।

ट्रेनिंग खत्म होने के पश्चात ही ऑफिस से जब यह सूचना मिली कि रेलवे में इन्टर-डिपार्टमेंट क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए ट्राइल्स का आयोजन करनैल सिंह स्टेडियम में आयोजित करवाया जा रहा है, तो मैं इस अवसर को गवाना नहीं चाहता था।

करनैल सिंह स्टेडियम कनॉट प्लेस में स्थित है। जहां सभी खिलाड़ी सुबह 8 बजे ट्राइल्स में पहुंचे और अंत में लेखा विभाग की ओर से 15 खिलाड़ियों की टीम बनी जिसमें मेरा चयन भी हुआ। खेलकूद मेरे दिल के बहुत करीब है और इससे जुड़े रहने से शरीर तंदरुस्त भी रहता है और स्वास्थ्य भी बना रहता है और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास भी होता है और इस शरीर को निरोगी बनाए रखना हर मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य भी है।

विभाग में मानो एक के बाद एक ईवेंट होता ही रहता था और इसलिए रेलवे की नौकरी के कुछ अलग मायने हैं। क्रिकेट के ट्राइल्स के पश्चात अब समय आया था, सभी जोइनीस के ओरिएन्टेशन प्रोग्राम का, जिसे प्रशासन द्वारा रेल संग्रहालय में 27 मई, 2024 को आयोजित करवाया गया। पी एफ ए मैडम श्रीमती मंजूषा जैन जी इस प्रोग्राम की प्रमुख अतिथि थीं। मैडम के अलावा प्रोग्राम की शान सभी बड़े अधिकारी और जोइनीस ने खूब बढ़ाई। प्रोग्राम की शुरुआत एक सांस्कृतिक कामगिरी से हुई और बारी-बारी सभी अधिकारी स्टेज पे विभिन्न टॉपिक पे अपने विचार रखते गए।

अंत में पीएफए मैडम ने सभी जोइनीस से संवाद करके सबका हौसला बढ़ाया और रेलवे में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित भी किया। ओरिएन्टेशन प्रोग्राम सभी अधिकारियों और जोइनीस की ग्रुप फोटो के साथ ही सफलतापूर्ण समाप्त हो गया था। अधिकारियों के प्रभावशाली शब्द एवं दूर दर्शी सोच काफी प्रेरणादाई थी।

पिछले साल की कुछ बातें याद की जाएं तो मुझे अपने जीवन में वह दिन हमेशा याद रहेगा। जिस दिन मेरे पिता को मेरा नियुक्ति पत्र मिला था। उस समय मैं भारतीय नौसेना, पश्चिमी नौसेना कमान, मुंबई में लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में कार्यरत था और वहां लगभग मैंने 6 महीने अपनी सेवाएं दीं। नियुक्ति पत्र मिलने की जानकारी जब मेरे पिता ने मुझे बताई वह क्षण मैं कभी नहीं भूल सकता क्योंकि माता-पिता के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था।

उनकी आवाज में जो खुशी थी उससे मैं महसूस कर पा रहा था। फोन रखते ही मैंने भगवान का शुक्रिया किया। मेरे माता-पिता के सहयोग के बिना यह बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता। ऐसा माना जाता है कि जब आप किसी कठिन परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके साथ-साथ आपका पूरा परिवार वो तैयारी करता है।

मुंबई में काम करते समय दिल्ली में नौकरी करने की इच्छा रहती थी और इसी के चलते ऑफिस से घर पहुंच कर काम्पिटिशन एग्जैम की तैयारी में लग जाता था ताकि अपने राज्य में नौकरी प्राप्त कर सकूं और अपने परिवार के साथ ही अपना जीवन बिताऊं। यह इच्छा रेलवे के नियुक्ति पत्र ने पूरी कर दी थी और मेहनत भी सफल रही। इसके लिए अपने माता-पिता का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे हर कदम पे मेरा साथ दिया।

उन्होंने हमेशा से मुझे प्रोत्साहित किया, जिसके फलस्वरूप मैं रेलवे में नौकरी कर पा रहा हूं। उनका समय-समय पे प्रेरणा देना और प्रवाभशाली शब्दों के कारण ही मैं इस परीक्षा में केवल पास ही नहीं बल्कि पूरे पैनल में पहली रैंक भी प्राप्त कर पाया। मैं आज जिस स्तर पर हूं उसका श्रेय अपने माता-पिता, स्कूल एवं कॉलेज के अध्यापक और अपने दोस्तों को देना चाहूंगा। अब मेरी बारी है अपने माता-पिता को वो सब सुख सुविधाएं देने की, जिसके वो हकदार हैं और यही मेरी हमेशा से प्राथमिकता रही है।

इसके अतिरिक्त एक और किस्सा बताना चाहूंगा की रेलवे में जॉइनिंग के महज़ एक हफ्ते बाद ही मेरा चयन असिसटेंट ऑडिट अधिकारी (गैजेटेड) के पद पे हुआ। जिसमें मुझे मुंबई स्टेट आवंटित किया गया था, लेकिन अपनी प्राथमिकता और परिवार की जरूरतों के चलते मैंने दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहकर नौकरी करना उचित समझा।

हिंदी राजभाषा विभाग के साथ मैं पिछले एक साल से जुड़ा रहा हूं। विभाग के द्वारा आयोजित अनेक सम्मेलन जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती, जिसमें मैंने अपने विचार सबके समक्ष रखे और कुछ पंक्तियाँ उनकी "हिमालय" कविता के भी सुनाए, जो काफी प्रेरणादायी है। इसके पश्चात हिंदी पखवाड़े में मैंने हिंदी प्रश्नोत्तरी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। जिसका पुरस्कार माननीय महाप्रबंधक महोदय श्री शोभन चौधुरी जी के द्वारा नवाज़ा गया। वो क्षण मुझे लंबे समय तक याद रहेगा। हिंदी विभाग का हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस पत्रिका के माध्यम से अपने बीते पिछले एक साल के अनुभव को साझा करने का अवसर प्रदान किया और भविष्य में भी मैं अपना योगदान देने की पूरी कोशिश करूंगा।

अंत में कामना करता हूं कि आगे भी रेलवे में मेरी नौकरी ऐसे ही कुशल मंगल रहे और ईमानदारी एवं निष्ठा से कार्य करने और अपना पूर्ण योगदान देने का प्रण भी लेता हूं। रेलवे की नौकरी प्राप्त कर एक बात सिद्ध होती दिखती है, "यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है, तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी"।

मैं गर्व से कह सकता हूं, रेलवे मेरी शान है।

कनिष्ठ लेखा सहायक, लीगल अनुभाग/लेखा विभाग
उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली

चूंकि भारतीय एक होकर एक समन्वित संस्कृति का विकास करना चाहते हैं, इसलिए सभी भारतीयों का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि वे हिंदी को अपनी भाषा समझकर अपनाएं।

"डॉ. बी. आर. अंबेडकर"

गुच्छी

वंदना खजुरिया



मेरा भारत के खूबसूरत राज्यों में से एक जम्मू और कश्मीर से बचपन का नाता है यानि मेरा जन्म स्थल है। पहाड़ी इलाकों में बरसात के दिनों में जब बारिश और बिजली की चमक उत्पन्न होती है तो आपको गीली लकड़ी, पत्तियों तथा मिट्टी की उथली जगहों पर विभिन्न प्रकार की मशरूम गुच्छों में उगती नजर आएंगी।

मशरूम की अनेकों प्रजातियां हैं जिसमें से सबसे महंगी और स्वास्थ्यवर्धक है - "गुच्छी"। ये एक पहाड़ी सब्जी है जिसकी उपज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंबा, कुल्लू और उत्तराखंड में होती है। ये एक औषधीय विटामिन और स्वाद से बेजोड़ सब्जी है। इसकी खेती नहीं होती। ये प्रकृति की कुदरती देन है। ये पहाड़ों की तलहटी में विकसित होती है। पहाड़ी लोग इसे "टटमोर" और "डूंगरु" भी कहते हैं।

ग्रामीणों को इस गुच्छी को इकट्ठा करने में, इसे सुखाने और फिर बाज़ार तक लाने में महीनों लग जाते हैं। पहाड़ी लोग इसे कम कीमत पर बेच देते हैं लेकिन हमारी प्लेट तक आते आते इसकी कीमत 20 से 40 हजार तक पहुंच जाती है। इसकी सुगंध और स्वाद के कारण ये अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों में इसका स्पेशल जगह है। सब्जी माने जाने वाले मशरूम न तो पौधे हैं और न ही जानवर ये कवक की एक अद्वितीय साम्राज्य से संबंधित है। इसके पास पोषण प्राप्त करने का एक अनूठा तरीका है। इसमें कुछ धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे माइसिलियम कहा जाता है। अतः मशरूम माइसिलियम के फलने वाले शरीर हैं।

मानव स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम माने जाने वाली गुच्छी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। हृदय रोगों और मधुमेह रोगों के लिए लाभकारी है। इसमें प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन, आयरन, फाईबर तथा बी 12 प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये दुनिया की इकलौती सब्जी है जिसमें विटामिन डी तथा कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो हड्डियों और दांतों की वृद्धि और विकास के लिए रक्त में प्रयाप्त कैल्शियम प्रधान करते हैं। इसका सेवन गठिया, थायराइड बोन हेल्थ और मानसिक तनाव को खत्म करने में सहायक होता है। गुच्छी में प्रोटीन की मात्रा अधिकांश सब्जियों की तुलना में अधिक होती है। गुच्छी का सेवन शरीर की चोट को भरने में भी लाभकारी है। ये संक्रमण, सूजन संबंधित बीमारियों और कैंसर से बचाती है। भारत के प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में इसे "सर्पचछत्रेक" कहा गया है जो शरीर के लिए शीतल और मधुर होती है। इसे कई प्रकार की जड़ी बूटियों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है।

लेखा सहायक/वित्त व्यय, लेखा विभाग
उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली

पानी में खेती (हाइड्रोपोनिक्स)

कृष्ण प्रसाद औधवाल

पौधों को बिना मिट्टी के उगाने की कलात्मक विद्या को जल कृषि या हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। यहां पर बताई गई विधि सरल है और इसे घर में पानी में पौधे और फूल उगाने के काम में लाया जा सकता है। पानी में वह आवश्यक तत्व जो पौधे जड़ों द्वारा भूमि से ग्रहण करते हैं मिला दिए जाते हैं।

आवश्यक सामग्री

1. लगभग 15 सेमी गहराई वह 20 सेमी चौड़ाई कांच अथवा एनिमल का एक क बर्तन। यदि बर्तन कांच का हो तो प्रकाश रोकने के लिए इसे बाहर की ओर काला रंग दें अथवा चारों ओर मोटा कागज लपेट दें।
2. बर्तन को ढकने के लिए तार की जाली(जाली के छिद्रों का वर्ग 0.6 सेंटीमीटर या चौथाई इंच हो) लकड़ी के फ्रेम में लगी होनी चाहिए जिसके किनारे लगभग 5 सेंटीमीटर ऊंचे उठे हों।
3. लकड़ी का बुरादा।
4. लकड़ी की छीलन या नारियल की जटा।
5. धौंकनी (साइकिल या फुटबॉल के पंप द्वारा भी कार्य हल हो सकता है)।
6. पोषक मश्रण : पोषक मिश्रण के कई फार्मूले काम में लाए जाते हैं। उनकी निजी विशेषताएं होती हैं। बाजार में बिकने वाली जल - कृषि से संबंधित पुस्तकों से हम इनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए हुए सरल फॉर्मूले को इच्छुक लोग बहुत सी सामान्य भारतीय साग भाजी और फूलों को उगाने के काम में ला सकते हैं। इसमें वह आवश्यक मुख्य तत्व उपलब्ध होते हैं जिन्हें पौधा जड़ों से ग्रहण करता है (N, P, K, Ca, Mg)। गौण तत्व लोहा, मैंगनीज, तांबा की पौधे को अत्यधिक सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। साधारणतया पौधे की आवश्यकता अनुसार यह तत्व काफी मात्रा में पानी और पैदवार बढ़ाने वाले रासायनिक तत्वों में अशुद्धि के रूप में विद्यमान रहते हैं।

फॉर्मूला-

मैग्नीशियम सल्फेट - 0.5 ग्राम

डबल सुपर फास्फेट - 0.5 ग्राम

पोटेशियम नाइट्रेट - 4 ग्राम

अमोनियम सल्फेट - 3 ग्राम

इतनी मात्रा से 4.5 लीटर (एक गैलन) का घोल बनाया जा सकता है। यह रासायनिक तत्व कमर्शियल ग्रेड के हो सकते हैं किंतु इन्हें किसी विश्वास पात्र विक्रेता से खरीदना चाहिए। ये सभी रासायनिक तत्व सुगमता पूर्वक मिल सकते हैं।

विधि

घोल तैयार करना : प्रत्येक रासायनिक पदार्थ को पृथक- पृथक थोड़े पानी में घोल लीजिए। एक बड़ी बोतल में इन घोलों को डालकर इतना पानी मिलाइए की संपूर्ण घोल 4.5 लीटर हो जाए। नल अथवा कुए का जल उपयोग में लाया जा सकता है। यदि एक साथ घोल बनाने में असुविधा हो तो इसका आधा अथवा तिहाई बनाइए। रासायनिक पदार्थों की मात्रा भी उसी अनुपात में कम हो जाएगी। यह घोल रंगीन बोतल में रखना अच्छा होगा।

पौधे लगाना व उनकी देखभाल : जाली के ढक्कन में एक तह छीलन की बिछाकर इसके ऊपर थोड़ा बुरादा रखिए। बुरादे में बीज बो दीजिए। इसके ऊपर छीलन की दूसरी तह बिछाकर पानी छिड़क दीजिए। अब यह जाली का ढक्कन जिस पर बीज बोए जा चुके हैं, खाली बर्तनके ऊपर रख दीजिए।

लकड़ी की छीलन तर रखनी चाहिए। अंकुर फूटने के बाद से रासायनिक घोल की कुछ बूंदें तनिक पानी में मिलाकर प्रति सप्ताह दो बार जमते हुए पौधों पर समान रूप से छिड़कना चाहिए।

जड़ों के लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी हो जाने पर बर्तन को पानी से इतना भरिए की जड़ों के सिरे पानी में डूबने लगें। पानी भरने में सावधानी रखिए जिससे पानी तार की जाली को ना छूने लगें। पानी की सतह व जाली में परस्पर लगभग 2 सेंटीमीटर का अंतर आवश्यक है।

इस स्थिति के बाद, बर्तन के पानी में ऊपर तैयार किए हुए घोल का एक टेबल स्पून प्रति सप्ताह दो बार मिलाइए। पौधों की बढ़ के साथ-साथ घोल की मात्रा थोड़ी-थोड़ी बढ़ाते रहिए। पानी में वायु की पर्याप्त मात्रा रखना भी आवश्यक है। इसलिए प्रतिदिन दो बार पांच-पांच मिनट धौंकनी अथवा पंप से हवा करिए।

इस प्रकार कुछ ही हफ्तों में आपका हरा -भरा बगीचा तैयार हो जाएगा ।

उद्यान अधिकारी (सेवानिवृत्त)

पू.सी.रेलवे, गुवाहाटी, असम

वर्तमान स्थाई पता - विकासपुरी, नई दिल्ली

- मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूं परंतु हिंदी की इज्जत न हो, यह मैं सहन नहीं कर सकता।

“विनोबा भावे”

- जिस मनुष्य से उसके संबंधी घृणा करते हैं, दूसरा कोई उसका सम्मान नहीं करेगा।

“ब्लाउट्स”

- जो पुरुष उत्साह शून्य , दीन और मन ही मन शौक से व्याकुल रहता है, उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं और वह बड़ी विपत्ति में पड़ जाता है।

“वाल्मीकि”

पुस्तक समीक्षा - वाल्मीकि कृत रामायण

यश कुमार राठौर

आदरणीय समर्पण कृष्णकृपामूर्ति श्री रीमद ए.सी. भक्तिवेदान्त स्वामी श्रीला प्रभूपाद संस्थापकचार्य - अंतराष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ। भक्ति विकास स्वामी को मेरा विनम्र प्रणाम, जिन्होंने हमें सरल और स्पष्ट शब्दों में वाल्मीकि कृत रामायण दी।

रामायण एक ऐसा धर्मग्रंथ है, जो यह सिखाता है कि हर मनुष्य को अपना धर्म किस प्रकार करना है बिना मन के विचलित हुए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राम जो त्रेता युग में अवतरित हुए थे और 11000 वर्षों तक राज्य किया। वैसे तो उनके गुणों की कोई संख्या नहीं है, लेकिन मैं उनके प्रमुख 16 गुणों के विषय में बताऊँगा। किसी भी परिस्थिति में एक पुरुष अपने गुणों से समाज में जाना जाता है न कि ऐश्वर्य, सौन्दर्य, रूप, जाति या पद से।

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. गुण : गुणवान | 9. गुण : प्रियदर्शन |
| 2. गुण : कृतज्ञ | 10. गुण : सकारात्मक |
| 3. गुण : वीर्यवान | 11. गुण : धैर्यवान |
| 4. गुण : दृढ़वाता | 12. गुण : सभी के रक्षक |
| 5. गुण : कांतिमान | 13. गुण : शांत और सहज |
| 6. गुण : सभी के मित्र | 14. गुण : ना द्वेष |
| 7. गुण : विद्वान | 15. गुण : जोशीला |
| 8. गुण : सामर्थशाली | 16. गुण : करुणा |

इन सभी गुणों के साथ-साथ भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, आज्ञाकारी पुत्र और एक ईमानदार शिष्य थे। उन्होंने ऋषि-मुनियों की रक्षा के लिए वन में सभी राक्षकों का वध किया। वे परकर्म और बलशाली योद्धा थे, जब उन्होंने दण्डकारण्य वन में माता सीता की सुरक्षा के लिए 14000 राक्षसों का अकेले वध किया।

भगवान राम अपने भक्तों के प्रति बहुत ही दयालु हैं। जब उन्होंने विभीषण को स्वीकार किया। यह जानते हुए कि वह राक्षस कुल से थे। भगवान राम राज्य के प्रति निष्ठावान और धर्मज्ञ थे। धर्म के पालन के लिए उन्होंने माता सीता और अपने अनुज भाई लक्ष्मण का भी त्याग कर दिया था। भगवान राम का एक उच्च स्तरणीय व्यक्तित्व था। जो यह सिखाता है कि एक पुरुष को हमेशा स्त्री का अभिवादन करना चाहिए और उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।

भगवान राम के व्यक्तित्व को अगर ध्यान से समझा जाए तो उनके जीवन काल ये यह भी हमें सीख मिलती है कि एक गृहस्थ जीवन कैसा होता है। जब भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला तो माता सीता ने भी अपने पति के साथ जाने के लिए हां करी। माता सीता हमें यह शिक्षा देती है कि एक पत्नी को हर परिस्थिति में अपने पति का समर्थन करना चाहिए, चाहे विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो।

भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जब घने जंगलों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे तब उन्होंने अनेकों राक्षसों का वध किया और वन में रहने वाले साधु और माता सीता की सुरक्षा की। इतना ही नहीं, जब भगवान राम माता सीता के कहने पर सुनहरे हिरण के शिकार के लिए गए थे, तब माता सीता को लक्ष्मण की सुरक्षा में रख गए थे। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक पति को हर परिस्थिति में अपनी पत्नी को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। यही गृहस्थ जीवन में एक पति की परम जिम्मेदारी होती है।

भगवान राम की शुद्ध भक्ति कैसे होती है, वह हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है। रामायण में भगवान राम के हर आदेश का पालन करने के लिए 1000 गुना ज्यादा प्रयास करने वाले जो प्रतिनिधि हैं वह हैं हनुमान जी और इसी वजह से भगवान राम के हृदय के करीब जो हैं वह हनुमान जी हैं क्योंकि हनुमान जी ने अपने हर प्रयास में भगवान राम का स्मरण रखा और हनुमान जी के भक्तों को भी हनुमान जी की तरह भगवान राम का स्मरण जरूर करना चाहिए ताकि उन्हें आध्यात्मिक शक्ति मिले और भक्ति का दान मिले।

हमारे शास्त्र ना केवल हमें अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं बल्कि हमें आध्यात्मिक जीवन से भी जोड़ते हैं। जिससे हम परम सत्य को समझ सकते हैं जो कि इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है और साथ में सुख और शांति का अनुभव भी कर सकते हैं जो हर मनुष्य की इच्छा है।

इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करूंगा क्योंकि भगवान राम के गुणगानों की जितनी चर्चा की जाए उतनी ही कम है।

कनिष्ठ लेखा साहयक/प्रशासन-III, लेखा विभाग,
उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली

- अन्याय होने पर चुप रहना, अन्याय करने के ही समान है।

"प्रेम चंद"

- धूप में बाप और चूल्हे पर मां जलती है, तब कहीं जाकर औलाद पलती है।

"गुलज़ार"

- आप भले ही धीरे काम करें लेकिन काम करने से पीछे न हटें।

"अब्राहम लिंकन"

- जिस काम में तुम्हारी आस्था है, वही काम तुमको सफलता देगा।

"स्वामी विवेकानन्द"

- व्यसनों से जिसने छुटकारा पा लिया, समझो उसे नया जीवन मिल गया।

"बाबू गंगा शरण सिंह"

- प्रेम और दया के शब्द भले ही छोटे हों लेकिन इनकी गूंज वास्तव में बहुत दूर तक जाती है।

"मदर टेरेसा"

वीरता एवं शौर्य की नायिका: सुभद्रा कुमारी चौहान

भूपसिंह यादव

‘खूब लड़ी मरदानी वह तो झांसी वाली रानी थी’ कविता की लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त, 1904 (नागपंचमी) को प्रयाग (उ.प्र.) के पास ग्राम निहालपुर में ठाकुर रामनाथ सिंह के घर में हुआ था। उन्हें बचपन से ही कविता लिखने का शौक था। प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा प्रयाग में उनकी सहपाठी थीं। दोनों ने ही आगे चलकर खूब प्रसिद्धि प्राप्त की। 15 वर्ष की अवस्था में ठाकुर लक्ष्मण सिंह से विवाह के बाद वे जबलपुर आ गयीं। प्रयाग सदा से ही हिन्दी साहित्य का गढ़ तथा कई प्रसिद्ध साहित्यकारों की कर्मभूमि रहा है। जबलपुर भी मध्य भारत की संस्कारधानी कहा जाता है। सुभद्रा जी के व्यक्तित्व में इन दोनों स्थानों की सुगंध दिखाई देती है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय थे। वे कविता भी लिखते थे; पर सुभद्रा जी का काव्य कौशल देखकर उन्होंने कविता लिखना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, तो उन्होंने सुभद्रा जी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और सार्वजनिक जीवन में आने को प्रेरित किया। उन दिनों महिलाएं प्रायः पर्दा करती थीं; पर पति से प्रोत्साहन पाकर सुभद्रा जी ने इसे छोड़ दिया।

1921 के असहयोग आंदोलन के समय लक्ष्मण सिंह जी जबलपुर में अग्रिम पंक्ति में रहकर कार्य कर रहे थे। सुभद्रा जी भी पति के साथ आंदोलन में कूद गयीं और कारावास का वरण किया। मध्य भारत में जेल जाने वाली वे पहली महिला थीं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी वे सहर्ष जेल गयीं। घर में छोटे बच्चों को छोड़कर जेल जाना आसान नहीं था; पर वे कहती थीं कि मैं क्षत्राणी हूं, अतः ब्रिटिश सरकार से टक्कर लेना मेरा धर्म है। सुभद्रा जी के मन में झांसी की रानी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। वे उन्हें अपना आदर्श मानती थीं। रानी लक्ष्मीबाई पर लिखी हुई उनकी कविता ने हजारों युवकों को राष्ट्रीय आंदोलन में कूदने को प्रेरित किया। पति-पत्नी दोनों जाति, प्रांत और ऊंच-नीच के भेदभाव से मुक्त थे। उनका घर सबके लिए खुला था। उनके सभी परिचित रसोई में एक साथ बैठकर खाना खाते थे। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद वे मध्य प्रदेश विधानसभा तथा राज्य शिक्षा समिति की सदस्य बनीं। 15 फरवरी, 1948 को वसंत पंचमी थी। वे कार द्वारा नागपुर से वापस आ रही थीं। नागपुर-जबलपुर राजमार्ग पर ग्राम कलबोड़ी के पास अचानक कुछ मुर्गी के बच्चे कार के सामने आ गये, यह देखकर सुभद्रा जी का मातृहृदय विचलित हो उठा, वे जोर से बोलीं - भैया इन्हें बचाना। इस आवाज से चालक चौंक गया और कार एक बड़े पेड़ से टकरा गयी। यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि सुभद्रा जी का वहीं प्राणांत हो गया। सुभद्रा जी का एक प्रसिद्ध गीत है, ‘वीरों का कैसा हो वसंत?’ इसके भाव के अनुरूप उन्होंने वसंत पंचमी के पवित्र दिन कर्मक्षेत्र में ही प्राण त्याग दिये।

सुभद्रा जी के दो कविता संग्रह (मुकुल और त्रिधारा) तथा तीन कहानी संग्रह (बिखरे मोती, उन्मादिनी तथा सीधे सादे चित्र) छपे हैं। उनकी पुत्री सुधा चौहान ने उनकी जीवनी ‘मिला तेज से तेज’ प्रकाशित की है। भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल, 2006 को एक जहाज को उनका नाम दिया।

सेवानिवृत्ति मुख्य डिपो सामग्री अधीक्षक,
प्रधान कार्यालय, उत्तर रेलवे, बडौदा हाउस, नई दिल्ली।

जिंदगी के झूले में

गौरव चाँदना



जिंदगी के झूले में हम इस तरह झूल रहे हैं,
काम और परिवार में 'बैलेंस' बनाना भूल रहे हैं।

आजकल जिंदगी नए आकार में गढ़ गई है,
रिश्तों पर भी एक ठंडी परत सी चढ़ गई है।

'काम' से लौटते ही हम 'काम' पर लग जाते हैं,
बस, 'काम' ही की बात करते फोन पर बतियाते हैं।

अब अपनों से रोज कहाँ बात होती है,
बस, 'समारोह' या 'शोक सभा' में ही तो मुलाकात होती है।

हर दिन, महीना और साल बस यूँ ही बीत गया,
चुप्पी और सन्नाटा हर बार 'रौनको' से जीत गया।

चुप्पी और सन्नाटे को चलो इस बार हराते हैं,
कुछ अपनों की सुनते हैं, कुछ अपनी भी सुनाते हैं।

लड़ो ना खुद से ही, अपनों से कुछ बात लड़ाओ,
पहल, खुद ही कर के, कुछ तो आगे बात बढ़ाओ।

सामान्य सा दिन भी एक त्योहार होता है,
साथ में जब अपना परिवार होता है।

कुछ हँसी ठिठोली कुछ शिकायत भरी बातें,
बातों ही बातों में बीत जाते हैं दिन और रातें।

जितना समय अभी है, उतना ना फिर होगा कभी,
अपनों से बाँट लो सारी खुशियाँ और गम अभी।

वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी/लेखा विभाग
प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली

मेरी माँ

सूरज सिंह

केवल जन्म नहीं देती, माँ जीवन भी देती है,
माँ तो माँ होती है, वह ममता की मूरत होती है।

माँ की ममता में देखो कितना दम है,
दुनिया भर की हर उमंग, उसकी ममता के आगे कम है।

ममता की राहों में मेरी माँ को, कोई झुका नहीं पाया था,
उसका स्नेह, प्यार, अपने परिवार और बच्चों पर, उमड़-उमड़ कर छाया था।

पता नहीं था इक दिन माँ ऐसा धोखा देकर जायेगी,
ना अपनी कहेगी और न ही अब वो मेरी सुन पायेगी।

ऐ ऊपर वाले ओ ईश्वर, तूने कैसा कहर ये बरसाया,
मम्मी-मम्मी कहकर हमने, माँ को खूब जगाया।

इक बार भी न माँ ने आँखें खोली अपनी,
आज ही के दिन तो मेरी माँ ने, अन्तिम सांस ली अपनी।

साल बीत गये पर माँ की याद रह-रह कर आती है,
यादों/सपनों में ही सही, तू मिलने तो आती है।

एक वर्ष में मौके ऐसे आये कितनी बार,
तुमको याद करके दिल भर आया बारम्बार।

करूँ प्रार्थना ईश्वर से, वो दे स्थान स्वर्ग में तुमको,
तुम्हारी आत्मा को मिले शान्ति, बारम्बार नमन है मेरा तुमको।

आई

मिस.....

यू

माँम

कार्यालय अधीक्षक, निर्माण/सीएसबी-।।

कश्मीरी गेट, उत्तर रेलवे, दिल्ली

भारतीय रेल

चक्रपाणि पाण्डेय

140 करोड़ दिलों में बसी, भारतीय रेल,
जिसकी रोशनी में है देश की भले भाग्य की कहानी।

इतिहास के पन्नों में लिपटी, इसकी महिमा अमित,
रेलवे का सफर, विकास की राहों में बना हमारे लिए दीपित।

युगों से बदलती रही, इसकी रूपरेखा,
रेलवे का सागर, समृद्धि का स्रोत, जो दिलों में है गहरा।

एकता का सुर, बजता है यहां हर स्टेशन, भूमि से आसमान,
लहराती है यहां रेलवे की महक खुशबू से युक्त हर विमान।

मिलती है यहां सभी जातियां, धर्म और भाषाएं,
रेलवे की पथ पर, है जुटी एक बहुत राष्ट्रीय परिवार।

इसकी ध्वज लहराती है ऊँची, विकास की ओर बढ़ती है
इसकी प्रवाहित रेखाएं सवारी को सीधा लेकर सफलता की मंजिल की ओर।

रुकना नहीं, बढ़ता है सफलता का मेला,
रेलवे है देश की जीवन रेखा, जो सर्वोत्तम के साथ है खेला।

इसकी छाया में बढ़ता है देश का विकास, रेलवे की गति,
है देश की वृद्धि का स्रोत, हर एक राष्ट्रवासी के हृदय की बात।

रेलवे के साथ, है देश का साथ,
इसकी गति से, बढ़ती है देश की समृद्धि की बात।

रेलवे का सफर, एक कहानी है सुंदर, इसकी रेखाएं,
हैं देश के विकास की दिशा में सबसे मजबूत अंग।

इसमें है वीरता, इसमें है शक्ति, भूमि से आसमान तक,
बसी है यहां देश की उच्चता की कहानी की बात।

रेलवे का संगीत, है हर मन को भाए, इसके रेखाओं में,
छुपी है हर कहानी, जो करती है दिलों को बहुत खुशी दिखाए।

इसके साथ है यहां एक भविष्य की राह,
रेलवे की गरिमा, है हम सभी के लिए एक अमूल्य उपहार।

उप मुख्य इंजीनियर एवं सचिव,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण
कश्मीरी गेट, उत्तर रेलवे, दिल्ली

हिंदी भाषा राम करन	दिव्या दिवस हरीतिमा "सुभाष"
हिंदी हिंदुस्तान का वह राग है, अगर इसे दिल से अपनाएं तो यह पराग है। यह सरलता से हिंदुस्तान की आवाज है, गांव से लेकर शहर तक हिंदी का राज है। हिंदी हिंदुस्तान के इंसानों की शान है, इसी कारण यह मानवता की बनी सरल सरताज है। हर व्यक्ति हिंदी को इसलिए अपनाता है, क्योंकि वह सरलता से एक दूसरे को समझ आता है। जो जीवन में हिंदी नहीं अपनाता, उसका जीवन अधूरा सा रह जाता। हिंदी रूपी प्रकाश से अपने को प्रकाशित कीजिए, जीवन में हर प्रकाश से हिंदुस्तान का दामन भर दीजिए। हिंदी हिंदुस्तान की प्यारी भाषा, सभी देशों से है न्यारी भाषा। हिंदी हिंदुस्तान की है सर्वश्रेष्ठ भाषा, इसलिए हिंदी से सबकी जुड़ी है आशा। आओ हम सब मिलकर हिंदी का सम्मान करें, हिंदुस्तान में हिंदी का सर्वश्रेष्ठ स्थान धरें। सेवानिवृत्त/लेखा विभाग, उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली	नहीं मांगते सोने का पिंजरा, हमें चाहिए सुनहरी आशा, हम चाहे जीने की जिजीविषा, अब समझो हमारी संस्कृति को, न रखो मन में विकृति को। लोहा, लकड़, कूड़ा, कागज, बीन-बीन कर जीते हैं, हम बिन जीना ना मुश्किल हो, घूंट काल के पीते हैं। दिवस दिव्य है रोज हमारा, चूल्हा-चौका, कपड़े-बासन, कागज-कलम, आदर-अभिवादन, ईट फोड़ती, गारा ढोती, मां की ममता स्नेह बटोरती। मत आंको मेरी मनगणना को, जीत लिया है घर आंगन को, रिश्ते-नाते, वैभव, भवशाली, महके जीवन भर हरियाली। अधिकार मांगती जीने का, कर्तव्य को रख सिर माथे पर, क्यों भूल रहे हो हे मानव के राजहंस, हम ही लाए हैं तुम्हें इस धरती पर। पत्नी/श्री सुभाष चन्द्र/लेखा विभाग, उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।

जो अपने ऊपर विजय प्राप्त करता है, वही सबसे बड़ा विजयी है।

"गौतम बुद्ध"

मैं नारी हूँ

विजय सिंह राज

मैं नारी हूँ, जग की जननी,
अबला कैसे समझ लिया
मैं ही दुर्गा, मैं ही चंडी,
अबला कैसे समझ लिया

हर मानव की, मैं हूँ जननी,
मैं ही पालन करती हूँ
लालन पालन, अच्छी शिक्षा,
मैं पहले देती हूँ

मैं ही देवकी, मैं कौशल्या,
मैं ही जीजा बाई हूँ
भगवानों को मैंने जन्म दिया,
राष्ट्र भक्तों की महा माई हूँ

मैं ही सीता, मैं यशोधरा,
मुझ सा त्यागी कोई नहीं
हर कष्ट सहा, उफ न कहा,
मुझ सा त्यागी कोई नहीं

कभी झलकारी बन कर मैंने,
लक्ष्मीबाई की जान बचाई थी
कभी पन्ना धाय बनी मैं,
उदय सिंह की जान बचाई थी

हर असंभव को मेहनत से मैंने,
करके सफल बनाया है
कभी कल्पना चावला बन कर मैंने,
भारत का मान बढ़ाया है

कभी प्रधानमंत्री बन कर मैंने,
देश का शासन चलाया है
कभी राष्ट्रपति बन कर मैंने,
शासन को राह दिखाया है

खेल क्षेत्र हो या कोई प्रतिभा,
हर क्षेत्र में झंडे गाड़े है
कोई भी क्षेत्र बचा नहीं मुझसे,
हर क्षेत्र में मैडल पाए है

हर असंभव को संभव बनाया,
तभी तो मैं, एक नारी हूँ
अबला मुझको कोई न समझे,
कभी दुर्गा, कभी फूलन हूँ

टेक्निशियन-1,
सवारी एवं मालडिब्बा कारखाना,
उत्तर रेलवे, आलमबाग लखनऊ।

मेरे जीवन का मूल मंत्र है : कड़ी मेहनत, एक सीमा के अंदर मनोरंजन। दूसरों के अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के मतों की अपेक्षा मत करो, दोस्तों के साथ दगा हरगिज़ मत करो, किसी बात पर क्रोध मत करो, हर क्षण का भरपूर उपयोग करो और जिंदगी में सदा संतुष्ट रहो, मगर अपने आप से कभी नहीं।

“जी.जे.नाथन”

रेल का संगीत आशुतोष राज	आतंकवाद का कैसर कमरू खान
सबुह की पहली किरण, संग लेती रेल, जीवन के पथ पर, चलती अनमोल मेल। सीटी की ध्वनि, पहियों की थाप, हर मोड़ पर बुनती, नए सपनों का आलाप। खिड़की से झाँकते, खेत-खलिहान, प्रकृति की सुंदरता, करती मन को प्रफुल्लित। बच्चों की चहक, माँ की ममता, हर डिब्बे में बसी, रिश्तों की गरिमा। रात के सन्नाटे में, तारों का साथ, सपनों की यात्रा, चलती बिना विराम। प्लेटफार्म की भीड़, चाय की महक, हर चेहरे पर दिखती, एक नई चमक। गाँव-शहर, नदी-पहाड़, रेल की पटरियों पर, चलता सारा संसार। हर स्टेशन पर ठहरती, थोड़ी देर के लिए, फिर आगे बढ़ती, नए मंजिल के लिए। जीवन के हर रंग, समेटे ये रेल, प्रगति की राह पर, बढ़ता हर खेल। पटरियों की लय, जीवन का गीत, हर सफर में मिलता, एक सच्चा मीत। भारतीय रेल, है राष्ट्र की जान, हर दिल को जोड़ती, ये अनमोल पहचान। छात्रावास अधीक्षक, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, चंदौसी, उत्तर रेलवे, मुरादाबाद मंडल	वसुधैव कुटुम्बी हम हैं और जगत गुरु कहलाते हैं। धर्म जाति बंधन से हटकर मानवता का पाठ पढ़ाते हैं ॥ सौ बार किया इन्कार मगर फिर भी किया है तुने इकरार। नापाक इरादे वाले सुधर नहीं बढ़ जावेगी अब तकरार ॥ बन्द करो यह खून-खराबा बन्द करो ये मनमानी । शान्ति के अग्रदूत हम, काम करो तुम इन्सानी ॥ देख आतंक कौरवों का रण में कूदे जब पांडव । घिनौनी हरकत वाले सह न सकेगा तू तांडव ॥ खून-खराबा तेरा इरादा अब न कभी सफल होगा । विश्व पटल पर औकात तेरी, कि अलग-थलग अब तू होगा ॥ जब भी तूने किया इरादा अपने मुंह की खाई है । सोते सिंह को छेड़ दिया है शामत तेरी आई है ॥ अरे सियार मत बन होशियार तू अपना सब कुछ खोएगा । साख गिरी है बहुत तेरी तू खून के आँसू रोएगा ॥ देखी है करतूत तेरी तू अन्दर से काला है । झूठे हैं सब तेरे वादे तू आतंकियों का रखवाला है ॥ खून-खराबा दहशतगर्दी तेरी फितरत न्यारी है । अपने आप में कर सुधार नहीं अब युद्ध की तयारी है ॥ एक सूत्र में बंध कर हम सब रहते हैं यहाँ प्यार में । आतंकियों खबरदार चिनवा देंगे दीवार में ॥ भाईचारा सत्य अहिंसा सब धर्मों ने यह बोला । सच्चाई का मार्ग देख ले उतार फेंक नकली चोला ॥ भारत माता के हम हैं प्रहरी संकल्प ये हमने ठाना है। आतंकवाद के कैसर को जड़ सहित मिटाना है ॥ ये तो सब ने जान लिया कि तूने बेचा है ईमान । तेरा कोई मजहब नहीं है कहता है ये "कमरू खान" ॥ कमरू खान, ट्रैकमेन-॥/नि./सीएसबी-॥ कश्मीरी गेट, उत्तर रेलवे, दिल्ली

अपना देश श्रीमती सुशील अंतिल	मंहगाई अनीस अहमद
यह देश तुम्हारा अपना है, इसे नहीं बिकने देंगे । पाठन इसकी मिट्टी है, इस मिट्टी से नाता जोड़ो ॥ यह देश तुम्हारा अपना है, इसे न तुम तोड़ो । समाज विरोधी खेमे को, सब मिलकर सबक सिखायेंगे ॥ धर्म के इन ठेकेदारों से, सब मिलकर अपना हिसाब चुकायेंगे। ये देश तुम्हारा अपना है, इसे नहीं बिकने देंगे ॥ आओ सब मिलकर, इससे अपना नाता जोड़ो । घर में छुपे भेदियो, सुन लो और न छुपने देंगे ॥ गद्दारों को इस धरती पर, और नहीं रूकने देंगे । ये देश तुम्हारा अपना है, इसे नहीं बिकने देंगे ॥ देश की सेवा उत्तम सेवा, देश प्रेम ही भक्ति है । तुम लोगों ने भी सुना होगा, बंद हाथ ही शक्ति है ॥ अलग-अलग है धर्म यहां पर, अलग-अलग भाषाएं हैं । लोग भले ही गोरे काले, लेकिन दिल सबके नेक हैं ॥ यहाँ राष्ट्र प्रेम की गंगा बहती । शांति एकता जिसमें रहती ऐसा अपना देश है ॥ आओ सब मिल ठान ले, विवेक बुद्धि से काम ले । ये देश तुम्हारा अपना है, इसे नहीं बिकने देंगे ॥ सर कलम हमारे हो जाए, पर देश को नहीं झुकने देंगे । इसकी मिट्टी की सौगंध इसे, इसका सर नहीं झुकने देंगे ॥ ये देश तुम्हारा अपना है, इसे नहीं बिकने देंगे । अब देश धर्म और जाति पर, ये देश नहीं बटने देंगे ॥ ये देश तुम्हारा अपना है, इसे नहीं बिकने देंगे । इस सोने की चिड़िया के, इस पंख नहीं कटने देंगे ॥ काम के ठेकेदारों के आगे हम, सर को नहीं झुकने देंगे । ये देश तुम्हारा अपना है, इसे नहीं बिकने देंगे ॥ सेवानिवृत्त मुख्य कार्यालय अधीक्षक/यांत्रिक विभाग, उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली	प्लेटफार्म की दरें बढ़ गईं, रेल किराये बढ़ गए, भाड़े के भी रेट साथियों आसमान पर चढ़ गए । बढ़े सभी मोबाइल रिचार्ज बढ़े सिलेंडर रेट, रोटी पर भी मंहगाई है, गरीब कैसे भरे पेट । बढ़ीं डाक की दरें, साथ में बढ़ें टिकट के रेट, सचमुच पूरी तरह खुल गए मंहगाई के गेट । जो कुछ था, सरकार ले गई बढ़े प्रेम के साथ, खाली रह गई जेब, कसम से खाली रह गए हाथ । हर तरफ है मंहगाई, ऊपर से जी एस टी की मार, शिक्षा मंहगी, खाना मंहगा, मंहगे सभी बाजार । स्कूलों की फीस ने देखो, सब तोड़ दिए रिकॉर्ड, यूनिफार्म और किताबों का भी, मिलता है अब कार्ड । जैसे तैसे पेट काट कर, कर लो डिग्री पास, रोजगार की बात क्या कहना, पकौड़े तलिए आप । माला लेकर करिए साहब, राम नाम का जाप, रोटी की अब बात छोड़िए, हवा खाइए आप । तकनीशियन-॥, कटरा

रेल गाड़ी मेरे मन को भाती है अंकेश दिवाकर	ग्रीष्म ऋतु प्रेम सिंह
छुक-छुक करती रेल गाड़ी, मेरे मन को भाती है, होली दीवाली के त्योहारों में, पापा को घर लाती है।। छुक-छुक करती रेल गाड़ी, मेरे मन को भाती है। खिड़की किनारे बैठ कर, हरियाली देख इठलाती है फूल और कलियों से मेरे मन को महकाती है, छुक-छुक करती रेलगाड़ी मेरे मन को भाती है। नन्हें-मुन्ने बच्चों से छुट्टियों का इंतजार करवाती है सच कहूं तो मुझको नाना-नानी से मिलवाती है, छुक छुक करती रेल गाड़ी मेरे मन को भाती है। नन्हें-नन्हें कदमों से जब मैं वंदे भारत में चढ़ती हूं, उसकी सुंदरता को देख मन ही मन बहुत चहकती हूं। सच कहूं तो छुक-छुक करती रेल गाड़ी सभी के मन को बहुत भाती है।।। टेक्नीशियन-॥ टि.नं.5088, उत्तर रेलवे, जगाधरी वर्कशाप	ऐ बहारो सुनो मौसमों की सदा बुलाती है तुमको जून ऐ माह की फिज़ा अब तो आंखें जमीं की पथरा गईं सारी कलियां चमन की मुरझा गईं रहती है आग बबूला हर वक्त हवा ऐ बहारो सुनो..... अब तो बागों के मंजर भी मचला गए शाखों से कच्चे फल जमीं पे आ गए खुशबुएं गुलों की कहीं गुम हो गईं रंगों को सूरज की किरण ले गईं रहती है पतंगों की हर जात खफा ऐ बहारो सुनो..... आसमानों के भी रंग हुए हैं उड़े बदलियों ने फोड़े हैं खाली घड़े रातें कब से नहीं हैं नहाई हुई चांदनी देखो कितनी मैली हुई शबनम का दामन भी है सूखा पड़ा ऐ बहारो सुनो..... गंगा जमुना का पानी भी अवरुद्ध हुआ नहरों नदियों के पानी पे शुरु युद्ध हुआ इंसानियत पानी में किस कदर बह गई सूखे होठों पे तड़पती प्यास रह गई हर जगह हर तरफ हुआ है हाल बुरा ऐ बहारो सुनो..... वाणिज्य पर्यवेक्षक, नई दिल्ली स्टेशन, उत्तर रेलवे, दिल्ली मंडल

उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली में राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए आयोजित विभिन्न कार्यक्रम



दिनांक 30.01.2024 को उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली में महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे द्वारा सरस्वती संगम पत्रिका-2023 का विमोचन



दिनांक 19.03.2024 को उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली में महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे की अध्यक्षता में क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन



दिनांक 28.06.2024 को प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली में क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन

उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली में राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए आयोजित विभिन्न कार्यक्रम



दिनांक 28.06.2024 को प्रधान कार्यालय स्तर पर आयोजित तकनीकी लेख प्रतियोगिता - 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर श्रीमती पारूल उपाध्याय, वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर, सिगनल एवं दूर संचार विभाग, उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली पुरस्कार प्राप्त करते हुए



दिनांक 24.07.2024 को प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली में क्षेत्रीय वाक् प्रतियोगिता का आयोजन

उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की झलकियां



दिनांक 05.07.2024 को प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली में राजभाषा संपर्क अधिकारियों की बैठक का आयोजन



दिनांक 11.07.2024 को उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली में तकनीकी गोष्ठी का आयोजन



दिनांक 16.07.2024 को प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली में क्षेत्रीय रेल हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन



दिनांक 18.07.2024 को प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली में क्षेत्रीय टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता का आयोजन

उत्तर रेलवे की अखिल रेल स्तर पर विशेष उपलब्धियां



दिनांक 21.06.2024 को भुसावल में आयोजित अखिल रेल हिंदी वाक् प्रतियोगिता में उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल की श्रीमती अलका वशिष्ठ, वाणिज्य पर्यवेक्षक, मेरठ छावनी को मंडल रेल प्रबंधक, भुसावल पुरस्कार प्रदान करते हुए



दिनांक 21.06.2024 को भुसावल में आयोजित अखिल रेल हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में उत्तर रेलवे के निर्माण कार्यालय, कश्मीरी गेट के श्री अनिल कुमार, मुख्य कर्मचारी एवं हित निरीक्षक को मंडल रेल प्रबंधक, भुसावल पुरस्कार प्रदान करते हुए

2024

